खण्ड-154, अंक-6
बुधवार, 2 भाद्रपद, शक संवत् 1877
(24 अगस्त, 1955 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 154 में 7 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५५

मूल्य : बिना महसूल 4 आने, महसूल सहित 5 आने |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार २४ अगस्त, १९५५

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३६५)

अंसमार्नासिह, श्री
अक्षयवर्रासिह, श्री
अजीज इमाम श्री
अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री
अनन्तस्वरूपसिंह, श्री
अब्दुल मोईज खां, श्री
अब्दुल रऊफ़ खां, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इसरारुल हक़, श्री
उदयभानसिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेदसिंह, श्री
उल्फ़तसिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
ओंकारसिंह, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलासिंह, श्री
कमाल अहमद रिज़वी, श्री
करनसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छुन्नन गुरू, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
काशीप्रसाद पाण्डेय, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवलसिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पाण्डेय श्री
केशवराम, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसाद पाण्डेय, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री

गुलजार, श्री
गैंदासिंह, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्याम दास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशसरन रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथबख्शदास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपालसिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तिरमलसिंह, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रतापसिंह, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुरसिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दातारम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रतापनारायणसिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपालसिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथसिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरीदयाल, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तुलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपालसिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फजलुल हक, श्री

फ़तेहसिंह राणा, श्री
फूलसिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलबीरसिंह, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्तसिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्बरसिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथप्रसादसिंह, श्री
बंजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मकसूद आलम खां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखानसिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीर सिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुज़फ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक़ अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद रऊफ जाफरी, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहरसिंह, श्री
मोहरसिंह शाक्य, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुराजसिंह, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रणञ्जयसिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीनसिंह यादव, श्री
रामअनन्त पाण्डेय, श्री
रामअवधसिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलामसिंह, श्री

रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसादसिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दरराम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रामेश्वरलाल, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफ़त हुसैन, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह कश्यप, श्री
लुत्फ़ अली खां, श्री
लेखराजसिंह, श्री
वंशनारायणसिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरप्रसाद, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वनाथसिंह गौतम, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
बीरेन्द्रपति यादव, श्री
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवनाथ काटजू, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमंगलसिंह कपूर, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्षसिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूपसिंह, श्री
शुकदेवप्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्यामममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथराम, श्री
श्रीनिवास, श्री
सईद जहां मख़फ़ी शेरवानी, श्रीमती
संग्रामसिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायणदत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सफिया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर

सहदेवसिंह, श्री
सालिगराम जायसवाल, श्री
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम , डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरदास, श्री दीवान
सुन्दरलाल, श्री
सूरजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्दसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुमसिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होतीलालदास, श्री

प्रश्नोत्तर

बुधवार, २४ अगस्त, १९५५

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

राजकीय सचिवालय मिनिस्टीरियल सर्विस असोसियेशन के अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी करने के लिए प्रार्थना

१—श्री जोरावर वर्मा** (जिला हमीरपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राजकीय सचिवालय मिनिस्टीरियल सर्विस असोसियेशन ने सरकार से प्रार्थना की है कि सचिवालय के वह अस्थायी कर्मचारी जो १० वर्ष से अधिक से सचिवालय में लगातार कार्य कर रहे हैं तथा उनका कार्य सन्तोषजनक रहा है, निम्न श्रेणी में स्थायी नियुक्त कर दिये जायं तथा लोक सेवा आयोग की परीक्षा से मुक्त किये जायं ?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—इस प्रकार की प्रार्थना असोसियेशन से प्राप्त हुई है जो अभी विचाराधीन है ?

श्री जोरावर वर्मा—क्या सरकार के पास कोई ऐसी लिस्ट है जिससे यह ज्ञात हो सके कि १० साल के काम करने वाले टेम्पोरेरी निम्न श्रेणी के कितने कर्मचारी हैं।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां। सरकार के पास ऐसी सूची रहती है और वह सचिवालय में होगी।

श्री जोरावर वर्मा—उनकी संख्या कितनी है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इस वक्त तो यह सूचना मेरे पास नहीं है, इसलिये मैं नहीं बतला सकता।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या इस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने पब्लिक सर्विस कमीशन से भी राय ली है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--अभी ७, ८ दिन हुये कागजात मेरे पास आये हैं और उन पर विचार होना शुरू हुआ है। जो आवश्यकता होगी वह कार्यवाही की जायगी।

तारांकित प्रश्न

प्लानिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट से संबंधित अमरीकियों का सरकारी कर्मचारियों से प्रश्न पूछना

*१--श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी (जिला हमीरपुर)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि अमरीकी विशेषज्ञ, जो प्रादेशिक सरकार के प्लानिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के अन्तर्गत काम कर रहा है, उसने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों से कुछ आपत्तिजनक प्रश्नों के उत्तर पूछे थे? यदि हां, तो क्या सरकार उस प्रश्नावली की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखेगी?

नियोजन उपमंत्री (श्री फूलसिंह)--जी नहीं। प्रश्न आपत्तिजनक नहीं थे। प्रश्नावली की प्रतिलिपि प्रस्तुत की जाती है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ५४०-५४१ पर)

*२--श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस अमरीकी एक्सपर्ट ने यह प्रश्न क्यों पूछे थे और उनका क्या इस्तेमाल किया गया?

श्री फूलसिंह--यह प्रश्न अमरीकी सरकार या उसकी नीति से कोई सम्बन्ध नहीं रखते। इन प्रश्नों का उद्देश्य सिर्फ यह मालूम करना था कि सूचना इकट्ठी करने वाले कार्यकर्ताओं का निजी दृष्टिकोण, धारणा, स्वभाव वैचित्र्य तथा द्वेषित मनोवृत्ति (Prejudice) का अन्वेषण के परिणाम और तरीकों पर क्या प्रभाव पड़ता है, और इन उत्तरों का यही इस्तेमाल किया गया।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्लानिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के अन्तर्गत ७ जांच करने वाले कार्यकर्ताओं से ये प्रश्न पूछे गये थे?

श्री फूलसिंह--जी हां।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी--क्या इन प्रश्नों के पूछने के पूर्व प्रश्नकर्ता ने इसकी आज्ञा सरकार से ले ली थी? यदि नहीं, तो क्यों नहीं? और क्या इन प्रश्नों के सिलसिले में सरकार ने यह भी पूछा है कि ये प्रश्न क्यों पूछे गये थे?

श्री फूलसिंह--सरकार से आज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं थी और ये प्रश्न ऐसे नहीं हैं जिनमें कोई एतराज हो।

श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)--ये अमरीकी विशेषज्ञ किस विषय के विशेषज्ञ हैं?

श्री फूलसिंह--वे बहुत विषयों के हैं मगर हमारे यहां केवल एक ही हैं।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)--क्या सरकार को ज्ञात है कि इन अमरीकी विशेषज्ञों के कार्य के कारण जनता में विशेष प्रकोप पैदा हुआ है?

श्री फूलसिंह--उनकी योजना बिल्कुल नयी है और हमारे देश में ऐसी योजना नहीं थी। तो उनकी सहायता की आवश्यकता थी और उनका समय शीघ्र ही समाप्त होने वाला है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या इन प्रश्नावली के पूछे जाने से पहले कोई जांच करता है ? यदि हां, तो वह कौन करता है ?

नियोजन मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)--विशेषज्ञों को अधिकार है कि वे स्वयं प्रश्नावली बनावें और अन्वेषण कर्ताओं को सदा यह अधिकार रहता है। हमारे पास वे प्रश्नावली नहीं भेजते हैं। हमारे डाइरेक्टर महोदय को समय रहता है तो वह देख लेते हैं, लेकिन इस सम्बन्ध में प्रश्नावली उनके द्वारा भी नहीं गई।

श्री ब्रजभूषण मिश्र--क्या इन विशेषज्ञों ने या इनके आदमियों ने ऐसी तस्वीरें खींची हैं, जो सामाजिक दृष्टि से आपत्तिजनक हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--हमारे पास इस समय इसकी सूचना नहीं है। जैसा अभी उपमंत्री महोदय ने बताया, हमारे पास केवल एक ही विशेषज्ञ हैं उस संस्था में जिनके विषय में आज यहां प्रश्न उठाये गये हैं ?

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी--क्या यह सही है कि प्रश्नावली में जो प्रश्न २१-२३ पूछे गये हैं उनके पूछने का आधार यह था कि हरिजनों का दृष्टिकोण अमरीका के बारे में जाना जा सके ?

श्री फूलसिंह--एक प्रश्न में केवल यह लिखा है कि अमरीका के एन्थौपालोजिस्ट किस लिये यहां आते हैं ? केवल ७ आदमियों से प्रश्न पूछे जाने वाले थे। वे किसी ७ आदमियों से भी पूछ सकते थे। इससे कोई मतलब नहीं निकलता है।

श्री कृष्णशरण आर्य (जिला रामपुर)--ये अमरीकन यहां कब से हैं और उन पर क्या व्यय होता है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--व्यय के लिये नोटिस की आवश्यकता है। हमारे इंस्टीट्यूट के खुलने के थोड़े ही दिन बाद ये नियुक्त किये गये हैं।

चीनी मिलों पर गन्ना उत्पादकों का बकाया

*३--**श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य** (जिला जौनपुर)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि चीनी की किन-किन मिलों के जिम्मे गन्ना उत्पादकों का कितना-कितना रुपया बाकी है और उसकी अदायगी का सरकार कौन सा उपाय कर रही है ?

श्री फूलसिंह---दो तालिकाएं ("क" और "ख") संलग्न हैं जिनमें चीनी मिलों पर गन्ने के मूल्य के १९५४-५५ सीजन के तथा पिछले बकाया का विवरण दिया हुआ है।

जहां तक १९५४-५५ सीजन का बकाया की वसूली का प्रश्न है, जिन जिन चीनी मिलों पर अधिक धन बकाया है उन पर उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, १९५३ की धारा १७(४) के अन्तर्गत सर्टिफिकेट जारी किये जा चुके हैं, जैसा कि संलग्न तालिका "ख-२" से विदित होगा।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ५४२-५४६ पर)

चीनी मिलों पर सेस तथा अतिरिक्त मुनाफे का बकाया

*४--**श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य**--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि किस किस चीनी मिल के जिम्मे सरकार का कर्ज तथा सेस का कितना कितना रुपया बाकी है ?

श्री फूलसिंह---चीनी मिलों पर प्रत्येक जिले में सरकार के सेस का जो बकाया है उसका विवरण संलग्न तालिका "ग" में दिया हुआ है । जहां तक कर्जे का सवाल है केवल गोविन्द शुगर मिल्स ऐरा को सरकार ने पिछले वर्ष ३ लाख रु० कर्ज दिया था जो ५ वार्षिक किस्तों में जनवरी, १९५५ से आरम्भ होकर वसूल होना था । इसमें एक किस्त (ब्याज मिला कर ६९,२९० रु० की) वसूल हो चुकी है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ५४७ पर)

*५---श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि किन-किन चीनी की मिलों ने सन् १९५४ ई० में गन्ना उत्पादकों का अतिरिक्त मुनाफा कितना-कितना दिया और कितना-कितना बाकी है ?

श्री फूलसिंह---सीजन १९५३-५४ में चलने वाली ६५ मिलों में से केवल १६ मिलों को गन्ने का अतिरिक्त मूल्य (Additional cane price) देना था जिनमें से ७ ने पूरा रुपया भुगतान कर दिया है, ५ ने आंशिक भुगतान किया है और बाकी ४ ने अभी अदायगी शुरू नहीं की है । इन मिलों को इस मद में कितनी-कितनी रकमें देनी थीं या देनी हैं, और इनमें से कितना-कितना अदा हो गया है इसके पूरे आंकड़े अभी सरकार के पास नहीं हैं, पर एक तालिका "घ" संलग्न है, जिसमें मिलों के नाम अतिरिक्त मूल्य की दरें और उपर्युक्त विवरण दिये हुये हैं ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ५४८ पर)

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---क्या सरकार बकाया जो है, पिछली बकाया और सेस के टोटल बताने की कृपा करेगी ?

श्री फूलसिंह---तालिका "क" का टोटल १०,९०,५९,००० रुपया है । तालिका "ख" का टोटल ६,०८,४२० रुपया १ आना ६ पाई है और तालिका "घ" में जिस रकम के सर्टिफिकेट्स ईश्यू कर दिये गये हैं १,०७,४९,१५३ रुपया ४ आना ११ पाई । "ग" का टोटल इसमें नहीं दिया गया है, जहां तक मेरा ख्याल है वह १,८५,८८,३९३ रु० ६ आ० ४ पाई है जिसमें से १ करोड़ ९ लाख रुपया इस साल का बकाया है और ६ लाख के करीब बकाया पिछले सीजन का है । १ करोड़ ७ लाख के सर्टिफिकेट्स इश्यू हो चुके हैं । ये फिगर्स गन्ने की कीमत के हैं । सेस का रुपया १,८५,८८,३९३ रु० ६ आ० ४ पाई था । इसके मुताल्लिक मेरा अर्ज करना यह है कि इस प्रश्न के उत्तर लिखे जाने के बाद कुछ रुपया और वसूल हो चुका है और अब करीब २५-२६-३५ हजार रुपये के बकाया रह गयी है ।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---तालिका "क" को देखने से पता चलता है कि नंबर २७ पर रोजा मिल पर कोई बकाया नहीं है लेकिन तालिक "घ" को देखने से पता चलता है कि उसके लिये सर्टिफिकेट ईश्यू हुआ है ७ लाख २८ हजार ७२६ रुपये का, यह क्या बात है ?

श्री फूलसिंह---यह हो सकता है कि बकाया की सूची जब बनायी गयी हो उस वक्त बकाया न हो और सर्टिफिकेट पहले जारी किया गया हो । उस वक्त संभव है कि उसके ऊपर बकाया हो ।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)---क्या बस्ती, मुंडेरवा और देवरिया की मिलों पर यह बकाया है ?

श्री फूलसिंह---जी हां, पूर्व की मिलों पर ज्यादा बकाया है ।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---कितने मिलों के ऊपर यह बकाया केन सेस और केन प्राइस का है ?

श्री फूलसिंह---यह तो बहुत लम्बी लिस्ट है लेकिन जिन मिलों के ऊपर केन प्राइस बाकी है उनको इस बात के लिये मुहलत दे दिया गया है कि वे किसानों के गन्ने का दाम पहले दे दें।

श्री रतनलाल जैन (जिला बिजनौर)---क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि जिन मिलों ने अतिरिक्त मुनाफा नहीं दिखलाया है उनसे वे अतिरिक्त मुनाफा दिलाने का विचार रखते हैं?

श्री फूलसिंह---जी हां, इस मामले में एक दफा उनको लिखा गया है, अब दोबारा इसको खासतौर पर देखा जायगा।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि मिल मालिक जो इतने ज्यादा दिनों तक किसानों का बकाया रखते हैं उसका कुछ सूद भी दिलाते हैं?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---जो नया नियम हमने जारी किया है उसके अनुसार जो मिलें रुपया नहीं देती हैं उसके लिये उनको किसानों को कुछ सूद देना पड़ता है और देना पड़ेगा।

श्री गेंदासिंह---क्या यह सही है कि अतिरिक्त मुनाफा वाली बात अभी विवादास्पद है और गवर्नमेंट आफ इंडिया के सामने भी यह मामला पेश है कि जिन काश्तकारों को नहीं मिला है उनको भी दिलवाया जाय।

श्री फूलसिंह---जी हां, कुछ मिलों ने तो अतिरिक्त मुनाफा दे दिया है और कुछ मिलों ने उस पर आपत्ति भी की है और उधर केन फेडरेशन से भी यह मामला केंद्र में गया हुआ है, लेकिन जितना रुपया केंद्र से तय हुआ है उसका एक अच्छा खासा हिस्सा अदा हो गया है।

श्री धनुषधारी पांडेय (जिला बस्ती)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सन् ५३-५४ और सन् ५४-५५ के सीजन का बहुत काफी रुपया मुंडेरवा शुगर मिल के ऊपर किसानों का बाकी है?

श्री फूलसिंह---जी हां।

श्री धनुषधारी पांडेय---जो रुपया मुंडेरवा शुगर मिल के ऊपर किसानों का बाकी है उसका भुगतान कराने के लिये माननीय मंत्री जी क्या उपाय सोच रहे हैं?

श्री फूलसिंह---इस संबंध में केन कमिश्नर को खत लिखा है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी उन ४ मिलों के नाम बतलायेंगे जिन्होंने अभी तक किसानों को अतिरिक्त मुनाफा निश्चयानुसार नहीं दिया है?

श्री फूलसिंह---इसको छांटने में तो बहुत देर लगेगी, लेकिन कुछ मिलों ने आपत्ति की है कि अतिरित मुनाफा जो उनके ऊपर ज्यादा लगा है वह कम होना चाहिये।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि गन्ना उत्पादकों के गन्ने की कीमत को बाकी रखने का क्या कारण है?

श्री फूलसिंह---पिछले साल जब शुगर कंट्रोल बोर्ड की मीटिंग हुई थी तो मिल मालिकों ने यह आपत्ति की थी कि जितनी शुगर हमारे पास थी वह अभी तक बिकी नहीं है। बहुत सी मिलों में आधे से ज्यादा शुगर अभी तक बकाया है। यह भी कारण रहा जिससे मिल मालिक गन्ने के दाम नहीं दे सके।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि वह अतिरिक्त मूल्य जो सरकार द्वारा निश्चित किया गया है किस मिल पर सबसे अधिक है और किस मिल पर सबसे कम है और कितना-कितना है?

श्री फूलसिंह---यह तो तालिका में दिया हुआ है, लेकिन देवबन्द मिल पर सबसे ज्यादा है और खतौली मिल पर सबसे कम।

श्री शिवकुमार शर्मा (जिला बिजनौर)---क्या यह सही है कि धामपुर शुगर मिल बिजनौर के मिल मालिकों पर करीब २० लाख रुपया किसानों का अदायगी के लिये पड़ा हुआ है?

श्री फूलसिंह---माननीय मेम्बर की इत्तिला शायद सही हो।

तहसील खलीलाबाद में विकास-कार्य

*६---श्री राजाराम शर्मा (जिला बस्ती)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् ५३-५४ में तहसील खलीलाबाद (जिला बस्ती) में कौन-कौन से विकास के कार्य किये गये हैं ?

श्री फूलसिंह---तहसील खलीलाबाद (जिला बस्ती) में सन् १९५३-५४ में किये गये विकास कार्यों का विवरण सदस्य महोदय की मेज पर प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी "ङ" आगे पृष्ठ ५४९-५५० पर)

श्री राजाराम शर्मा---जो सूची हमें मिली है उस में लिखा हुआ है कि जमहरा और बढ़या के पंचायत घरों के लिये सहायता दी गई है और उन घरों को बनवाने की कोशिश की गई है, तो वह मकान बनकर कब तक पूरे हो जायेंगे ?

श्री फूलसिंह---अगर माननीय सदस्य चाहेंगे तो पूछ कर बता सकता हूं।

*७-९---श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)---[२० सितम्बर, १९५५ के लिये प्रश्न संख्या ६-८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

मिर्जापुर जिले के चिकित्सालय

*१०---श्री व्रजभूषण मिश्र---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मिर्जापुर जिले की प्रत्येक तहसील में अलग-अलग कुल कितने चिकित्सालय हैं, कितने अभी बनने शेष हैं और वे कब तक बन जायेंगे ?

नियोजन मंत्री के सभा सचिव (श्री बनारसीदास)---सदर तहसील में १८, चुनार तहसील में १२, राबर्ट सगंज में ६ तथा दुद्धी तहसील में ८ चिकित्सालय हैं।

प्रश्न के अंतिम भाग का आशय स्पष्ट नहीं है। यदि प्रश्नकर्त्ता यह जानना चाहते हैं कि वहां कितने चिकित्सालय और खोलने हैं तो अभी यह निश्चय नहीं है। यदि यह जानना चाहते हैं कि कौन-कौन से स्वीकृत अस्पताल भवन बनने हैं तो उसकी स्थिति यह है कि दो अंग्रेजी चिकित्सालय का बनाना इस साल स्वीकार हुआ है एक घोरावल (तहसील राबर्ट सगंज) में तथा एक म्योरपुर (तहसील दुद्धी) में। सरकार को यह भी सूचना है कि शेरवां (चुनार तहसील) में जहां एक सरकारी आयुर्वेदिक औषधालय है स्थानीय जनता ने एक औषधालय भवन बनाना शुरू किया है जो अभी पूर्ण नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष---अंग्रेजी औषधालय से क्या मतलब है ?

श्री बनारसीदास---इस का अर्थ एलोपैथिक अस्पताल है

श्री अध्यक्ष---वह स्पष्ट होना चाहिये, इसके माने हैं कि वह अस्पताल अंग्रेजों के होंगे।

श्री व्रजभूषण मिश्र---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि राबर्ट सगंज इधी तहसील, मिर्जापुर की बड़ी तहसील होते हुये भी वहां चिकित्सालयों की संख्या क्यों कम है?

श्री बनारसीदास--क्योंकि वहां की आबादी कम है ।

श्री व्रज भूषण मिश्र--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि औषधालयों का निर्माण आबादी के सिद्धांत पर होता है या ५ मील की रेडियस पर एक औषधालय होगा इस सिद्धांत पर ?

श्री बनारसीदास--यह सही है कि ५ मील की रेडियस का एक मोटा आधार है, लेकिन आबादी का भी ख्याल किया जाता है और जहां इमारत आसानी से मिल जाती है या जनता का सहयोग आदि सब बातें मिल जाती हैं वहां वह खोल दिये जाते हैं ।

श्री व्रजभूषण मिश्र--क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि वहां दो-दो सौ गांवों का समूह ऐसा है जहां पर एक भी औषधालय नहीं है ?

श्री बनारसीदास--ऐसा हो सकता है लेकिन हर जिले में एक परामर्शदात्री समिति है और उनके जो सुझाव आते हैं उन्हीं के आधार पर यह सुविधा दी जाती है । यदि वहां से इस तरह का सुझाव आयेगा तो जरूर उस पर विचार किया जायगा, परन्तु अगर इस जिले की फेहरिस्त देखी जाय तो जो निर्धारित संख्या होनी चाहिये उससे वहां तादाद कम नहीं है, एक दूसरी जगह अस्पताल हटाये जायं, यह हो सकता है ।

श्री राजकुमार शर्मा (जिला मिर्जापुर)--यह जो शेरवां राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय बन रहा है क्या वहां के लोगों ने भी उसके लिये आर्थिक सहायता की मांग की है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री बनारसीदास--जी हां, ४ हजार की मांग है, उस पर विचार हो रहा है ।

एटा जिले के चिकित्सालय

*११--**श्री बाबूराम गुप्त** (जिला एटा)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला एटा में कितने राजकीय अथवा सरकार से सहायता प्राप्त ए लोपैथिक, आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सालय हैं और उन पर सरकार कितना-कितना धन सहायता अथवा व्यय के रूप में खर्च कर रही है ?

*१२----क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त चिकित्सालयों में से किन-किन के पास उनका निजी भवन हैं ?

श्री बनारसी दास--वांछित सूचना की तालिका सदन की मेज पर रक्खी है ।

(देखिये नत्थी "च" आगे पृष्ठ ५५१ पर)

श्री बाबूराम गुप्त--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि तालिका में जो यह ८ सरकारी चिकित्सालय दिखाये गये हैं वे वहां पर किस-किस स्थान पर हैं ?

श्री बनारसीदास--जिला चिकित्सालय एटा, जनाना अस्पताल एटा, जेल अस्पताल एटा, पुलिस अस्पताल, अलीगंज अस्पताल, निमौनी अस्पताल, नदरौली अस्पताल और जेठरा अस्पताल ।

श्री बाबूराम गुप्त--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यह जो जिले के अस्पताल हैं उन पर कितना रुपया खर्च होता है ?

श्री बनारसीदास--जो सूची माननीय सदस्य के पास है उसमें सभी विवरण दिये हुये हैं ।

श्री बाबूराम गुप्त––क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जनाना अस्पताल जिला एटा के सदर स्थान के अतिरिक्त और किसी स्थान पर भी है ?

श्री बनारसीदास––जी हां, यह सही है कि एक जनाना अस्पताल एटा और दूसरा कासगंज में है । †

जौनपुर जिले में नियोजन-कार्यों पर व्यय

*१३––**श्री द्वारका प्रसाद मौर्य**––क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले में प्लानिंग विभाग द्वारा कुल कितना-कितना रुपया सन् १९५४ ई० में किस किस मद पर खर्च किया गया और कितना हर मद में बच रहा है ?

श्री फूलसिंह––सूचना का विवरण माननीय सदस्य की मेज पर रखा है ।

(देखिये नत्थी "छ" आगे पृष्ठ ५५२ पर)

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य––क्या माननीय मंत्री महोदय टोटल आय और टोटल खर्च और जो बाकी बच गया है उसका विवरण देने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष––मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा । बात यह है कि आंकड़ आप क पास पहुंच गये हैं । तो कम से कम आप उनके जोड़ नहीं मांग सकते, दूसरे मांगे तो दूसरी बात है ।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य––क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो खर्च हुआ है उससे कहीं अधिक रकम बाकी बच गई है इसका क्या कारण है ?

श्री फूल सिंह––कुछ रकम बाद में भेजी गई थी ।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य––क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सेल्फ हेल्प और छोटे अनुदान जो इस सूची में दिये गये हैं उनके द्वारा तो यह किस काम में खर्च कियेजाते हैं ?

श्री फूलसिंह––सेल्फ हेल्प में तो बहुत सारे कामों में खर्च होता है, लेकिन शर्त यह है कि लोग भी उस कुछ रुपये का हिस्सा दें या फिर श्रमदान करें ।

हाथरस के पीतल के गृह उद्योग सहायतार्थ पत्थर का कोयला

*१४––**श्री झारखंडे राय** (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)––क्या सरकार की ओर से हाथरस के पीतल के गृह उद्योग को कोई सहायता दी जाती है ? अगर हां, तो किस प्रकार की और कितनी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त––(अ) जी हां ।

(ब) इस उद्योग को पत्थर का कोयला दिया जाता है । सन् १९५२ से १९५५ की प्रथम छमाही तक १६ वैगन कोयला दिया गया ।

*१५––**श्री झारखंडे राय** (अनुपस्थित)––क्या सरकार बतायेगी कि हाथरस के पीतल के कारबार की उन्नति के लिये कोई योजना उसके विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या उसकी रूपरेखा सदन की मेज पर रखने की कृपा सरकार करेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त––(अ) जी नहीं ।

(ब) प्रश्न नहीं उठता ।

---

† श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार संशोधित ।

नोट––तारांकित प्रश्न १४–१५ श्री हरदयाल सिंह पिपल ने पूछा ।

बस्ती जिले की ताड़ी की दूकानें

*१६—श्री रामसुन्दरराम (जिला बस्ती)—क्या मादक कर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले में ताड़ी की कुल कितनी दूकानें गत वर्ष थीं और कितनी चालू वर्ष में हैं ?

मादक-कर मंत्री (श्री गिरधारीलाल)—बस्ती जिले में गत वर्ष १२४ ताड़ी की दूकानें थीं और चालू वर्ष में भी १२४ दूकानें हैं ?

*१७—श्री रामसुन्दरराम—क्या मादक कर मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिले के प्रत्येक तहसील में कितनी दूकानें ताड़ी की हैं ?

श्री गिरधारीलाल—ताड़ी की दूकानों की तहसीलवार संख्या निम्नलिखित है:—

तहसील बस्ती	..	..	२२
तहसील बांसी	..	..	२३
तहसील खलीलाबाद	..	..	७५
तहसील डुमरिया गंज	..	..	१
तहसील हरैया	..	..	३

श्री रामसुन्दरराम—क्या मंत्री महोदय बताने का कष्ट करेंगे कि गत वर्ष और चालू वर्ष में जिले की इन ताड़ी की दूकानों से प्रति वर्ष कितने रुपये की आमदनी हुई ?

श्री गिरधारीलाल—सन् १९५२-५३ में १,२६,४५५ रुपये १ आने और सन् १९५३-५४ में १,४६,५५८ रुपये १० आने की आमदनी हुई है ।

श्री रामसुन्दरराम—क्या मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि बस्ती जिले की प्रत्येक तहसील में जो ताड़ी की दूकानें चल रही हैं उनमें कितनी पेशेवर हरिजनों की हैं और कितनी सवर्णों की ?

श्री गिरधारीलाल—करीब सौ से ज्यादा हरिजनों की दूकानें हैं ।

श्री शिवनारायण—क्या सरकार बस्ती जिले में ताड़ी की दूकानें बन्द कराने का प्रयत्न करेगी ?

श्री गिरधारीलाल—अभी प्राहीबीशन का सवाल सरकार के सामने है। जिस वक्त पूरे सूबे का प्रश्न तय हो जायगा उसी समय बस्ती का प्रश्न भी तय हो जायगा।

श्री शिवन रायण—क्या अगली पंचवर्षीय योजना में यह स्कीम सफल हो जायगी ?

श्री गिरधारीलाल—यदि प्राहीबीशन चालू करेंगे तो हमें उम्मीद है कि जरूर सफल होगी ।

श्री व्रजभूषण मिश्र—क्या सरकार ताड़ी को ताड़ी के रूप में इस्तेमाल कराने के बजाय नीरे के रूप में इस्तेमाल कराने का विचार रखती है ?

श्री गिरधारीलाल—जब ताड़ी का इस्तेमाल नहीं होगा तो मिश्र जी को नीरे का इस्तेमाल कराया जायगा ।

जौनपुर जिले में नियम विरुद्ध चलने वाली शराब की भट्ठियों का पकड़ा जाना

*१८—श्री बाबूनन्दन (जिला जौनपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिला में जनवरी सन् ५४ से फरवरी सन् १९५५ तक कितनी नियम विरुद्ध शराब की भट्ठियां पकड़ी गईं ?

श्री गिरधारीलाल--जौनपुर जिले में जनवरी, १९५४ से फरवरी, १९५५ तक नियम विरुद्ध शराब की भट्ठियों के ५३ मामले पकड़े गये ।

श्री बाबूनन्दन--क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जो ५३ शराब की भट्ठियां पकड़ी गई हैं उनमें कितने के खिलाफ कार्यवाही की गई ?

श्री गिरधारीलाल--सबके खिलाफ उचित कार्यवाही की गई ।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जो भट्ठियां नियम विरुद्ध पकड़ी गई वे अब भी चालू हैं या बन्द हो गईं ?

श्री गिरधारीलाल--अब इसकी तो मुझे कोई इत्तिला नहीं है, लेकिन जो नियम-विरुद्ध भट्ठियां वे जरूर बन्द हो गई होंगी ।

श्री शिवनारायण--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि इन ५३ आदमियों पर जिन पर केस चला है, अदालत ने उन पर कुछ जुर्माना भी किया है ?

श्री गिरधारीलाल--उन पर मुनासिब कार्यवाही होने पर जो भी मुनासिब सजा होगी वह दी गई होगी ।

राजकीय उद्योग और व्यवसाय संबंधित संस्थाओं के आय-व्यय का प्रकाशन तथा नियुक्तियों सम्बन्धी नीति

*१९--**श्री देवकीनन्दन विभव**--क्या उद्योग मंत्री इस बात के प्रबन्ध करने का विचार रखते हैं कि राजकीय उद्योग और व्यवसाय से सम्बन्धित संस्थाओं का आय-व्यय का विवरण अधिक विस्तार से उसी प्रकार प्रकाशित किया जाय, जिस प्रकार लिमिटेड कम्पनियों का प्रकाशित करना आवश्यक है ?

श्री बनारसीदास--जी नहीं । अभी तो ऐसा विचार नहीं है ।

*२०--**श्री देवकीनन्दन विभव**--राजकीय उद्योग और व्यवसाय से सम्बन्धित संस्थाओं के कार्य संचालकों की नियुक्ति के संबंध में सरकार की क्या नीति है ? क्या सरकार इनके लिये प्रदेश के व्यवसाय क्षेत्रों से अनुभव प्राप्त व्यक्तियों को लेने का विचार रखती है ?

श्री बनारसीदास--राजकीय उद्योग और व्यवसाय से संबंधित संस्थाओं के कार्य संचालकों की नियुक्ति सेवा संबंधी नियमों (Service Rules) के अनुसार सरकार द्वारा पब्लिक सर्विस कमीशन की सिफारिश पर होती है, जो उचित एवं अनुभवी कार्य संचालकों को चुनती है । कभी-कभी विदेशी विशेषज्ञों की नियुक्ति बिना कमीशन के चुनाव के, ठेके पर (on Contract basis) भी आवश्यकतानुसार की जाती है ।

श्री देवकीनन्दन विभव--क्या माननीय मंत्री जी को यह विदित है कि राजकीय उद्योग और व्यवसाय में समुचित विस्तार से सदन के सामने आय-व्ययक के न रखने से सदन को उनकी वास्तविक स्थिति मालूम करने में कठिनाई होती है और यदि हां, तो मंत्री जी उसका विस्तार से क्यों लेखा प्रकट नहीं करना चाहते ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--इस विषय पर सरकार विचार कर रही है । इस प्रकार का प्रश्न पहले किया गया था और कुछ आदेश भी विभागों को दिये गये हैं कि यदि यह संभव हो सके तो जिस प्रकार से कम्पनियों में हिसाब रक्खे जाते हैं उसी प्रकार से इन जगहों के जिनके विषय में प्रश्न किये गये हैं हिसाब रक्खे जायं । लेकिन चूंकि अभी कोई निर्णय नहीं ले सके हैं इसलिये

अभी जो आपको उत्तर दिया गया है वह यही है कि अभी हमने कतई इस पर कोई विचार नहीं किया। जब कतई विचार हो जायगा तब आपको इस बात की सूचना दी जायगी।

श्री देवकीनन्दन विभव--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि जैसा कि उत्तर में कहा गया है कि विदेशी एक्सपर्टस की सेवाएं प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे, क्या वह प्रदेश और देश के एक्सपर्ट्स की सेवाएं प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--अगर किसी स्थान के लिए कहीं ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होगी तो इसी आधार पर उनकी नियुक्ति के विषय में सरकार विचार करेगी।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--क्या यह बात सही है कि राजकीय उद्योग और व्यवसाय विभाग प्रोफार्मा एकाउन्ट्स को आकाउटेंट जनरल के पास हर साल भेजता है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--नियमानुसार पी० डब्ल्यू० डी० रुल्स की तहत में जिस तरह से हिसाब रखा जाता है उसी तरह अकाउन्टेंट जनरल के पास जाता है। घाटे और मुनाफे की देख-रेख करने के लिये प्रत्येक वर्ष इस तरह से हिसाब अकाउटेंट जनरल के पास जाता है।

राज्य के शहरी व देहाती क्षेत्रों के उद्योग धंधों को सरकारी प्रोत्साहन

*२१--**श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ** (जिला अलीगढ़)--क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में शहरी क्षेत्रों और देहाती क्षेत्रों के लिये कौन-कौन गृह उद्योग धन्धों तथा छोटे उद्योगों के प्रारम्भ करने में वह प्राथमिकता देती है ?

श्री बनारसीदास--देहाती क्षेत्रों में उन कुटीर उद्योगों को प्राथमिकता दी जाती है जो अखिल भारतीय खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा विशेषकर प्रोत्साहित किये जाते हैं। शहरी क्षेत्रों में उन हैन्डीक्राफ्ट उद्योगों को प्राथमिकता दी जाती है, जो प्राचीन काल से चल रहे थे और जिनके प्रोत्साहन के लिये अखिल भारतीय हैन्डीक्राफ्ट्स बोर्ड और हैन्डलूम बोर्ड ने विशेष कार्यक्रम स्वीकार किया है।

श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ--माननीय मंत्री महोदय जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने ऐसे उद्योगों की ऐसी तालिका तैयार की है ? यदि हां, तो उसको सदन के सम्मुख रखने की कृपा करेंगे ?

श्री बनारसीदास--जी हां। इस प्रकार के बहुत से उद्योग हैं जिनकी तालिका विभाग के पास है। वह तालिका माननीय सदस्य को मिल सकती है। लेकिन मुख्यतः जो उद्योग हैं जैसे ग्रामोद्योग में गुड़, खंडसारी, खादी, मिट्टी के बर्तन आदि हैं। इसके अलावा जो स्माल स्केल इंडस्ट्रीज के आधार पर हैं उनमें मुख्य-मुख्य हैन्डलूम का कपड़ा, आयबरी का उद्योग, लकड़ी के खिलौने, चिकन आदि हैं। इसके अलावा यह सूची बढ़ती रहती है। जहां कच्चा माल मिलता है या आवश्यकता समझी जाती है उन उद्योगों को भी शामिल कर लिया जाता है।

श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ--माननीय मंत्री महोदय यह बताने कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने गृह उद्योगों के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिये प्रदेश में विक्रय विभाग या विक्रय अधिकारी नियुक्त करने पर विचार करेंगे ?

श्री बनारसीदास--जी हां,। अब भी सरकार की ओर से बिक्री विभाग है। हर जगह एम्पोरियम्स हैं जहां पर इस प्रकार का बना हुआ माल बिकता है।

श्री रामचन्द्र विकल--क्या माननीय मंत्री जी सहकारिता के आधार पर चलाये गये उद्योग धंधों को प्राथमिकता देने पर विचार करेंगे ?

श्री बनारसीदास––जी हां। अब भी प्राथमिकता दी जाती है। इस तरह से इंडस्ट्रियल कोआपरेटिव सोसाइटीज आर्गेनाइज की जाती हैं, जिनको ग्रांट और लोन देने में विशेष रूप से प्राथमिकता दी जाती हैं।

श्री रामस्वरूप गुप्त (जिला कानपुर)––क्या सरकार उन उद्योग-धंधों को विशेष रूप से प्रोत्साहित करने का प्रयास करेगी जो खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड ने दस धंधे चुने हैं खास तरीके से।

श्री चन्द्रभानु गुप्त––जितनी योजनाएं ग्रामोद्योग की वस्तुओं के संबंध में बनी हैं वे सब खादी और उद्योग बोर्ड की सलाह से बनी हैं और उसकी सलाह से उद्योग-धंधे चलाये जा रहे हैं, उनमें सरकार प्रत्येक प्रकार का प्रोत्साहन देने के लिए प्रयत्न कर रही है।

श्री रामचन्द्र विकल––क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि सरकार जो उद्योग-धंधों के लिये सहायता देती है उसके बाद में वह कोई जांच कराती है कि उसका सदुपयोग हुआ है या नहीं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त––जिनको अनुदान दिया जाता है उनको सरकार के पास अपने अनुदान के कागजात भेजने पड़ते हैं और यदि कोई व्यक्ति अनुदान ठीक तरह से इस्तेमाल नहीं करता तो उसका अनुदान बंद कर दिया जाता है और उसके लिये समुचित कार्यवाही की जाती है।

श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ––क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि गृह-उद्योगों के लिये बाजार तैयार करने और उनके सामान की बिक्री का क्या प्रबन्ध है ?

श्री बनारसीदास––यह तो पहले जैसा बतलाया गया कि सरकार की तरफ से सरकारी कर्मचारी इस बात का प्रयत्न करते हैं कि इंडस्ट्रियल कोआपरेटिवस बनें, जहां जरूरत पड़ती है वह ट्रेनिंग स्कूल्स कायम करते हैं, उनको सबसिडी देते हैं। साथ ही उत्पादन केन्द्र कायम होते हैं जिनमें सरकार की ओर से कर्मचारी नियुक्त किये जाते हैं। इसके अतिरिक्त सरकारी इम्पोरियम में उनका माल बिकवाने का प्रयत्न किया जाता है। इसके अलावा हैन्डलूम के माल में सरकार की तरफ से सबसीडी दी जाती है।

श्री व्रजभूषण मिश्र––यहां जो १० उद्योग-धंधों का चर्चा हुआ है, क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि वह कौन-कौन से हैं ?

श्री बनारसीदास––वह मैंने अभी बताये थे। इनमें विशेषकर खादी है, हैन्डलूम है, मिट्टी के बर्तन, गुड़, हाथ का कुटा चावल और चर्म उद्योग आदि हैं।

श्री रामजी सहाय (जिला देवरिया)––क्या सरकार को ज्ञात है कि जो खादी उपभोक्ताओं को छूट दी जाती है उसका गांधी आश्रम करीब २ दुरुपयोग करता है, क्योंकि वह खादी की कीमत आमतौर से बढ़ा कर रखता है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त––इस बात की सूचना मेरे पास नहीं है। गांधी आश्रम से तो इस बात की आशा नहीं की जाती कि वह कीमत बढ़ाकर रखेगा और फिर तीन आने की छूट देने की चेष्टा करेगा।

श्री शिवकुमार शर्मा––क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि प्रति वर्ष लाखों रुपये का जो हैन्डलूम का कपड़ा नीलाम किया जाता है बाजार में, उसका क्या कारण है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त––नीलाम किया जाता है, इस बात की कोई सूचना मुझे नहीं है। हैन्डीक्रैफ्ट की दूकानों में कुछ ऐसा माल जरूर था जो कुछ वर्षों का हो गया था, वह दो तीन वर्ष पहले नीलाम किया गया था। लेकिन प्रत्येक वर्ष कोई माल नीलाम किया जाता है इस प्रकार की सूचना मेरे पास नहीं है।

गन्ना फैक्ट्रीज में बैलगाड़ियों के लिए टिनशेड की आवश्यकता

*२२--श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद) (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रान्त में ऐसी कितनी गन्ना फैक्टरीज हैं, जिनमें गेट पर आने वाली बैल गाड़ियों के खड़े होने के लिये टीन शेड हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--इस सम्बन्ध में अभी ३४ मिलों के उत्तर आये हैं जिनमें २८ के पास टिनशेड मौजूद हैं ।

आयुर्वेदिक चिकित्सालयों के लिये इमारतें

*२३--**श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य**--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में उसने केवल एलोपैथिक चिकित्सालयों के लिये ही इमारतें बनवाई हैं अथवा आयुर्वेदीय चिकित्सालयों के लिये भी ?

श्री बनारसीदास--आयुर्वेदिक चिकित्सालय की अभी केवल एक इमारत सरकार ने बनवाई है और सब एलोपैथिक चिकित्सालयों की हैं ।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि एलोपैथिक चिकित्सालयों की कितनी इमारतें हैं ?

श्री बनारसीदास--जी हां । पहले तो ८३ थीं और इस वर्ष के बजट में १५ इमारतें और बनाने का प्राविजन किया गया है ।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि एलोपैथिक चिकित्सालयों की इतनी काफी इमारतें बनाई जा रही हैं और आयुर्वेदिक की एक ही इमारत क्यों बनाई गई ?

श्री बनारसीदास--काफी तादाद में मकान देहातों में दान में या किराये पर मिल गये और इसलिये नहीं बनाये गये, लेकिन सरकार उनके रखरखाव का प्रबंध करती है ।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--एलोपैथिक चिकित्सालयों की जो इमारतें बनी हैं उन पर औसत कितना खर्च पड़ा है और यह जो आयुर्वेद की इमारत बनी हैं इस पर कितना खर्च हुआ और यह कहां बनी हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--आयुर्वेद की इमारत जो लखनऊ में कालेज बना है उसी में बनाई गई है । जो एलोपैथिक डिस्पेंसरीज हैं वह देहातों में बनाई गई हैं । उन पर करीब ५० हजार रुपया फी डिस्पेंसरी खर्च होता है । आयुर्वेदिक डिस्पेंसरीज बनाने का प्रश्न भी सरकार के सामने है और उसमें यह अंदाजा लगाया गया है कि करीब २५ से ३० हजार रुपया खर्च होगा ।

तराई भावर इलाके में चीनी मिलें खोलने का विचार

*२४--**श्री नारायणदत्त तिवारी**--क्या सरकार के पास तराई भावर इलाके में चीनी मिल खोले जाने के बारे में कोई मांग आयी है ? अगर हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री बनारसीदास--जी हां । इस प्रकार की कुछ मांगें आई हैं । सरकार का विचार है कि इस इलाके में दो सहकारी (Co-operative) चीनी मिलें खोली जायं ।

*२५--**श्री नारायणदत्त तिवारी**--क्या सरकार ने गोकुलनगर मिल के हटाये जाने के बाद उक्त मिल के अधीन गन्ना क्षेत्र की सप्लाई आदि के संबंध में कोई स्थायी प्रबन्ध किया है ? अगर हां, तो क्या ?

श्री बनारसीदास---इस समय किसी भी मिल के लिये गन्ने के क्षेत्र का कोई स्थायी प्रबन्ध नहीं किया जाता है, इसलिये इस क्षेत्र के लिये भी स्थायी प्रबन्ध का कोई प्रश्न नहीं उठा।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि तराई भावर क्षेत्र में दो सहकारी चीनी मिलें खोले जाने के अपने विचार के संबंध में अब तक सरकार क्या-क्या कार्यवाही कर चुकी है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---सरकार ने यह निर्णय दे दिया था और सरकारी अधिकारी उन कम्पनियों से बातचीत कर रहे हैं, जो कि इन फैक्ट्रियों को उन क्षेत्रों में लगा सकेंगी। अधिकारी ने विदेशों से इस बात की लिखा-पढ़ी कर रखी है और वे इस कार्य को आगे बढ़ाने में लगे हुये हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी---इन सहकारी चीनी मिलों के हेतु सरकार संबंधित सहकारी समितियों को कितना रुपया लोन देगी और कितने शेयर खुद खरीदेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---हमने एक रकम तो तय कर ली है जो सहकारी समितियों को देंगे और अभी उन उत्पादकों से हमारी बातचीत चल रही है जो कि इसमें शेयर होल्डर्स बनेंगे, उन शेयर होल्डर्स के धन के अलावा सरकार जितने रुपये की आवश्यकता पड़ेगी उतना धन इनके संचालन के लिये पहले प्रारम्भ में व्यय करेगी।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह सहकारी समितियां सिर्फ गन्ना उत्पादकों की होंगी या मजदूरों को भी उसमें हिस्सा मिलेगा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---अवश्य। जो सहकारी गन्ना फैक्ट्रियां बनेंगी उसमें अभी यह तो निर्णय नहीं किया कि मजदूरों को क्या-क्या चीजें मिलेंगी, लेकिन मजदूरों का भी उन सहकारी फैक्ट्रियों में शेयर होल्डर बनना अवश्य रहेगा, वे अपनी मजदूरी के दाम से शेयर होल्डर बनना चाहेंगे तो बन सकेंगे।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---क्या माननीय मंत्री जी इन सहकारी समितियों को जब कि वे रजिस्टर्ड हों उनके साथ यह शर्त अपनी मदद में लगावेगी कि उन्हें अपनी फैक्ट्रियों में काम करने वाले प्रत्येक कर्मचारी को शेयर होल्डर उस सोसाइटी का बनाना पड़ेगा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---अब यह तो उत्पादकों के जो प्रतिनिधि हैं और जो कि इन फैक्ट्रियों के संचालन करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने वाले हैं उनकी सलाह से ही इन तमाम बातों को निर्णय करना पड़ेगा पहले ही से सरकार ऐसे नियम उनके ऊपर थोपना नहीं चाहती।

श्री मदनमोहन उपाध्याय---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अभी कोई सरकार ने यह निश्चय किया है कि तराई भावर के किस इलाके में यह मिलें लगेंगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---अभी इस विषय में कतई फैसला नहीं किया। लेकिन दो स्थानों पर, बाजपुर और रुद्रपुर में सरकार फैक्ट्री लगाने के विषय पर विचार कर रही है। लेकिन अभी तक इन दोनों स्थानों के लिये सरकार ने कोई कतई फैसला नहीं किया है। अभी कल एक उत्पादकों का डेप्यूटेशन मिलने आया था, उसने सरकार के समक्ष एक दूसरे स्थान पर फैक्ट्री खोलने के विषय में विचार रखा है और और जो स्थान उचित समझे जायेंगे उनके ऊपर विचार किया जायगा और फिर आखिर में फैसला करेंगे।

श्री सुल्तान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद)---क्या सरकार मेहरबानी करके बतायेगी कि जो सर्वे गन्ने का उसने कराया था वह पूरा हो गया और उसके आधार पर उसने यह फैसला कर दिया कि वह कितने मिल और कहां-कहां लगायेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त––नहीं। अभी सर्वे का काम खत्म नहीं हुआ है। लेकिन केंद्रीय सरकार ने प्रदेशीय सरकार से कुछ उन स्थानों के नाम मांगे थे जहां-जहां फैक्ट्रियां लग सकती हैं और प्रदेश की सरकार ने उन १० स्थानों का नाम केंद्रीय सरकार के पास भेज दिया है अपने पुराने तजुर्बे की बुनियाद के ऊपर। जो कार्य हमने एक स्पेशल आफिसर के सुपुर्द किया है उस कार्य की अभी समाप्ति नहीं हुई है।

श्री सुल्तान आलम खां––क्या सरकार वे नाम बतायेगी जो केंद्रीय सरकार के पास भेजे हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त––मैं याद्दाश्त से बता रहा हूं। दो स्थान तो अभी बता चुका हूं एक तो बाजपुर और दूसरा रुद्रपुर, एक इन्दारा, एक अलीगढ़ जिले में है, दो या तीन स्थान मेरठ के जिले में हैं, एक मुजफ्फरनगर में है और एक मैनपुरी का है, इस तरह से करीब १० हैं।

श्री सुल्तान आलम खां––क्या सरकार को यह मालूम है कि फर्रुखाबाद जिले में कायमगंज तहसील के इलाके में गन्ना इतना होता है कि वहां एक से ज्यादा फैक्ट्रीज अगर लगायी जायं तो चल सकती हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त––अभी मैंने बताया कि जो सूचना अभी हमने केंद्रीय सरकार के पास भेजी है उसमें कदाचित फर्रुखाबाद का स्थान नहीं है, लेकिन हमारे जो विशेष पदाधिकारी इसके लिये नियुक्त हैं, वह जब सूचना देंगे तो अवश्य कायमगंज के विषय में भी हम विचार कर लेंगे।

श्री नारायणदत्त तिवारी––क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इन दो सहकारी मिलों में से जो तराई भावर में लगने वाली हैं इनमें से एक मिल जल्दी लगने की आशा है जिससे कि उस क्षेत्र की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त––हमने जो अभी निर्णय किया है उसके अनुसार दो तो वह फैक्ट्रियां लगने वाली हैं और जो एक फैक्ट्री काशीपुर की लगी हुई है उसमें सरकार ने विकास के लिये मदद करने के लिये कहा है और उस फैक्ट्री से कहा है कि वह अपनी कैपेसिटी को बढ़ाये।

आजमगढ़ जिले की रजिस्टर्ड व्यायामशालाओं के सहायतार्थ धन

*२६––**श्री विश्राम राय** (जिला आजमगढ़)––क्या सरकार कृपा करके यह बतायेगी कि आजमगढ़ जिले में कितनी रजिस्टर्ड व्यायामशालायें हैं ?

श्री फूलसिंह––एक।

*२७––**श्री विश्राम राय**––क्या सरकार कृपया बतायेगी कि आजमगढ़ जिले की व्यायामशालाओं के सहायतार्थ कितना रुपया १९५३–५४ और १९५४–५५ में दिया गया ?

श्री फूलसिंह––१९५३–५४ में आजमगढ़ के किसी भी व्यायामशाला को कोई सहायता नहीं दी गई। १९५४–५५ में जनहित व्यायामशाला, देऊपार और आदर्श व्यायामशाला कदमघाट को एक-एक हजार की सहायता दी गई थी।

श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)––क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि किन गुणों को रखने वाली व्यायामशालाओं को वह सहायता देती है ?

श्री फूलसिंह––पिछले सालों में यह स्कीम चालू की गई थी कि एक व्यायामशाला शहर में और एक देहात में खोलने का प्रोग्राम था।

श्री उमाशंकर––क्या सरकार कृपा कर यह बतायेगी कि इनमें से कौन सी व्यायामशाला शहर में है और कौन सी देहात में है ?

श्री फूलसिंह---देऊपार व्यायामशाला देहात में है और कदमघाट शहर में है ।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि जमींदारी विनाश के बाद इन व्यायामशालाओं आदि को जो सहायता उन लोगों से मिलती थी, वह बन्द हो गई है और अब प्रांत के विभिन्न स्थानों पर क्या वह सरकार की तरफ से ऐसी व्यायामशालाओं की स्थापना करेगी, जहां पर कि न केवल लोगों को व्यायाम का मौका मिले बल्कि उन्हें खाना आदि भी देने का प्रबन्ध हो ....

श्री अध्यक्ष---बहुत लम्बा यह आपका सुझाव है, इसे आप लिखकर भेज दीजियेगा ।

श्री शुकदेवप्रसाद (जिला गोरखपुर)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इन रजिस्टर्ड व्यायामशालाओं में कितने रजिस्टर्ड लोग व्यायाम करते हैं ?

श्री अध्यक्ष---यह प्रश्न मजाक का है ।

श्री रामेश्वरलाल---क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतायेंगे कि क्या व्यायाम की आवश्यकता को देखते हुये सरकार हर जिले में एक व्यायाम शिक्षक नियुक्त करने की कृपा करेगी ?

श्री फूलसिंह---जिन जिलों में यह स्कीम चालू है वहां एक एक इंसपेक्टर मुकर्रर किया गया है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार इस व्यवस्था पर विचार कर रही है कि जो व्यायामशालायें रजिस्टर्ड हैं उनको नियत रूप से सहायता दी जाय ?

श्री फूलसिंह---सहायता की दूसरी स्कीम है । काफी व्यायामशालायें ऐसी हैं जिनको सहायता दी जाती है ।

श्री सुल्तान आलम खां---क्या सरकार इस मसले पर गौर कर रही है कि व्यायामशालाओं के बेहतर इन्तजाम के लिये इस सूबे में एक कौंसिल आफ फिजिकल कल्चर फिर दोबारा बनायी जाय ?

श्री फूलसिंह---यह प्रश्न भी विचाराधीन है ।

श्री शिवनारायण---क्या सरकार बाबू विश्राम राय के स्वास्थ्य को देखते हुये दारुलशफा में भी एक व्यायामशाला खुलवाने की कृपा करेगी ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

*२८-२९---श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)---[९ सितम्बर, १९५५ के लिये प्रश्न संख्या ४०-४१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये]

जिला नैनीताल की मनाघेर-ओखलकोडा मोटर रोड को सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बनाये जाने का प्रयत्न

*३०---श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या यह सही है कि नैनीताल जिला प्लानिंग कमेटी को पिछले वर्ष संबंधित करते हुये मुख्य मंत्री ने घोषित किया था कि मनाघेर-ओखलकोडा मोटर रोड को जंगलात विभाग वनोत्पादन वृद्धिहेतु बनायेगा ? अगर हां, तो उस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री फूलसिंह--जी हां। परन्तु भूमि कठिन होने के कारण वन विभाग ने इस संबंध में असमर्थता प्रकट की है। अतः इस सड़क को सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बनाये जाने का प्रयत्न किया जा रहा है।

श्री नरायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इस सड़क को क्या सार्वजनिक निर्माण विभाग ने अपने अधीन कर लिया है या केवल प्रयत्न ही किया जा रहा है ?

श्री फूलसिंह--इस सड़क का सर्वे करने के लिये कुछ रकम वन विभाग को दी गयी थी। उन्होंने जब यह लिखा कि हम उसको नहीं बना सकेंगे तब सार्वजनिक विभाग से कहा गया तो उन्होंने इस बात से सहमति प्रकट की है और यह बात विचाराधीन है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग इस सड़क को ले ले।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या यह सही है कि उसी प्लानिंग कमेटी की मीटिंग में माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह भी आदेश दिया था कि एक लाख रुपया इसी वर्ष सड़क के निर्माण में खर्च किया जाय ?

श्री फूलसिंह--सड़क का निर्माण तो तब हो जब विभाग उसको ले ले।

बस्ती जिले में सरकारी अस्पतालों पर खर्च

*३१--**श्री मथुराप्रसाद पान्डेय** (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बस्ती जिले की प्रत्येक तहसील में कितने और कौन-कौन सरकारी अस्पताल हैं ?

*३२--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उन अस्पतालों पर सरकार प्रत्येक तहसील में कितना-कितना धन व्यय करती है ?

श्री चन्द्र भानु गुप्त--यह सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है।

(देखिये नत्थी "ज" आगे पृष्ठ ५५३ पर)

*३३--**श्री राजाराम शर्मा**--[हटा दिया गया।]

बस्ती जिले में राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंड का एक ब्लाक खोलने का विचार

*३४--**श्री राजाराम शर्मा**--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अगले वर्ष बस्ती जिला में राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंड का एक ब्लाक, मेहदावल कछार और उसके आसपास के बहुत पिछड़े हुये क्षेत्र में, खोलने का वह विचार रखती है ?

श्री फूलसिंह--इस वर्ष नये ब्लाक खोलने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है।

श्री राजाराम शर्मा--क्या सरकार इस पिछड़े क्षेत्र को प्राथमिकता देकर अगले जनतंत्र दिवस पर ब्लाक खोल देगी ?

श्री फूलसिंह--बहुत जल्द ब्लाक खोलने की कोशिश की जायगी।

बस्ती जिले में मुंडेरवा चीनी मिल पर गन्ना उत्पादकों का बकाया

*३५--**श्री धनुषधारी पांडेय**--क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शुगर मिल्स मुंडेरवा, खलीलाबाद, बस्ती तथा वाल्टरगंज में कितना-कितना गन्ना किसानों ने इस वर्ष दिया है ?

नोट:--तारांकित प्रश्न ३१-३२ श्री धनुषधारी पांडेय ने पूछे।

श्री बनारसीदास---मुंडेरवा, खलीलाबाद, बस्ती तथा वाल्टरगंज चीनी मिलों को जो गन्ना किसानों ने इस वर्ष (१९५४-५५ सीजन में) दिया उसका विवरण इस प्रकार है--

(१) मुंडेरवा		२२,३६,७६८ मन ३० सेर
(२) खलीलाबाद	१७,६३,१९१,मन ३० सेर (उत्तर प्रदेश)	
	५,०५७ मन २५ सेर (बिहार)	
		१७,६८,२४९ मन १५ सेर
(३) बस्ती		३१,४५,०६९ मन २५ सेर
(४) वाल्टरगंज		२८,४३,९६६ मन २५ सेर

श्री धनुषधारी पांडेय---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि मुंडेरवा शुगर मिल को किसानों ने जो गन्ना दिया है उस सबके भुगतान दिये गये हैं ?

श्री बनारसीदास---जी नहीं, अभी मुंडेरवा मिल का ४,२९,४२३ रु०, ११ आने ३ पाई इस सीजन का और ६३७ रु० ६ आने ९ पाई पिछले सीजन का बाकी है।

श्री धनुषधारी पांडेय---क्या माननीय मंत्री जी को यह विदित है कि मुंडेरवा की इन हरकतों से, जो कि पेमेंट न करने की हैं, उससे किसान बहुत तबाह हैं और परेशान हैं ?

श्री बनारसीदास---जी हां, यह सही है। इसी वजह से केन कमिश्नर ने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को यह जितना भी बकाया है, मालगुजारी की तरह वसूल करने के लिये सार्टिफिकेट जारी किया है।

*३६-३७---**श्री धनुषधारी पांडेय**---[हटा दिये गये।]

राज्य के महिला चिकित्सालय

*३८---**श्री रामनारायण त्रिपाठी** (जिला फैजाबाद)---क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के कितने जिलों में स्त्रियों के लिये अस्पताल हैं ? क्या सरकार की ओर से ऐसे प्रत्येक अस्पताल में लेडी डाक्टर की नियुक्ति हो गई है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---प्रदेश के सभी जिलों में महिला चिकित्सालय हैं तथा ऐसे सभी चिकित्सालयों में महिला चिकित्साओं की नियुक्ति स्वीकृत है।

*३९---**श्री रामनारायण त्रिपाठी**---राज्य सरकार १९५५-५६ के बजट में किन-किन जिलों में स्त्रियों के लिये अस्पताल खोलने का विचार कर रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---राज्य सरकार वर्तमान बजट वर्ष १९५५-५६ में निम्नलिखित ५ स्थानों पर स्त्रियों के लिये अस्पताल खोलने का निश्चय किया है।

(१) बांसी, जिला बस्ती।
(२) पिलखुवा, जिला मेरठ।
(३) निघासन, जिला खीरी।
(४) मऊ, जिला आजमगढ़।
(५) भदोही, जिला बनारस।

चुर्क सीमेंट फैक्टरी के मजदूरों की कामबन्दी

*४०---**श्री रामसुन्दर पांडेय**---क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चुर्क सीमेंट फैक्टरी, मिर्जापुर में अप्रैल, ५५ के द्वितीय सप्ताह में मजदूरों ने काम बन्दी की थी ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त––जी हां। कामबन्दी का कारण यह था कि उन ८२ मजदूरों की छटनी कर दी गई थी जो फैक्टरी बनाने के लिये रखे गये थे और उसके बन जाने पर फालतू हो गये थे ।

*४१––**श्री रामसुन्दर पांडेय**––क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि चुर्क सीमेंट फैक्टरी मिर्जापुर के मजदूरों की कौन-कौन मांगें पूरी हुईं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त––मजदूरों की मांग यह थी कि छटनी किये गये ८२ मजदूरों को फिर से रख लिया जाय। यह मामला श्रम कमिश्नर के पास भेजा गया और उन्होंने यह कहा कि फैक्टरी बन जाने के बाद फैक्टरी के अधिकारियों ने इन मजदूरों की छटनी वैध रूप से की, अतः उनकी यह मांग स्वीकार नहीं की गई ।

सामुदायिक विकास तथा राष्ट्रीय विकास योजनाओं पर व्यय

*४२––**श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य**––क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में कुल कितनी सामुदायिक विकास योजनायें और राष्ट्रीय प्रसार योजनायें चल रही हैं तथा ३१ मार्च, १९५५ तक उन पर अलग-अलग कुल कितना रुपया व्यय हो चुका है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त––इस समय प्रदेश में २६ सामुदायिक विकास योजना केन्द्र और ९४ राष्ट्रीय प्रसार सेवा केन्द्र चालू हैं। इन ब्लाकों पर ३१ मार्च, १९५५ तक के व्यय की सूचियां सदस्य महोदय की मेज पर रख दी गई हैं ।

(देखिये नत्थी "झ" आगे पृष्ठ ५५४–५५७ पर)

हमीरपुर जिले के विभिन्न चिकित्सालय

*४३––**श्री जोरावर वर्मा**––क्या सरकार बतायेगी कि जिला हमीरपुर में कितने राजकीय एवं सरकार से सहायता प्राप्त एलोपैथिक, आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सालय हैं और उन पर सरकार कितना-कितना धन सहायता अथवा व्यय के रूप में खर्च कर रही है ?

*४४––**श्री जोरावर वर्मा**––क्या सरकार बतायेगी कि इनमें से किन किन के पास उनका निजी भवन है और किस-किस में योग्यता प्राप्त (qualified) डाक्टर, वैद्य और हकीम नहीं हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त––यह सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है ।

(देखिये नत्थी "ञ" आगे पृष्ठ ५५८–५५९ पर)

भारत सरकार द्वारा कुटीर उद्योगों के लिये स्वीकृत धन

*४५––**श्री तेजप्रतापसिंह** (जिला हमीरपुर)––क्या सरकार ने केन्द्रीय सरकार के पास कुटीर उद्योग को विकसित करने के लिये कोई योजना हाल में भेजी है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है तथा उसके लिये कितने रुपये की मांग केन्द्रीय सरकार से की गई है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त––चालू वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार ने जो कुटीर उद्योग सम्बन्धी योजनायें भारतीय सरकार के विचारार्थ भेजी हैं, उनका विवरण नत्थी १ में दिया गया है ।

(देखिये नत्थी "ट" आगे पृष्ठ ५६० पर)

*४६--श्री तेजप्रतापसिंह--क्या केन्द्रीय सरकार ने उक्त योजना मंजूर कर ली है ? यदि हां, तो कुटीर उद्योगों के प्रोत्साहन के लिये उसने कितना रुपया कर्ज में तथा अनुदान के रूप में देना मंजूर किया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--चालू वित्तीय वर्ष के लिये भारतीय सरकार ने जिन योजनाओं के लिये आर्थिक सहायता स्वीकार की है उनका विवरण नत्थी ठ में दिया गया है ।

(देखिये नत्थी "ठ" का उत्तर आगे पृष्ठ ५६१ पर)

प्रदेश में चीनी मिलें खोलने के सम्बन्ध में पड़ताल योजना

*४७--श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि चीनी मिल खोलने के लिये पूरे प्रदेश की पड़ताल कराने की योजना क्या समाप्त हो गयी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जी नहीं ।

एस० डी० एम० को तहसील नियोजन अधिकारी का कार्यभार

*४८-श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ--क्या नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नवीन योजनानुसार अब एस० डी० एम० तहसील नियोजन अधिकारी का भी कार्य करेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जी हां ।

आजमगढ़ जिले की फूलपुर तहसील में जनाना अस्पताल की आवश्यकता

*४९-श्रीमती आशालता व्यास (जिला आजमगढ़)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनाना अस्पताल बनाने की कोई योजना इस वर्ष जिला आजमगढ़ के फूलपुर तहसील में है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जी नहीं ।

बहराइच जिले में चफरिया बाजार-सुजौली-सेभरी क्षेत्र के पास के स्टेशनों पर ईख तोलने के कांटा की आवश्यकता

*५०--श्री झारखंडे राय--क्या सरकार को सूचना है कि बहराइच जिले में निशान गाड़ा और विछया स्टेशन के पास चफरिया बाजार-सुजौली-सेभरी क्षेत्र के पास के स्टेशनों पर ईख का कांटा न होने से किसानों को बड़ी असुविधा होती है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जी नहीं। ऐसी कोई सूचना सरकार को नहीं मिली है ।

जौनपुर जिले के सहायता प्राप्त चिकित्सालय

*५१--श्री बाबूनन्दन--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिला में कितने एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी तथा होम्योपैथिक औषधालयों को सरकारी सहायता दी जाती है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--६ एलोपैथिक, ७ आयुर्वेदिक व यूनानी तथा १ होम्योपैथिक ।

*५२-श्री बाबूनन्दन--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सहायता किन-किन आधारों पर दी जाती है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त––सहायता के आधार ये हैं––

(१) दवा का वितरण निःशुल्क किया जाता हो ।

(२) रोगियों की संख्या तथा चिकित्सालय की प्रसिद्धि ।

(३) चिकित्सा की दृष्टि से पिछड़े हुए स्थान में औषधालय स्थित हो ।

(४) चिकित्सालय का डाक्टर, हकीम या वैद्य निर्धारित योग्यता प्राप्त हों ।

हाथरस में चाकू तथा करघा उद्योग को प्रोत्साहन देने की योजना

*५३––**श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ**––क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उसने हाथरस क्षेत्र के लिये किन-किन कुटीर उद्योगों के प्रोत्साहन देने की योजना बनाई है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त––हाथरस में चाकू उद्योग और करघा उद्योग को प्रोत्साहन देने की योजना बनाई गई है ।

रामपुर जिले की रजा तथा बुलन्द चीनी मिलों की दैनिक पेराई की शक्ति

*५४––**श्री कृष्णशरण आर्य**––क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रामपुर जिले की रजा तथा बुलन्द शुगर मिलों की गन्ना पेरने की शक्ति पृथक-पृथक कितनी है ? क्या सरकार को विदित है कि उक्त मिलों के क्षेत्रों में काफी गन्ना पिरने से हर वर्ष बच रहने से खेतों में सड़ता है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त––रामपुर जिले की रजा तथा बुलन्द चीनी मिलों में से प्रत्येक की दैनिक पेराई की शक्ति ३१,००० मन के लगभग है ।

यह सही नहीं है कि उक्त मिलों के क्षेत्रों में काफी गन्ना पेराई से बच रहने के कारण खेतों में सड़ता है ।

अतारांकित प्रश्न

प्लानिंग कार्यालय, फैजाबाद के लिपिकों में हरिजन

१––**श्री रामदास रविदास** (जिला फैजाबाद)––क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्लानिंग आफिस, फैजाबाद में कुल कितने क्लर्क हैं ? उसमें कितने हरिजन हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त––प्लानिंग आफिस फैजाबाद में कुल २५ क्लर्क है, जिनमें केवल एक हरिजन है ।

२––**श्री रामदास रविदास**––क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्लानिंग आफिस के लिये कितने क्लर्कों का चुनाव जनवरी, १९५५ में हुआ ? उसमें कितने हरिजन चुने गये ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त––कोई चुनाव नहीं हुआ । हरिजन के भी चुनाव का प्रश्न नहीं उठता ।

कप्तानगंज, जिला आजमगढ़ में आयुर्वेदिक चिकित्सालय खोलने का विचार

३––**श्री विश्रामराय**––क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि सगड़ी तहसील, जिला आजमगढ़ में कितने आयुर्वेदिक और एलोपैथिक चिकित्सालय इस वर्ष खोलने की योजना है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त––इस वर्ष इस तहसील में कप्तानगंज नामक स्थान पर एक आयुर्वेदिक चिकित्सालय खोलने के प्रश्न पर विचार हो रहा है ।

इटावा जिले के सहायता प्राप्त औषधालय

४–**श्री तुलाराम** (जिला इटावा)––क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इटावा जिले में कहां-कहां सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त औषधालय हैं ? इनमें से प्रत्येक को अलग अलग कितना रुपया सालाना सरकार देती है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त––वांछित सूचना की फिहरिस्त मेज पर रख दी गई है ।

(देखिये नत्थी "ड" आगे पृष्ठ ५६२ पर ।)

देवरिया जिले के रुद्रपुर इलाके में भुखमरी विषयक कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष––माननीय मुख्य मंत्री जी, कल जो काम रोको प्रस्ताव आया था, उसके मैंने कागजात भेज दिये थे। आप कोई वक्तव्य देंगे उसके संबंध में ?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)––अध्यक्ष महोदय-आपने जो कागज मेरे पास भेजे थे उन से ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय राजनारायण जी के पास दो जगहों के पत्र आये। एक तो कोई हैं श्री चन्द्रवली सिंह, संयुक्त मंत्री प्रजा-सोशलिस्ट पार्टी, देवरिया और एक बयान है राजेंद्र त्रिपाठी, दोहली बुजुर्ग के उनका। इन पत्रों में कई बातें हैं लेकिन खासतौर से शायद इसी बात पर जोर है कि लोग भूखों मर रहे हैं और ७ व्यक्ति भूख से मर भी गये हैं। मैंने इस बात की जांच कराई डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से। तो उन्होंने जो सूचना मुझको दी है वह मैं आपके सम्मुख रखता हूं। उनका कहना है कि वहां ७ व्यक्ति मरे हैं लेकिन उनमें से भूख से किसी एक के भी मरने का सवाल नहीं है। उनके नाम भी दिये हुये हैं और उनका विवरण भी है। अगर आप आज्ञा दें तो मैं पढ़ दूं।

श्री अध्यक्ष––पढ़ दीजिये।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द––एक लड़की थी खुलेसरी, दो वर्ष की। बीमार थी। उसकी माता जीवित हैं और बिल्कुल सही सलामत हैं। एक दूसरे साहब थे जिनका नाम था गणराज ७५ वर्ष की उम्र थी, बूढ़े आदमी थे, बीमारी से मर गये। एक हरबंश डेढ़ साल का बच्चा था। बीमार था। माता उसकी जीवित हैं और बिलकुल ठीक हैं और किसी की मृत्यु उस घर में नहीं हुई है। एक लड़के का नाम मालूम नहीं। बंगाली उसके पिता का नाम था। दो वर्ष का लड़का था। वह भी ८–१० दिन से बीमार था। मां उसकी भी जीवित है ज्यों की त्यों। दो बच्चे १५–१५ दिन के थे। एक की मां का नाम जानकी और दूसरी का नाम बिदारन है। दोनों मातायें जिन्दा हैं। ये बच्चे जैसे और इन्फैंट मार्टैलिटी होती है उसी प्रकार ये भी मर गये। एक बूधर धोबी थे। ४० वर्ष की उम्र थी। वे बीमार थे।

एक बात और भी है। जो राजेंद्र त्रिपाठी सज्जन थे उन्होंने २० अगस्त को एक लिखित बयान दिया है कि पहले जो मुझको सूचना मिली थी कि ये लोग भूख से मरे वह सूचना गलत थी और ये लोग सब नेचुरल डेथ से मरे हैं। वह बयान डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास है। मैंने उनसे कहा है कि स्पेशल मेसेंजर से भेज दें। वह कल यहां आ जायगा तब मैं उसे भी सदन की सेवा में उपस्थित कर सकूंगा।

एक चीज और निवेदन करना चाहता हूं जिससे कि जो बयान आया है वह कितना अतिरंजित है वह बतला सकूं।

श्री अध्यक्ष––मैं समझता हूं कि फिर कल जब वह बयान आ जायगा उसी वक्त यह भी पढ़ कर सुना दें तो ज्यादा अच्छा हो।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--मृत्यु की बात नहीं है। दूसरी बात है। उन्होंने लिखा है कि ४० दिन से वहां बहुत से खेतिहर मजदूर बेकार पड़े हुये हैं बाढ़ की वजह से। मैं केवल इतना ही निवेदन करता हूं कि आज २४ तारीख है, कई दिन पहले की बात है। तो ४० दिन पहले के माने हैं कि कोई ८-१० जुलाई से वहां बाढ़ आ गयी जो कि सब को मालूम है कि ऐसा नहीं हुआ लिहाजा कितना अतिरंजन इस बयान में है उसका उदाहरण मैंने प्रमाण मात्र दिया है।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि कल वह आ जायगा तो उसको सुनने के बाद फैसला दूंगा।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)--श्रीमन्, इस संबंध में हमको कहने की क्या आज्ञा है?

श्री अध्यक्ष--मैं तो चाहता था कि वह पढ़ कर सुना दें उस वक्त मैं आपको एक मौका दूंगा।

श्री राजनारायण--तो कल आप मुझे मौका देंगे?

श्री अध्यक्ष--जी हां।

*उत्तर प्रदेश कृषि रोगों एवं नाशक कीटों का विधेयक, १९५४

नया खंड ७-क (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष--अब उत्तर प्रदेश कृषि रोगों एवं नाशक कीटों का विधेयक, १९५४ पर विचार जारी होगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--अध्यक्ष महोदय मैं कल यह कह रहा था कि माननीय रामसुभग वर्मा जी ने जो संशोधन इस धारा में रखा है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। दो बातें इसमें स्पष्ट हैं और मैं समझता हूं कि इस संशोधन के स्वीकार हो जाने से बहुत कुछ आसानी उन लोगों को हो जायगी जिनको कि परेशानी होगी व्यय वसूल करने में। अध्यक्ष महोदय, पहली बार एक संशोधन आया था कि औपचारिक व्यय लोगों से न लिया जाय। जिसे माननीय कृषि मंत्री जी ने स्वीकार नहीं किया, फिर इसके बाद माननीय राम नारायण त्रिपाठी जी का संशोधन आया कि तीन एकड़ भूमि वाले किसानों से व्यय न लिया जाय उसे भी अस्वीकार कर दिया गया। अब यह तीसरा संशोधन माननीय रामसुभग जी वर्मा का है कि जहां अत्यधिक या सम्पूर्ण क्षति हो गई हो और वहां के औपचारिक व्यय को सरकार स्वयं वहन करे। अध्यक्ष महोदय, कल कृषि मंत्री जी ने कहा था कि यह कोई प्राकृतिक विपत्ति नहीं है, जैसे कि प्राकृतिक विपत्ति बाढ़ है, नदी का कटाव है, ओला और टिड्डी दल आदि है। उसी प्रकार फसल के रोगों का भी है, क्योंकि यह रोग अपने आप होते हैं। मैं अपने अनुभव की बात बतलाता हूं कि गन्ने मटर वगैरा की खेती में इस प्रकार के रोगलग जाते हैं और जब यह रोग किसी क्षेत्र या स्थान में लग जाते हैं और इन कीटाणुओं का नाश करने के लिये सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था होगी तो यह साधारण सी बात है कि उसमें खर्चा ज्यादा होगा और जिस किसान की जिस व्यक्ति की सारी फसल रोग से ग्रसित हो गई हो और उसकी सारी फसल जलाई जाय या नष्ट की जाय तो ऐसी सूरत में विचार करना है कि जिस किसान की फसल बरबाद की जायगी तो क्या वह किसान क्या वह व्यक्ति उस औपचारिक व्यय को वहन कर सकेगा?

---

*२३ अगस्त, १९५४ की कार्यवाही में छपा है।

[श्री रामसुन्दर पांडेय]

अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि जिसका गन्ने का खेत है वह छै महीने पहले गन्ना बोने के लिये खेत को खाली छोड़ देता है। इसके बाद खेत को जोतने, खाद देने, बीज डालने और बड़ी मेहनत के बाद जाकर कहीं गन्ना पैदा होता है और जब गन्ना बड़ा हो जाय तो रोग लग जाय और उस समय कृषि मंत्री जी उसको उखाड़ने का, नष्ट करने तथा जलाने का आदेश दें तो मैं आपके द्वारा माननीय कृषि मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जिस किसान की सारे गन्ने की फसल जल गई, वह किसान कैसे आपके औपचारिक व्यय को बरदाश्त कर सकता है? जब कि वह पहले मालगुजारी दे, गन्ने के बीज की कीमत दे और देखभाल तथा खेती की निगरानी करे और फिर अपने खेत के नष्ट हो जाने पर अपने बच्चों को भूखा नंगा रखकर तथा अपनी जायदाद को बेचकर सरकारी खर्चा अदा करे।

मैं समझता हूं कि यह अव्यवहारिक गल्ती होगी और किसान खर्चा न देने के लिये मजबूर होगा। अध्यक्ष महोदय, जमींदार जमींदारी खत्म होने से पहले मालगुजारी अदा न करने के लिये ही हवालात में जाता था, लेकिन अब तो किसान भी मालगुजारी अदा न करने की वजह से जाया करता है। मेरी गुजारिश यह है कि इस तरह के संशोधन को स्वीकार कर ल तो बड़ी सहायता होगी। आप देखेंगे कि यह स्पष्ट है कि जिसके जिम्मे यह काम सुपुर्द किया जायगा उसी के ऊपर व्यय लगाने का अधिकार होगा और वह मालगुजारी की तरह से वसूल किया जायगा। मैं समझता हूं कि जैसे बाढ़ में, कटाव में, टिड्डियों में और ओलों में मालगुजारी की माफी होती है। इसी प्रकार से इसमें भी मालगुजारी की माफी के लिये निवेदन किया जा सकता है और औपचारिक व्यय की माफी के लिये संशोधन इस विधेयक में लाना कोई अनुचित नहीं है।

मैं समझता हूं कि व्यय के संबंध में सरकार नम्रतापूर्वक विचार करे और इस आदरणीय सदन को भी विचार करना चाहिये कि किसान इस खर्चे को बरदाश्त नहीं कर सकेगा। जिस गांव का सारा इलाका रोग ग्रस्त हो गया हो और इस रोग से मुक्ति दिलाने के लिये जो सरकार का व्यय हुआ है उससे किसान को कोई लाभ नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय, यदि किसान को कुछ लाभ हो गया हो। कुछ फसल बच गयी हो, ३/४ फसल बच गयी हो तो उस किसान से वसूल किया जाय तब तो यह बात कुछ समझ में आती है, लेकिन सरकार की ओर से रुपया खर्च किया जाय और उस रुपये की वसूली किसान से की जाय और उस किसान से की जाय जिसके पास एक पैसे का सामान भी खेत के अन्दर पैदा नहीं हुआ है तो ऐसे किसान से औपचारिक रुपया वसूल करना मैं समझता हूं बहुत बुरा होगा? मैं आपके जरिये से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि यह धारा जो इस विधेयक में रखी गयी है वह जले पर नमक छिड़कने का काम करेगी। किसान सारा खर्चा वहन करे और फिर आपको मालगुजारी भी दे और खानदान वालों को भूखे भी मारे और सरकार उससे रुपया वसूल करने के लिये उसको जेलखाने में ठूंस दे यह किसी प्रकार से उचित नहीं है। इस विधेयक का प्रान्त की ६ करोड़ जनता से सम्बन्ध है और खासतौर पर गरीब जनता से इसका बहुत सम्बन्ध है। मैं समझता हूं कि सरकार को आगे चलकर इससे बहुत परेशानी उठानी पड़ेगी और तब ऐसा वक्त भी आ सकता है कि सरकार खुद इस प्रकार के संशोधन को लाये। इसलिये मैं इन शब्दों के साथ फिर उनसे निवेदन करता हूं कि वह इस संशोधन को स्वीकार करने की कृपा करें।

*श्री राजनारायण (जिला बनारस)—श्रीमन्, मैं आज पुनः आपके द्वारा माननीय मंत्री जी की सेवा में रचनात्मक सुझाव देना चाहता हूं और वह रचनात्मक सुझाव यह है कि यदि किसी किसान की फसल को बचाने के लिये कोई निरोधशील अथवा और औपचारिक उपाय किया जाय और उस उपाय के बाद भी उसकी फसल न बचे तो उस किसान से व्यय न लिया जाय। माननीय मंत्री जी की ओर से जो धारा रखी गयी है उसके अनुसार चाहे उस किसान की फसल बचे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

या न बचे, चाहे उसकी फसल को दवा के छिड़काव से फायदा हो या न हो, चाहे उसकी पूरी फसल क्यों न नष्ट हो जाय, मगर उसके औपचारिक उपाय में जो व्यय होगा वह उस किसान को देना होगा। अब मैं आपके द्वारा माननीय कृषि मंत्री से पूछना चाहता हूं कि ऐसे किसान से औपचारिक व्यय लेना कहां का न्याय है? यह कहां की बुद्धि है और कहां के रचनात्मक कार्य का प्रमाण है। जब इस सदन में सरकार के सामने कोई संशोधन पेश किया जाता है तो सरकार उसको यह कहकर टाला करती है कि यह रचनात्मक नहीं है यह तो विध्वंसात्मक है। मैं तो श्रीमन् परेशानी मे पड़ जाता हूं कि आखिर इस माननीय मंत्री जी के विधेयक में कौन सा संशोधन रखा जाय, जिसको रचनात्मक संशोधन कहकर माननीय मंत्री जी स्वीकार करें। माननीय मंत्री जी की ओर से बराबर इस बात का सुझाव दिया जाता है और इस बात की दुहाई दी जाती है कि वह जितने कदम उठाते हैं वह सब किसानों के हित में ही उठाते हैं और जन विकास केलिये उठाते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि लगान की माफी की और लगान की कानून की धारा है उसमें यह बात मान ली गयी है कि अगर किसी फसल का आधा या आधे से ज्यादा नुकसान हो जाय तो लगान में छूट हो जायगी। जिस संशोधन पर मैं पहले बोला था वह माननीय रामनारायण त्रिपाठी जी का संशोधन था। उसमें लगान को माफ करने की बात कही गयी थी उसको भी मंत्री जी ने नहीं माना था, क्योंकि वह अपनी हठवादिता पर दृढ़ थे। इससे न्यायपूर्ण संशोधन और क्या हो सकता है कि जिसकी फसल बरबाद हो जाय उससे लगान वसूल न किया जाय। मगर लगान वसूल न करने के संशोधन को न मानने के बाद उसको लगान भी देना पड़े और फसल नष्ट हो जाने के बाद जो छिड़काव का व्यय हो उसकी वसूली भी उस किसान से की जाय। मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इस संशोधन को अवश्य मानें। इसमें उनकी कोई बेइज्जती न होगी और न इसमें कोई लज्जा की ही बात है। अगर वे इस रचनात्मक सुझाव को मान लेंग तो हम में उन्हें रचनात्मक सुझाव देने की इच्छा होती रहेगी, लेकिन माननीय मंत्री जी मानें तब ना। माननीय मंत्री जी तो रचना को विध्वंस और विध्वंस को रचना मानते हैं।

मैं पुनः सदन का ज्यादा समय न लेकर माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्री जी उन किसानों की सहायता करें जिनकी फसल पूर्णतया नष्ट हो गयी है और वे माननीय राम सुभग वर्मा के संशोधन को स्वीकार कर लें। उन्होंने अपने संशोधन में रक्खा है कि हानि की मात्रा अत्यधिक हो या संपूर्ण हो यानी आधे से अधिक या संपूर्ण हो तो औपचारिक उपाय का व्यय सरकार को न लेना चाहिये। होना तो यह चाहिये था कि उसका लगान भी माफ होता और दवा छिड़कने का दाम भी उससे नहीं लिया जाना चाहिये था, लेकिन जब मालगुजारी सरकार लेना चाहती है तो सरकार की कम से कम यह नीयत तो नहीं होनी चाहिये कि उसकी फसल के अत्यधिक या बिलकुल नष्ट होने पर उससे दवा का व्यय भी ले। इन शब्दों के साथ मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से पुनः निवेदन करूंगा कि वे इस संशोधन को मंजूर करके एक सत् मार्ग का अवलंबन करें और यदि वे सत् मार्ग का अवलंबन करेंगे तो अवश्य ही वे इस संशोधन को स्वीकार करेंगे ऐसा मेरा विश्वास है।

श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे संशोधन को हमारे पूर्व वक्ताओं ने बिलकुल साफ कर दिया है। मेरा प्रस्ताव यह है कि निरोधशील अथवा औपचारिक उपाय के बाद भी यदि किसी गांव, क्षेत्र या इलाके में हानि की मात्रा अत्यधिक हो या सम्पूर्ण हो तो ऐसी दशा में निरोधशील अथवा औपचारिक उपाय का व्यय लेना आवश्यक न होगा। मेरा यह संशोधन बिलकुल सीधा-सादा है और इसको हमारे पूर्व वक्ताओं ने साफ भी कर दिया है, लेकिन कल माननीय मंत्री जी ने इसका विरोध करते हुए, उदाहरण यह दिया कि कोई आदमी बीमार हो और एक डाक्टर उसकी दवा करे, वह आदमी मर जाय तो क्या उसकी दवा का दाम नहीं दिया जायगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, बीमार आदमी की दवा करने वाले डाक्टर पर उसकी पूरी जिम्मेदारी होती है। अगर वह बीमार व्यक्ति उस डाक्टर के सारे परिश्रम करने के बाद भी मर जाता है तो वह डाक्टर नाकाबिल समझा जाता है और फिर उस डाक्टर से

[श्री रामसुभग वर्मा]

कोई भी आदमी दवा नही कराता और न उनके पास ही जाता तथा धीरे-धीरे उसकी डाक्टरी खत्म हो जाती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, उसी प्रकार से माननीय कृषि मंत्री जी भी अपनी दूकान को समाप्त करना चाहते हैं। कृषि मंत्री जी भी किसानों के डाक्टर हैं और वे जो इस प्रकार का कानून बनाते है वह किसानों के लिये उल्टा ही पड़ता है। यह कृषि रोगों का जो विधेयक यहां पेश हुआ है उससे यह मालूम होता है कि रोगों के बारे में किसानों को नोटिस दिया जायगा उससे उनकी परेशानी बढ़ जायगी। मान लीजिये किसी किसान के गन्ने के खेत में गेरुआ लग गया। आजकल अगर गेरुआ लग जाता है तो किसान लोग उसके पत्ते काट देते हैं और इस प्रकार से बीमारी समाप्त हो जाती है। तो अगर किसी के खेत में थोड़ा सा गेरुआ लगा है या केवल एक या दो गट्टा में ही गेरुआ लगा है तो कोई भी कर्मचारी उसके पास जाकर यह कह सकता है कि तुम्हारे खेत में बीमारी है। इसकी रिपोर्ट करने के बाद मैं उसको नष्ट कराऊंगा। अब वह किसान सोचेगा कि फसल कटने के लिये तैयार है, अगर ऐसे समय में फसल बरबाद होती है तो वह भी बरबाद हो जायगा, इससे उसकी बचत के लिये मामले को ले देकर खत्म करा लो और इस प्रकार से वह मामले को ले देकर खत्म करा लेगा। इस तरह से एक प्रकार से बीमारी वाले मामले में किसानों को बहुत बड़ी परेशानी है। तो इस तरह से बहुत से ऐसे केसेज हैं। माननीय मंत्री जी किसानों के डाक्टर हैं और अपने जाने वे किसानों की डाक्टरी करने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन अन्त में जाकर बीमारी के लिये वह दवा किसानों के उल्टा पड़ती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां पर कई कानून ऐसे पास हुए हैं, जो बाहर जाकर देखने पर गलत साबित हुए हैं। जैसे स्पेशल पड़ताल वाला कानून रहा है, उसके लिये सोचा गया कि इससे किसानों का भला होगा, जो गलत खाते हैं वे दुरुस्त हो जायंगे, लेकिन जब कानून पास हुआ तो यहां से लिखकर लेखपालों के पास गया कि वे मौके पर जाकर पड़ताल करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे क्या कहूं कि देहातों की हालत क्या है। स्पेशल पड़ताल के बाद इतनी गलती बढ़ गयी है कि आज गांव-गांव में, हर गांव में झगड़े, बलवे, फौजदारी और कत्ल तक की नौबत आ गयी है। तो यहां से यह सोचा गया था कि सारी गलती दुरुस्त हो जायगी, लेकिन उल्टा हुआ। ठीक उसी तरह से रेहन वाला कानून है। उसकी वजह से देहातों में तमाम झगड़े और गड़बड़ी पैदा हो गयी। तो उसी सिलसिले में मैं यह बतलाना चाहता हूं कि यह जो दुनिया भर की बातें हैं, सरकार अनेक प्रकार के उपाय करती है और उसके बावजूद भी फसल आधी या उसके अधिक नुकसान की बात हो जाती है तो हमारा यह संशोधन है कि उस समय सरकार को औपचारिक व्यय माफ कर देना चाहिये। चाहिये तो यह कि लगान भी माफ कर दे लेकिन अगर वह न कर सकें तो कम से कम बीमारी के दवादारू करने पर भी फसल नष्ट हो गयी तो उसका व्यय तो उसे माफ ही कर दिया जाय। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा बिल्कुल सीधा सादा संशोधन है। अगर माननीय मंत्री जी इसको मान लें तो इससे किसानों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी।

कृषि मंत्री (श्री हुकुमसिंह)--माननीय अध्यक्ष महोदय, यह संशोधन कहां तक ठीक है और कहां तक गलत है इस सम्बन्ध में मैंने कल अपनी बातें कह दीं। आज मैंने जो तकरीर सुनी उसमें कोई नयी बात नहीं कही गयी और न इस बात का प्रयत्न किया गया है कि जो हमारी दिक्कतें हैं उनको हल किया जाय। एक बात मुझे और नयी मालूम होती है कि जिस तरह से यह तरमीम रखी गयी है, मैं श्रीमान् की आज्ञा से उसको पढ़ देना चाहता हूं--

खंड ७ के बाद नया खंड ७-क निम्न रूप में रख दिया जाय---

"७-क---किन्तु निरोधशील अथवा औपचारिक उपाय के बाद भी यदि किसी गांव, क्षेत्र या इलाके में हानि की मात्रा अत्यधिक हो..."

तो यह एक नयी धारा हमारे मित्र चाहते हैं कि बनायी जाय, लेकिन जितना कानून मैंने आज तक पढ़ा, कोई धारा हमने "किन्तु" से शुरू होते हुए नहीं देखी। आज तक किसी कानून में मैंने नहीं देखा, ताजीरात हिन्द की किताब को मैंने पढ़ा है, ट्रांसफर आफ प्रापर्टी ऐक्ट को भी पढ़ा है, सिविल प्रोसीज्योर कोड को पढ़ा है, क्रीमिनल प्रोसिज्योर कोड को भी पढ़ा है, दुनिया भर की किताबें मैंने पढ़ी हैं, लेकिन किसी धारा को मैंने "किन्तु" से शुरू होते हुए नहीं देखा। तो इस तरह से जिस शक्ल में यह तरमीम रखी गयी है उस शक्ल में अगर इसको मान लिया जाय तो उस कानून की कैसी शक्ल हो जायगी, मैं नहीं समझता। तो ऐसी सूरत में इस ढंग की कोई धारा न कभी बनी है और न बनेगी। जहां तक मेरा ख्याल है। ऐसी सूरत में इस तरमीम को हम कैसे मंजूर कर लें। इच्छा तो हमारी थी कि हम कोई न कोई तरमीम मंजूर करें, लेकिन इस शक्ल में जब वह लायी जायगी तो हम कतई मजबूर हैं कि इसका विरोध करें। लिहाजा इसका भी मैं विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ७ के बाद नया खंड ७-क निम्न रूप में रख दिया जाय--

"७-क--किन्तु निरोधशील अथवा औपचारिक उपाय के बाद भी यदि किसी गांव, क्षेत्र या इलाके में हानि की मात्रा अत्यधिक हो या सम्पूर्ण हो तो ऐसी दशा में औपचारिक उपाय का व्यय लेना आवश्यक न होगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

खंड ८

व्यय के विरुद्ध अपील।

८--(१) धारा ७ में अभिदिष्ट कोई भी ऐसा अध्यासी उससे प्रथम बार ऐसे व्यय की मांग किये जाने पर मांग के दिनांक से ३० दिन के भीतर निम्नलिखित के आधार पर अपील कर सकता है कि--

(क) व्यय के अन्तर्गत श्रम, सामग्री अथवा उपकरणों के प्रयोग से भिन्न अन्य परिव्यय की मदें भी हैं,

(ख) श्रम, सामग्री अथवा उपकरणों के प्रयोग के लिये परिव्यय अतर्क्य रूप से अधिक (unreasonably high) है अथवा वास्तविक व्यय से कहीं अधिक है।

(२) उपधारा (१) के अधीन अपील प्राप्त होने पर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अध्यासी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् ऐसी आज्ञायें दे सकता है जिन्हें वह उचित समझे।

(३) उपधारा (२) के अधीन दी गई कोई भी आज्ञा अन्तिम और निश्चायक होगी तथा किसी भी विधि न्यायालय में उस पर आक्षेप न किया जा सकेगा।

श्री शिवकुमार शर्मा (जिला बिजनौर)--अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड ८ के उपखंड (१) की पंक्ति १ में शब्द "उससे" निकाल दिया जाय।

यह बिल्कुल शाब्दिक संशोधन है, "उससे" के निकालने से कोई इसकी भावना या स्प्रिट में अन्तर नहीं पड़ता है। अतः मेरा निवेदन है कि इसको स्वीकार किया जाय।

श्री हुकुम सिंह--मुझे स्वीकार है ।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न है कि खंड ८ के उपखंड (१) की पंक्ति १ में शब्द "उससे" निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)--अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड ८ के उपखंड (३) को निम्न रूप में रख दिया जाय--

"(३) उपधारा (२) के अधीन दी गई किसी भी आज्ञा की अपील उस आज्ञा के दिनांक से ३० दिन के भीतर, जिला जज के यहां हो सकेगी। जिला जज का निर्णय अन्तिम होगा।"

अध्यक्ष महोदय, जहां एजेंडे में "कर सकेगा" छपा है वहां मैंने "हो सकेगी" कर दिया है। इसमें यह रखा गया है कि जिलाधीश के निर्णय की कोई अपील नहीं हो सकेगी। मैंने संशोधन में रखा है कि जिलाधीश का जो फैसला होगा उसके पश्चात् ३० दिन के भीतर जिस कृषक के खिलाफ सजा, जुर्माना आदि की वसूली की व्यवस्था होगी उसके विरुद्ध ३० दिन के भीतर जिला जज के यहां अपील हो सकेगी। हम समझते हैं कि विधान सभा के सदस्य इस बात को मानते हैं कि जुडीशियरी और एक्जिक्यूटिव बाडी अलग होने चाहिए, तो मैं देखता हूं कि धारा ८ में जिलाधीश को ही फैसला देने का अधिकार है वही आर्डर देगा कि इस सम्बन्ध में कृषक से क्या व्यय लेना चाहिए जो कि उसके खेत से कीटाणुओं के मारने में खर्च हुआ है। और उसी का फैसला अन्तिम होगा इसलिये मैं समझता हूं कि जो व्यक्ति हुक्म देगा यदि उसी के यहां अपील हुई तो कहां तक उस व्यक्ति के साथ न्याय होगा यह सन्देहप्रद है। इसलिये मैं समझता हूं कि धारा २ में यह संशोधन हो जाय तो उत्तम रहेगा। धारा २ इस प्रकार है :--"(२) उपधारा (१) के अधीन अपील प्राप्त होने पर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अध्यासी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् ऐसी आज्ञायें दे सकता है जिन्हें वह उचित समझे।" तो जिलाधीश के फैसला दे देने के बाद जिला जज को ही अन्तिम फैसला देने का अधिकार होना चाहिये। क्योंकि जिलाधीश जो है वह अंधेरे में रह सकता है, क्योंकि उसको अधिकार दिया गया है कि वह अपने पावर्स को दूसरे को दे सकता है और जिलाधीश की आज्ञानुसार जब जो अधिकारी उसका निर्णय देगा या जो व्यवस्था करेगा तो अभी तक तो यही देखा गया है कि वह उसको डिटो ही करता है। यह बहुत कम होता है कि वह अपने निर्णय के विरुद्ध कोई फैसला दे। मैं समझता हूं कि जिला जज के यहां उस व्यक्ति को जिसके विरुद्ध जुर्माना या व्यय प्राप्त करने की आज्ञा दी गई है जिला मैजिस्ट्रेट के फैसले की अपील होगी तो न्यायसंगत होगा। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह इसे स्वीकार करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष--(श्री गेंदा सिंह और श्री रामनारायण त्रिपाठी से) आप लोगों के संशोधन भी उसी प्रकार हैं। गेंदा सिंह जी का संशोधन तो कमिश्नर जो जिला जजों में से हो उसके यहां अपील हो ऐसा है और श्री रामनारायण त्रिपाठी जी का खण्ड को निकालने का है। तो (श्री गेंदा सिंह से) यदि आप अपना संशोधन उसी संशोधन में संशोधन करके पेश कर दें या स्वतन्त्र रूप से रख दें तो पहले उसको ले लें। यह जल्दी करने के ख्याल से सुझाव है। इसी तरह रामनारायण त्रिपाठी जी का भी है। अगर आप तीनों के संशोधन एक साथ आ जायं तो मैं तीनों को एक साथ सदन की राय के लिए रख दूंगा।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)--मैं पेश नहीं करूंगा।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)---मेरे भी संशोधन का जो मंशा था मैं समझता हूं कि माननीय जोरावर वर्मा जी के संशोधन से मेरा काम चल जाता है। इसलिये मैं उनके संशोधन का समर्थन करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक की सारी योजना ही ऊलजलूल बनाई गई है। एक ओर तो सरकार दावा यह करती है कि धीरे-धीरे एक्जीक्यूटिव और जुडीशियरी को अलग कर दिया जायगा, लेकिन जब विधेयक बनाये जाते हैं तो एक ही अधिकारी को सब अधिकार दे दिये जाते हैं। इस वक्त मुझे महात्मा गांधी जी के शब्द याद आते हैं कि जिला मैजिस्ट्रेट अपने स्थान पर गवर्नर है। शासन के विकेन्द्रीकरण के दावे के बावजूद भी सरकार ने आज तक ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जिससे कलेक्टर के पास कोई एक प्रकार के अधिकार रहें। इसमें आपने देखा कि जिला मैजिस्ट्रेट ही तो आज्ञा देगा कि कहां यह विधेयक लागू हो। इसके बाद सारी कार्यवाही वह करेगा और उसके बाद अपील भी वही सुनेगा और माननीय मंत्री जी ने खंड ८ की उपधारा ३ में यह व्यवस्था कर दी है कि आगे कोई अपील भी नहीं होगी और न्याय के सारे दरवाजे बन्द हो जायेंगे तो इस किस्म के विधेयक को इस सदन में उपस्थित करने से सदन की मर्यादा नष्ट होती है और मैं माननीय मंत्री जी से कहूँगा कि जितने सिद्धान्तों की घोषणा की जाती है उनको मद्देनजर रख कर ही यदि विधेयक बनाये जायं तो उत्तम हों। जोरावर वर्मा जी ने जिला जज के यहां अपील करने की बात रखी है, क्योंकि एक व्यक्ति है जिसको कोई तकलीफ है और जिसके साथ ज्यादती की सम्भावना है, जिला मैजिस्ट्रेट अपने नीचे के अधिकारियों के आधार पर ही सारी कार्यवाही करता है और उसके पास इतने अधिक काम हैं कि अगर वह सिर्फ खतों को ही पढ़ना शुरू कर दे तो वह सुबह से शाम तक खत ही पढ़ता रहे, तो ऐसी सूरत में न्याय की दृष्टि से और व्यावहारिकता की दृष्टि से भी जिला मैजिस्ट्रेट के पास अपील नहीं होनी चाहिये, क्योंकि हो सकता है कि जिला मैजिस्ट्रेट सही न्याय न दे सके तो ऐसी हालत में जिला जज के पास ही अपील की व्यवस्था होनी चाहिये और मैं समझता हूं कि माननीय कृषि मंत्री जी को इस संशोधन को मानने में कोई एतराज न होगा।

श्री हुकुमसिंह---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने क्रिमिनल ला जहां तक समझा है बड़े बड़े मामलात में अगर ५० रुपये जुर्माना कर दिये जाते हैं तो उसकी कोई अपील नहीं है, रिवीजन हो सकता है, लेकिन अपील नहीं होती। यह जब साधारण सा कानून है एमर्जेन्सी की हालत में यह कानून लागू होगा और ५० रु० इसमें मेक्जिमम जुर्माना रखा गया है तो वाकया यह है कि सीरियस केसेज में भले ही मेक्जिमम जुर्माना हो जाय वर्ना कहीं १०, कहीं ५ और कहीं १५ रुपये जुर्माने होते हैं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी धारा ९ पर भाषण दे रहे हैं जब कि धारा ८ पर विचार हो रहा है, जो कि जुर्माने की वसूली से सम्बन्ध रखती है।

श्री हुकुम सिंह---मैं इसके बारे में मान गया। यह जुर्माना ऐसा जुर्माना नहीं है जो किसी जुर्म के एवज में वसूल किया जाय, बल्कि जो अखराजात होंगे वे लिये जायेंगे चाहे १०० हो या ५०० हों। अखराजात के सम्बन्ध में फिर एक अपील कलेक्टर के यहां होगी। इतना बड़ा और अहम मामला नहीं कि जज के यहां अपील हो। गेंदा सिंह जी कहते थे कि कमिश्नर के यहां हो। एक नया जज कमिश्नर नियुक्त किया जाय। वह भी तरमीम इसमें थी लेकिन वह समझते हैं कि जज वाले से हमारा काम चल जायगा। तो ऐसे साधारण काम में और एमर्जेन्सी मेजर्स में दो अपीलें प्रोवाइड करना कहां तक मुनासिब होगा जब कि आम तौर से शिकायत हुआ करती है कि जस्टिस बड़ा महंगा है, न मालूम कितनी कितनी अपीलें प्रोवाइडेड हैं। तमाम कमेटियां बैठीं और कुछ कमेटियों की राय है कि अपीलें

[श्री हुकुम सिंह]

ज्यादा न हों। कुछ ऐसे मामले हैं जिनमें एक ही अपील होनी चाहिये, कानून जानने वालों की ऐसी भी राय है। ऐसे साधारण से काम में एक कलेक्टर के यहां अपील हो। ३० दिन में वह दाखिल हो और उस पर फिर आर्डर हो। फिर डिस्ट्रिक्ट जज के यहां अपील हो। वकीलों के यहां बड़ी परेशानी हो, हैरानी हो और इधर घर में बीमारी फैली हो, फसल नष्ट हो रही हो और उधर बड़ी से बड़ी मुकदमेबाजी में उसे मुब्तिला कर दीजिये। इसका यह असर होगा। लिहाजा ऐसी हालत में लिटिगेशन बढ़ाने के पक्ष में मैं नहीं हूं। मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

*श्री गेंदासिंह---माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय कृषि मंत्री से मैं यह उम्मीद नहीं कर सकता कि जहां पर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का नाम आ जाय वहां किसी तरह भी एक रत्ती अधिकार कम करने की बात वे मंजूर कर लें। कलेक्टरों का माननीय मंत्री जी से जो रिश्ता है वह मुझे मालूम है। इसलिये मैं उनसे ऐसी उम्मीद कर तो नहीं सकता, लेकिन उन्हीं की आसानी के लिये चूंकि कुछ उनकी फिक्र हमको है, उनकी बुजुर्गी और उनकी सब बातों को ध्यान में रख कर और जब कि इस विधेयक के वे सर्वेसर्वा हैं तो इस विधेयक के ऐक्ट बन जाने के बाद लोगों को अगर तकलीफ होती है तो उस तकलीफ का कुछ कसूरमन्द उन्हें कहा जायगा और हमें भी कसूरमन्द कहा जायगा। इस विधेयक में जहां कहीं भी बीमारी पहचानने की बात आई तो कलेक्टर को अधिकार होगा, देखेंगे तो विशेषज्ञ, लेकिन अधिकार होगा कलेक्टर को कि वह घोषणा करे कि बीमारी आई है या नहीं, बीमारी दूर करने के लिये उसका इलाज कराने के लिये भी कलेक्टर ही घोषणा करेगा। कोई काम अदना से अदना और आला से आला सब कलेक्टर पर ही छोड़ा जा रहा है। उसमें मैंने बहुत अर्ज व मिन्नत की कि कहीं इस कानून में खेतीबारी से ताल्लुक रखने वालों को भी रख दीजिये। वह इस बात के लिए तैयार नहीं हैं। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग आफिसर खेती-बारी को वह नहीं जानता, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग आफिसर का इससे ताल्लुक नहीं रहेगा, डिस्ट्रिक्ट केन आफिसर हर जिले में हैं नहीं। इस प्रकार कोई न कोई बात कह कर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को नायक बनाना चाहते हैं। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को किसी तरह से भूलना नहीं चाहते। अगर डिस्ट्रिक्ट जज को हिसाब-किताब देखने का अख्तियार हो जाय, अपील सुनने का उसको अख्तियार हो जाय, जोरावर वर्मा जी ने जो संशोधन रखा है उसमें सारी बातों को देख रेख कर रखा है, ताकि ऐसी बात न हो कि लिटिगेशन हो जाय और हाई कोर्ट तक जाय। जिले में ही जज का इजलास हुआ करता है और जिले का जो भी आदमी होता है, उसको कहां बीमारी, महामारी हो रही है पता चल जाता है। खेती-बारी के सम्बन्ध में भी उसे मालूम हो जाता है, वह रोज मुकदमे सुनता है, जज भी तो ऐसा समझा करे कि उससे जनता का सीधा सम्बन्ध है। इसलिये हम समझते हैं कि जज को इस काम को सुपुर्द कर दिया जाय। सिर्फ इतना कि खर्च में अगर कलेक्टर ही फैसला दे तो वह उस मामले में अपील कर सके। मैंने कमिश्नर को रखा था। वह मुझे अव्यावहारिक मालूम हुआ कि कमिश्नर जो है जज में से मुकर्रर कर दिया जाय तो मैंने माननीय जोरावर वर्मा के संशोधन में अपने को मिला दिया। मैं कृषि मंत्री जी से कहूंगा कि एक आध, दो संशोधन स्वीकार करने की तो मेहरबानी करें। अगर उसमें कहीं कलेक्टर के अख्तियारात छिन जाते हों तो उन्हें बरदाश्त करें। कहीं फिर दूसरे रोज कलेक्टर को अधिकार देना होगा। दे देंगे। इस जमाने का जो कलेक्टर है वह तो भगवान है, खुदा मियां है। इस हकूमत में क्या अख्तियारात हैं उसको कहना मुश्किल है। इसलिये

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मैं उनसे कहूंगा कि हर मामले में कलेक्टर मत बताया करें, कुछ लोगों पर भी जिम्मेदारी डाला करें। इससे काम आसानी से चलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं उनसे विचार करने के लिए आग्रह करूंगा।

*श्री अवधेशप्रताप सिंह (जिला फैजाबाद)—मान्यवर, मैं प्रस्तुत संशोधन के समर्थन हेतु खड़ा हूं। मैं मंत्री महोदय के भाषण पर यह सोचता रहा और विचारता रहा कि जो तर्क वह दे रहे हैं उसमें कितना सार है। यह दुख के साथ मुझे कहना होता है कि उसमें मने कोई ऐसा तर्क नहीं पाया न कोई ऐसा सार पाया, जिससे मैं उन तर्कों को स्वीकार करता। मान्यवर, उन्होंने कहा कि नौ की लकड़ी और ९० खर्चा। यह मैं आपके द्वारा बताना चाहता हूं कि यह किसी के लिये लाजमी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, किसी को विवश नहीं किया जाता है इस खंड द्वारा कि वह अपील अवश्यमेव करे। यदि निर्णय उसके विपरीत है, वह समझता है कि खर्चा अत्यधिक मांगा जा रहा है तो ऐसी परिस्थिति में उसके लिये एक उपाय होना चाहिये कि वह जा कर के किसी भी अपीलेट कोर्ट के सामने फरियाद कर सके। मान्यवर, भारत में, कांस्टीट्युशन में एक डाइरेक्टिव है कि जहां तक हो सके एक्जिक्युटिव और जुडिशियरी प्रथक रखी जायं। और इसकी कांग्रेस पार्टी और यह सरकार बराबर घोषणा करते आये हैं। और संविधान को देखते हुए वह विवश भी हैं कि उन रास्तों पर कदम बढ़ायें, परन्तु दुःख के साथ मुझे यह कहना पड़ता है कि एक्जीक्यूटिव को जहां, अत्यधिक शक्तिशाली बनाया जा रहा है साथ ही साथ उन पर जुडीशल डिसीजन्स का भी भार रखा जा रहा है। मान्यवर, एक बात जो सबसे आवश्यक है इस समय, वह यह है कि आज डिस्ट्रिक्ट जज के पास अगर यह अपील जाती है तो डिस्ट्रिक्ट जज और अपील करने वाला, दोनों को यह संतोष रहेगा कि जुडीशियरी के पास वह गयी और यदि फैसला उसके माफिक होता है तो भी वह प्रसन्न और यदि उसके खिलाफ हुआ तब भी उसको कुछ शांति होती है कि एक्जीक्यूटिव ऐक्शन ऐसा हुआ कि जो ठीक था इसलिये कि जुडीशियरी पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव एक्जीक्यूटिव का नहीं था और उसकी राय यही रही। श्रीमन्, प्रायः होता क्या है बहुत सी पावर्स तो डेलीगेटेड हैं। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेटकी बहुत सी पावर्स डेलीगेट हो कर सबार्डिनेट के पास जाती है और बहुत सी जगह ऐसा है कि जहां पर उन सबार्डिनेट्स को या एक्जीक्यूटिव आफिसर्स को एक अख्तियार होता है और जिसकी अपील डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट सुनता है। ऐसी परिस्थिति में जब कि यह खर्चे का सवाल है और सब कुछ बरबाद होने के बाद पहलेतो सरकार को खर्चा मांगना ही नहीं चाहिये था, लेकिन संशोधन वह नहीं है, परन्तु आपकी आज्ञा से मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान उस ओर आकर्षित कराना चाहता हूं इस विषय पर कि कहीं भी, जहां पर आप इन्वालन्ट्री लेबर ले या कोई काम विवश हो कर उसे करना पड़े, तो उस परिस्थिति में उस पर एक बोझ और लादना कि वह खर्चा भी अदा करे, मैं समझता हूं कि सिद्धांततः ठीक नहीं है। परन्तु यदि यह सरकार जो कि सिद्धांतों को तिलांजली देने में सदैव ही समर्थ रही है, चाहती है, तो मुझे केवल इतना ही कहना है कि लोगों के संतोष के लिये इस संशोधन को मान लेना चाहिये।

माननीय जोरावर वर्मा जी का संशोधन निर्दोष है, इन्नोसेंट है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसको स्वीकार करने में सरकार को कोई विशेष आपत्ति हो। आप डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को रखते हैं और वह कहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट जज को भी एपीलेट पावर्स दी जायं। कोई फरीक के लिये मजबूरी नहीं है कि वह जरूर जाय। खर्चा अगर वह समझता है कि ठीक है तो उसको उस के ऊपर कोई आपत्ति करने की आवश्यकता नहीं है और वह अदालत में नहीं जायगा। लेकिन अगर वह समझता है कि खर्चा ज्यादा है, ठीक नहीं है तो उसको एक अवसर अवश्य प्रदान करना चाहिये कि जिससे वह जुडीशियरी में जा कर इन्साफ और न्याय की मांग कर सके और इस विश्वास के साथ कि न्यायालय जो है वह हम को उचित रूप से न्याय देगा। श्रीमन्, होता यह है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट 'मैंने माना' कि बहुत सी जगह वह एक्जीक्यूटिव की हैसियत

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अवधेशप्रताप सिंह]

से काम करते हैं, कुछ स्थान ऐसे हैं कि जब उनका डिसीजन जुडीशियरी का डिसीजन होता है और बहुत से ऐसे स्थान होते हैं कि जब वह क्वासी जुडीशियल डिसीजन दिया करते हैं। बहुत से स्थानों पर वह बहुत से रूप धारण किया करते हैं और उनके निर्णय के अनेकानेक रूप होते हैं और वह मुनहसिर होता है किसी विशेष विधेयक पर। ऐसे स्थान पर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो हैं उसको अपने सबार्डिनेट्स के निर्णय के विरुद्ध जाने में बहुत कठिनाई होती है।

वह यह समझता है कि जो उसके सब डिवीजनल मैजिस्ट्रेट्स निर्णय दे चुके या कोई भी पदाधिकारी जो उनके नीचे है, वह निर्णय दे चुका है तो उनको एक मानसिक आपत्ति उत्पन्न होती है कि उस वक्त रोल तो उनका जुडिशियल होता है पर ऐक्जीक्यूटिव हेड होने के नाते वे कार्य भूल नहीं पाते। तो स्वाभाविक जो होता है उस समय वह यह है कि 'ही इज आलमोस्ट आन दी होर्न्स आफ ए डायलेमा।" वह किंकर्तव्य विमूढ़ होकर अपना न्याय जुडिशियल डिसीजन्स के आधार पर नहीं दे पाता है बल्कि कहीं कहीं थोड़ा सा टिंज उसके द्वारा दर्शाया जाता है कि वह अपने को ऐक्जीक्यूटिव हेड समझने की कोशिश करता है सदैव और वह अपना प्रथम कर्तव्य समझता है। अतः जुडिशियल डिसीजन्स जो हैं उन पर अधिक महत्व देना आजकल इस वातावरण में कलेक्टर के लिये थोड़ा सा दुष्कर और कठिन होता जा रहा है। यह एक ऐसी चीज है जिसे आपके द्वारा मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स पर ज्यादा बोझ न लादें। श्रीमन्, हो क्या रहा है कि हर जिले में आप यह देखिये डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स की पावर्स ज्यादा है। मैंने यह माना कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट आफिसर जो है उसको आप ऐडमिनिस्ट्रेशन में भुला नहीं सकते हैं, इगनोर नहीं कर सकते हैं, उनको हटा नहीं सकते हैं, कहीं न कहीं उनकी झलक हर अधिनियम में पायी जा सकती है और भूत में पायी गयी, वर्तमान में पायी जाती है और भविष्य में भी पायी जायगी। परन्तु साथ ही साथ यह देखना है कि क्या वह बोझ जो कलेक्टर पर लादा जा रहा है उस बोझ को संभालने के लिये उसके पास अवकाश है। जिसको कि ओवर बर्डन कहते हैं, अदालतों में अब कलेक्टर का जाना कहीं एक दिन हफ्ते में और वह भी बमुश्किल तमाम होता है। यह नहीं कि वह जाना नहीं चाहता, वह विवश है, इतने काम उसके पास हैं, इतना बोझ है और इतनी जिम्मेदारियां हैं कि वह मजबूरन पेशकार को बंगले से टेलीफोन करे या चपरासी द्वारा यह हुक्म जाता है कि मुकदमों की तारीखें जो हैं वे बढ़ा दी जायं। किसी कलेक्टर के लिये अब उनसे जुडिशियल डिसीजन्स के लिये समय लेना और सचमुच यह समझना कि उस काम को वे सुचारु रूप से भविष्य में कर पायेंगे मैं समझता हूं यह ऐडमिनिस्ट्रेशन के लिये एक सोचने की बात होती जा रही है। मैं केवल वादविवाद के लिये श्रीमन्, यह आक्षेप नहीं कर रहा हूं, मैं तो आपके द्वारा इस सरकार को यहां बताना चाहता हूं कि परिस्थिति ऐसी उत्पन्न हो रही है जिसके लिये सरकार आंखें मूंद कर अपने स्थान पर नहीं बैठ सकती है बल्कि उसे देखना होगा कि डिस्ट्रिक्ट्स मैजिस्ट्रेट पर जितनी जिम्मेदारियां हैं, जितना भार है, या तो उसमें न्यूनता की जाय या वह दूसरे के हाथ उसको बांटा जाय या कोई न कोई ऐसा रूप किया जाय, जिससे कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के सामने जो काम हो वह सुचारु रूप से कर सके, सिर्फ डाक का देखना, मिनिस्टरों की आमद में पहुंचना, उनका स्वागत करना और.....

श्री अध्यक्ष--आप असंगत हो रहे हैं।

श्री अवधेशप्रताप सिंह--श्रीमन्, मैं इस वजह से कह रहा था कि उनके पास काम हैं वे मुश्किल से कर पाते हैं, क्योंकि बहुत से काम ऐसे हैं जो कि जुडिशियल, ऐक्जीक्यूटिव के अलावा भी उसके सामने आ जाते हैं जो उसके लिये सम्भव नहीं कि वह अपना कार्य भली भांति कर सके और सरकार इस पर विचार करे और अगर कोई रास्ता निकालती तो मैं समझता हूं कि उत्तम होता।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)--अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि प्रश्न उपस्थित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री जोरावर वर्मा---आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी का उत्तर सुना । मुझे तो बड़ा दुख हुआ जब उन्होंने क्रिमिनल ला की बात यहां कही । मैंने तो ला आफ ह्यूमैनिटी की बात कही थी कि वह मनुष्य दैवी कोप से या प्रकृति के प्रकोप से दुखी है, उसके खेत में कीड़े लग गये हैं या कोई बीमारी लग गयी है तो उससे वह दुखी हो गया है और फिर डी० एम० की हुकुमउदूली होने पर, अगर उनकी आज्ञा का पालन नहीं करता तो उसके ऊपर दंड होगा, उसके लिये मैंने अपना यह संशोधन रखा था लेकिन उन्होंने एक क्रिमिनल ला की दृष्टि से उसे देखा और उस दुखी किसान की उपमा एक अपराधी से दे दी । उन्होंने कहा कि क्रिमिनल ला में ऐसा कोई प्राविजन नहीं है कि जहां ५० रु० की अपील जज के यहां होती हो । मैं तो चाहता था कि मंत्री जी इसको कम से कम उस क्रिमिनल ला की दृष्टि से न देखते तो अच्छा होता । यह मेरी समझ में नहीं आया कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जिसकी हुकुमउदली की गयी है उसी अपराध में वह दंड देता है तो वैसी परिस्थिति में उसी डी० एम० को रिवीजन देने से वह उसे कैसे स्वीकार कर लेगा । यह मेरी समझ में नहीं आया, हां माननीय मंत्री जी ने इसके उत्तर में यह अवश्य प्रकट कर दिया कि उन्हें ला का और विशेषत: क्रिमिनल ला का बहुत अच्छा अध्ययन है । मैं तो उनसे फिर भी यही अपील करूंगा कि मेरा यह संशोधन बहुत ही निर्दोष है और कृषकों के हक में है खासकर के उन गरीबों के हक में जिन पर दैवी कोप हुआ है, जिनके खेत रोग से या कीड़े से बरबाद हो गये हैं और डी० एम० की आज्ञा से उनको बरबाद करने का हुकुम हो गया है । इसलिये मैं उनसे फिर अपील करूंगा कि वह इस निर्दोष संशोधन को स्वीकार करने की कृपा करें ।

श्री हुकुम सिंह---अब मुझे इसमें और कुछ नहीं कहना है ।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ८ के उपखंड (३) को निम्न रूप में रख दिया जाय:---

"(३) उपधारा (२) के अधीन दी गयी किसी भी आज्ञा की अपील उस आज्ञा के दिनांक से ३० दिन के भीतर, जिला जज के यहां हो सकेगी । जिला जज का निर्णय अंतिम होगा ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ८ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड ९

आदेश को कार्यान्वित न करना अथवा सहायता न देना ।

९---(१) यदि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को संतोष हो कि---

(क) किसी अध्यासी ने धारा ४ के अधीन जारी किये गये आदेशों को कार्यान्वित नहीं किया है; अथवा

(ख) किसी व्यक्ति ने धारा ४ के अधीन अपेक्षित सहायता नहीं दी है, तो वह अध्यासी अथवा ऐसे व्यक्ति को ५० रुपये तक की शास्ति (penalty) अदा करने की आज्ञा दे सकता है ।

(२) उपधारा (१) के अधीन शास्ति अदा करने की आज्ञा अंतिम तथा निश्चायक होगी और उस पर किसी न्यायालय में आक्षेप न किया जा सकेगा ।

(३) उपधारा (१) के अधीन शास्ति मालगुजारी की बकाया की भांति (as arrears of land revenue) वसूल की जा सकेगी ।

श्री श्रीचन्द्र (जिला मुजफ्फरनगर)---श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से इस प्रकार से संशोधन प्रस्तुत करना चाहता हूं कि खंड ९ के उपखंड (१) की पंक्ति १ में शब्द "को" और शब्द "संतोष" के बीच में शब्द "संबंधित व्यक्ति की आपत्ति तथा विवशताओं को सुनने के पश्चात्" जोड़ दिये जायं ।

अध्यक्ष महोदय, जो मैंने संशोधन पेश किया है इस संशोधन में से दो शब्द मैं आपकी आज्ञा से निकाल देना चाहता हूं "तथा" और "विवशताओं" क्योंकि इसके पश्चात् यह संशोधन रह जाता है "संबंधित व्यक्ति की आपत्ति को सुनने के पश्चात्" आपत्ति में यह तमाम बातें आ जायंगी । इस संशोधन को रखने का कारण यह है कि जब संबंधित अधिकारी किसी स्थान पर कोई अपनी आज्ञा देता है ५ मील के अन्दर या किसी स्थान पर तो ऐसे भी अनेक कारण हो सकते हैं कि वहां के रहने वाले उस काम को किसी विशेष कारण से न कर सके और ऐसे अवसर अनेकों आ सकते हैं कि उन पर ५० रुपये तक जुर्माना हो सकता है । तो मेरी समझ में यह आवश्यक है कि उन पर जुर्माना होने से पहले ऐसे व्यक्ति को जो आपत्ति हो वह सुन ली जाय जिस से कि कोई अन्याय उनके ऊपर न हो सके ।

श्री हुकुम सिंह---माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसे केसेज क्रिमिनल केसेज की तारीफ में आये हैं और उनके लिये जो प्रोसीजर है वह क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में दिया हुआ है । या तो समन्स केस का प्रोसीजर होगा या वारंट केस का प्रोसीजर होगा, जिनमें अभियुक्त के बयान होते और सुने जाते हैं । इसकी आवश्यकता तो इसलिये नहीं समझता, लेकिन फिर भी मैं अपने मित्र के इत्मीनान के लिये यदि वह अपने संशोधन को इस प्रकार से संशोधित कर ले तो हम उसे स्वीकार कर लेंगे कि "संबंधित व्यक्ति की आपत्ति सुनने के पश्चात्" इसी को रहने दें । संशोधन में से, "तथा विवशताओं" को निकाल दें । वह कोई लीगल टर्म नहीं है और उसके निकालने से कोई दिक्कत नहीं होगी । इस शक्ल में रखा जाय तो मुझे कोई एतराज नहीं है ।

श्री श्रीचन्द्र---मैं स्वीकार करता हूं ।

श्री अध्यक्ष---मैं संशोधित रूप में पेश किये देता हूं ।

प्रश्न यह है कि खंड ९ के उपखंड (१) की पंक्ति १ में शब्द "को" और शब्द "संतोष" के बीच में शब्द "संबंधित व्यक्ति की आपत्ति को सुनने के पश्चात्" रख दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

***श्री रामेश्वरलाल** (जिला देवरिया)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि खंड ९ के उपखंड (१) के भाग (ख) की पंक्ति २ में शब्द "दी है" के बाद शब्द "और पुरुष किसान है" बढ़ा दिये जायं ।

श्रीमन्, यह बहुत ही छोटा संशोधन है । जो धारा ९ (ख) का रूप है वह इस प्रकार है, "किसी व्यक्ति ने धारा ४ के अधीन अपेक्षित सहायता नहीं दी है तो वह अध्यासी अथवा ऐसे व्यक्ति को ५० रुपये तक की शास्ति (पेनाल्टी) अदा करने की आज्ञा दे सकता है ।" इसमें ५० रुपये की पेनाल्टी की बात कही गयी है और मैं यह चाहता हूं कि ५० रुपये की पेनाल्टी वाली इस धारा में "पुरुष किसान" बढ़ा दिया जाय, जिस स्थान पर मैंने आपको बतलाया । श्रीमन्, अगर आप धारा ४ (ख) देखें तो वह इस प्रकार है, "किसी पुरुष को, जिसकी आयु १० वर्ष से कम न हो, और जो उक्त क्षेत्र में रहता हो आदेश कर सकता है कि वह खंड (क) में अभिदिष्ट उपायों को सम्पन्न करने में सहायता करे ।" तो यहां पर "पुरुष किसान" एक विशेष वर्ग से संबंधित है । इसी तरह से यहां ९ (ख) भी पुरुष के लिये हो । यदि वह व्यक्ति पुरुष किसान हो तो जो प्रतिबन्ध धारा में लगाया गया है वह लागू किया जाय । स्त्री हो तो नहीं । इसका कारण भी है । स्त्री यदि किसान है तो वह किस तरह की खेती करती है, यह हम सभी को और माननीय मंत्री जी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

को ज्ञात है। खास मध्यम वर्ग से आने वाली या ऊंचे वर्ग से आने वाली स्त्री जो किसानी का काम करती है और दैवयोग से उसके परिवार के अन्य लोगों से उसका सम्बन्ध छूट जाता है तो उसकी खेती दूसरों के कब्जे में जाती है। यदि रह भी गयी तो उसको लूटने वाले अनेकों तैयार हो जाते हैं। तो यह डर है कि यदि यह धारा पास होगी तो वह स्त्री, जिसे हमारे समाज ने और हमारे धार्मिक ग्रंथ ने अबला के नाम से पुकारा है वह इस धारा के द्वारा हो सकता है कि सरकारी अधिकारियों के पद के दुरुपयोग के कारण कभी-कभी सतायी जाय। इसलिये मैंने यहां पर यह रखा कि 'पुरुष किसान' बढ़ा दिया जाय, जिससे स्त्री किसान के ऊपर अत्याचार न हो। आशा है कि मंत्री जी इसको स्वीकार करेंगे।

श्री हुकुम सिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, धारा ४ की उपधारा (१) खंड (ख) में यह दिया हुआ है, "किसी पुरुष को जिसकी आयु १८ वर्ष से कम न हो और जो उक्त क्षेत्र में रहता हो आदेश कर सकता है कि वह खंड (क) में अभिदिष्ट उपायों को सम्पन्न करने में सहायता करे"। यह धारा सदन पास कर चुका है और लीगल टर्म में पुरुष के माने स्त्री, पुरुष सब के लिये इस्तेमाल होता है जैसा कि जनरल क्लाजेज ऐक्ट में है। तो अब उस धारा के पास करने के बाद डायरेक्शन तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट दे सकता है, लेकिन अगर डायरेक्शन की पाबन्दी न करे....

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि यह खत्म हो सकता है अगर "व्यक्ति" की जगह पर "पुरुष" यहां पर भी कर दें। अगर "पुरुष" का अर्थ दोनों से है तो यहां भी वही अर्थ रहेगा।

श्री हुकुम सिंह--जब हम वहां पर स्त्री पुरुष दोनों के लिये रख चुके हैं तो यहां अगर व्यक्ति ही रहे तो कोई दिक्कत तो नहीं मालूम होती, क्योंकि वह नहीं इसे पसन्द करेंगे, वह अपनी तरमीम के द्वारा चाहते हैं कि स्त्री हो तो जुर्माना न हो, पुरुष हो तभी हो।

श्री रामेश्वरलाल--हम मान लेंगे।

श्री हुकुम सिंह--ठीक है, तो मान लीजिये।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, जब इस ऐक्ट की व्याख्या होने लगेगी तो किसी पुरुष जिसकी आयु १८ वर्ष से कम न हो, मगर महिला के लिये कुछ नहीं है। तो महिला से तो वह १८ वर्ष से कम की आयु में भी काम ले सकेंगे, क्योंकि जिस तरह से कानून का अर्थ मैजिस्ट्रेट लगाते हैं उसको देखते हुये ऐसा अनर्थ हो सकता है।

श्री अध्यक्ष--वह तो यह कहते हैं कि पुरुष और स्त्री दोनों उसमें आते हैं।

श्री राजनारायण--जो रामेश्वर लाल जी का संशोधन है उसमें जहां तक मैं समझ रहा हूं वह महिलाओं को बिल्कुल बरी करना चाहते हैं। तो उतने से ही काम नहीं चल पाता है।

श्री अध्यक्ष--वह तो रामेश्वर लाल जी को सोचना है।

श्री रामेश्वरलाल--श्रीमन्, यदि माननीय मंत्री जी "व्यक्ति" की जगह पर "पुरुष" मान लें तो मैं अपना संशोधन वापस लूंगा।

श्री हुकुम सिंह--कोई हर्ज नहीं, पुरुष रख दिया जाय।

(सदन की अनुमति से श्री रामेश्वर लाल ने अपना संशोधन वापस लिया।)

श्री अध्यक्ष--ठीक है, तो मैं इस तरह से प्रश्न रखता हूं। प्रश्न यह है कि खंड ९ के उपखंड (१) के भाग (ख) की पंक्ति १ में शब्द "व्यक्ति" के स्थान पर शब्द "पुरुष" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थिति किया गया और स्वीकृत हुआ।)

*श्री रामेश्वरलाल--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि "खंड ९ के उपखंड १ के भाग (ख) की पंक्ति १ में शब्द "व्यक्ति को" के बाद के कुल शब्दों के स्थान पर शब्द "उसके जोत की जमीन उसके लाभ संबंधित कार्यों से औसत आंक कर १ रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से उसके पूर्ण या आंशिक खाते पर जुर्माना कर सकता है" रख दिये जायं ।

श्रीमन्, यह विधेयक जो माननीय मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है और जो इस विधेयक में ५० रुपये जुरमाने की व्यवस्था की गयी है, इस सम्बन्ध में बहुत से संशोधन ऊपर आ चुके हैं और मंत्री जी ने उनको स्वीकार भी किया है। मैं माननीय मंत्री जी के विचारों से एकदम असहमत न होते हुये अपना संशोधन रखता हूं। श्रीमन्, मैं इतना चाहता हूं कि एक आदमी जिसको डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट काम करने के लिये हुक्म देता है और वह काम नहीं करता है ऐसा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को ज्ञात होता है तो वह उस पर ५० रुपये जुरमाना न करके उसकी खेती-बारी, उसकी आमदनी और उसकी जायदाद से संबंधित आय पर जुरमाना करें। मैं ऐसा समझता हूं कि किसी क्षेत्र में ऐसे धनी लोग हो सकते हैं जो यह उपाय करें कि वह उस काम से बच जायं । समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जबर्दस्ती किये बिना काम करना पसन्द नहीं करते हैं । मेरा मतलब उन लोगों से है जो समाज में ऊंचा स्थान रखते हैं ।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी जानकारी से निवेदन करूंगा कि प्रान्तीय सरकार ने जो प्रान्तीय रक्षा समाज की स्थापना की है तो बहुत से गांव ऐसे हैं जिनको रक्षा की आवश्यकता है वह तो काम करते नहीं है और जो धनहीन हैं, जिनके घर में चोर कभी नहीं घुस सकता है वह काम करने के लिये विवश किये जाते हैं थाने के सिपाहियों द्वारा या थाने के इंस्पेक्टर द्वारा इसलिये मुझे शंका है श्रीमन्, कि यह जो ५० रुपये वाली बात है इससे तो जो समर्थ हैं जो अपने को अब तक किसी न किसी प्रकार से काम करने से बचाते चले आये हैं वही अब भी बच जायेंगे, इसलिये हमने संशोधन रखा है कि उनकी खेती, जायदाद, जमीन वगैरह से जो लाभ हो यानी जितने एकड़ उनकी जमीन हो उतने ही रुपये जुरमाने होने चाहिये । अगर कोई राजा महाराजा एक हजार एकड़ जोतता है तो उस पर एक हजार रुपया जुरमाना होना चाहिये और दो हजार एकड़ वाले पर २,००० रुपया जुरमाना होना चाहिये जो ऐसे कामों में जनता का सहयोग न दें तो सरकार को अधिकार है कि दो हजार रुपये तक उस पर जुरमाना करे । अगर कोई गरीब किसान है जो एक-दो बीघे जोतता है तो उस पर दो चार आने ही जुरमाने होने चाहिये । मैं समझता हूं कि मंत्री जी को हमारा संशोधन खटकेगा लेकिन इससे प्रांत की जनता के साथ न्याय होगा जो लोग ज्यादा आमदनी करते हैं अगर वह सरकारी आदेश का पालन न करें तो सख्त से सख्त सजा दी जाय ।

मुझे मालूम है कि बाहर के देशों से मुझे जानकारी मिली है कि वहां देश की आम जनता के लाभ के खिलाफ बहुत से लोग जो कुकर्म करें या जनता का सहयोग न दें वहां की सरकार बराबर इस तरह से लोगों को सजा देती रही । हमने अखबारों में देखा कि जिस समय वहां पर ब्लैक मार्केटिंग चल रही थी तो बहुत से लोगों को जनता के सामने फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया ।

श्री अध्यक्ष--अभी आप और समय लेंगे ?

श्री रामेश्वरलाल--जी हां, अभी तो मैं १०, ५ मिनट और लेना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष--तो आप लंच के बाद जारी रखियेगा । मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि ७० (क) पर जुर्माने के सम्बन्ध में जितने संशोधन हैं वह सब एक साथ लिये जायेंगे जो अपना संशोधन पेश करना चाहें वह सब एक साथ पेश कर दें और उन पर एक साथ विवाद होने के बाद उन पर राय ली जायगी ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

(इस समय १ बजकर १७ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २० मिनट पर उपाध्यक्ष श्री हरगोविंद पन्त की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री रामेश्वरलाल--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने संशोधन के पक्ष में अपने विचार सदन के सम्मुख प्रस्तुत कर चुका हूं। मैं केवल यही चाहता हूं कि वह आदमी जो खेती बाड़ी नहीं करता उस पर किसी भी प्रकार का कर न लगाया जाय। दूसरे मेरा मंशा यह कि जो लोग उस प्रभावित क्षेत्र में किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं करते उन पर अधिक से अधिक कर बांध दिया जाय और औपचारिक व्यय लिया जाय। इसके साथ हमने इस संशोधन में यह भी रखा है कि यदि किसानी के बाद उस आदमी के पास और भी ऐसे पेशे हैं, जैसे बहुत से लोग मिलें भी चलाते हैं, उससे यदि उचित समझा जाय तो और भी पेशों पर व्यय लिया जाय। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इस संशोधन को स्वीकार करने की कृपा करेंगे।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं। इससे कानूनी उलझनें पैदा होंगी और यह बेमानी है। यह सदन एक बार निश्चित कर चुका है कि प्रत्येक व्यक्ति को जिलाधीश आदेश दे सकता है चाहे वह काश्तकार हो या न हो। यह संशोधन जो हम पहले निश्चित कर चुके हैं उसके प्रतिकूल पड़ता है। यानी, जिस किसी के पास खेत नहीं है उससे कोई सहायता नहीं ली जा सकती और न उससे कोई पेनैल्टी ही ली जा सकती है। दूसरे, कानून में पेनैल्टी हमेशा जुर्म के अनुसार अदालतें तय किया करती हैं। उस समय उसके पास कितना खेत हो, यह खसरा और खतौनी मंगाकर देखना और फिर पेनैल्टी तय करना, आज तक ऐसी किसी भी कनून में नहीं है कि जो दुनिया भर में या इस प्रदेश में बने हैं। आई० पी० सी० या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड किसी भी कानून में ऐसा नहीं है। पेनैल्टी दी जाती है जुर्म के मुताबिक। एक एकड़ पर एक रुपया के हिसाब से २५ एकड़ पर २५ रुपये और ५० एकड़ पर ५० रुपये हो गये। अदालतें ४,६ रुपया जैसी परिस्थिति हो उसके अनुसार टैक्स करती हैं। यानी पेनैल्टी लगाती हैं। फिर जुर्म कैसा हो, छोटा हो बड़ा हो, किस परिस्थिति में उसने सहायता देने से इनकार किया, ये सब बातें देखने की हैं। अदालतों के लिये एकड़ का बंधन लगाना ठीक नहीं है। ऐसा कानून कभी नहीं बनाया जा सकता है और यह कानून बनाने की शैली के विरुद्ध है। यह संशोधन अव्यावहारिक है। इन बातों को कहकर मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं कि सदन को इससे स्वीकार नहीं करना चाहिये।

श्री हुकुमसिंह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस संशोधन के खिलाफ मुख्य-मुख्य बातें तो मौर्य जी ने बतला दी हैं। मुझे इसमें कोई विशेष बात नहीं कहनी है। यह अपने ढंग का एक निराला ही संशोधन है। और सबूतों के साथ इस संशोधन को मानने से एक सबूत यह भी देना होगा कि फलां शख्स को इतने एकड़ जमीन है और नुकसान का भी कुछ सबूत देना होगा कि इतने परसेंट हुआ। इसमें यह है कि हर शख्स का बराबर है करीब करीब वैसे तो बेचारे पर थोड़ा ही जुर्माना होगा लेकिन इस संशोधन से अदालत मजबूर होगी ज्यादा जुर्माना करने के लिये। इस संशोधन को न मानने से थोड़े ही जुर्माने से काम चल जायगा। इसलिये यह संशोधन मानने के काबिल नहीं है। यह कानून की दृष्टि से और व्यवहार की दृष्टि से भी ठीक नहीं बैठता है। मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं और माननीय रामेश्वरलाल जी से प्रार्थना करूंगा कि अच्छा हो यदि वह अपने इस संशोधन को वापस लेने की कृपा करें। अब भी मौका है और यदि वह मेरी गुजारिश कबूल करेंगे तो मैं माननीय सदन से दरख्वास्त करूंगा कि उनको यह संशोधन वापस लेने की अनुमति दे। इसके अलावा मुझे और कुछ ज्यादा नहीं कहना है।

***श्री राजनारायण**--श्रीमन्, माननीय मंत्री जी की ओर से जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है उस पर जैसा कि आपने स्वतः पढ़ कर सुनाया बहुत से सम्मानित सदस्यों ने संशोधन दिये हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजनारायण]

करीब १० संशोधन इस पर होंगे। इससे कम से कम इतनी बात तो लोगों को मालूम हो ही जाना चाहिये कि यह इस बिल की बहुत महत्वपूर्ण धारा है। यदि यह महत्वपूर्ण धारा न होती तो इस एक धारा पर १० व्यक्तियों के नाम से संशोधन न होते।

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—महत्वपूर्ण केवल इसलिये है कि आप खड़े हुये हैं।

श्री राजनारायण—उपाध्यक्ष महोदय, आप क्या कह रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—बीच में इंटरप्शन तो होता ही है। आप जारी रखिये।

श्री राजनारायण—श्री रामनरेश जी ने न मालूम क्या कहा। मुझे इतना तो मालूम होता है कि वे भी मेरा इस बात की ताईद करते हैं कि विधेयक की यह जो धारा है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसीलिये इस पर इतने ज्यादा संशोधन आये हैं। श्री राम नरेश जी मेरी इस बात के, समर्थन में हैं इसकी मुझे बड़ी खुशी है। इस पर माननीय मौर्य जी ने, माननीय गेंदा सिंह जी ने माननीय रमेशचन्द्र शर्मा ने, माननीय शिव कुमार शर्मा ने आदि लोगों ने संशोधन दिये हैं। जो यह संशोधन दिये गये हैं उनको कई कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। श्री शिव कुमार शर्मा जी ने जो संशोधन दिया है उसमें ५० रुपये के स्थान पर १०० रुपया रखने के लिये कहा गया है।

श्री उपाध्यक्ष—वे संशोधन प्रस्तुत नहीं किये गये हैं इसलिये उनका हवाला देना मुनासिब नहीं है।

श्री राजनारायण—जो तरमीम आयी थी उनमें से कुछ में जुर्माना बढ़ाया गया था और कुछ में जुरमाना कम किया गया था। हमें यहां देखना यह है कि आखिर यह ५० रुपये की जगह १०० रुपया रखना और ५० रु० की जगह १५ रुपया रखना क्यों रखा जाता है। इसके अतिरिक्त क्या कारण है कि कोई दूसरा आदमी प्रापोर्शनेट सिस्टम क्यों रखना चाहता है। इन सब के विरुद्ध जितने भी तर्क दिये गये हैं उनको मैं नहीं समझ पाया। माननीय द्वारका प्रसाद जी मौर्य ने माननीय रामेश्वर लाल जी के संशोधन पर बोलते हुये सारी दुनिया के कानूनों और विधानों का हवाला दे डाला और कहा कि कहीं भी प्रपोर्शनेट सिस्टम अडाप्ट नहीं किया गया और माननीय मंत्री जी ने मौर्य जी का समर्थन कर दिया। मगर मैं माननीय मौर्य जी को बता देना चाहता हूं कि अगर वे टैक्सेशन प्रणाली को देखें उसमें भी इसी नीति पर चला जाता है। लेकिन यह कांग्रेस सरकार इक्वेल सेक्रीफाइस के सिद्धांत पर चलती है। चाहे किसी की आमदनी १ हजार हो, ५०० हो, १०० हो या १० हो सबको एक बराबर ही टैक्स देना होगा। लेकिन दूसरी तरफ प्रपोर्शनेट सिस्टम आफ टैक्जेशन सब जगह लागू है। उन्हें तो आज एक्जेम्पशन के सिद्धांत को मानना चाहिये। श्रीमन्, मैं आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं कि वे लोग जिनके पास आर्थिक क्षमता नहीं है वे कुछ भी देने से बरी होने चाहिये। इस सिस्टम को तमाम प्रगतिशील विचारधारा के लोग मानते हैं। यदि यह सरकार अपने को प्रगतिशील कहती है तो इसको इस सिस्टम को मानना चाहिये और इसके द्वारा मैं माननीय रामेश्वर लाल जी के संशोधन की ओर संकेत करता हूं। फिर मैं माननीय द्वारका प्रसाद मौर्य से यह निवेदन करूंगा कि मालूम होता है कि वे माननीय कृषि मंत्री के पास बैठ गये हैं और इसका असर उन पर भी पड़ जाता है इसलिये वे ऐसी बात कह जाते हैं, जिसको कम से कम माननीय द्वारका प्रसाद मौर्य को तो नहीं ही कहना चाहिये। वे जानते हैं कि आज के जमाने में, आज की परिस्थिति में समाज का एक ऐसा वर्ग है जो बहुत ही पीड़ित है, उत्पीड़ित है, जिसके पास एक पैसा भी देने की कुब्बत व ताकत नहीं है तो उन पर भी सरकार वही टैक्स लगावे और जिनके पास अपार संपत्ति है, अतुल सम्पत्ति है, जिसके पास जमीन के बड़े-बड़े टुकड़े भी हैं, जिसके पास धन पैदा करने के दूसरे साधन भी हैं, बड़ी-बड़ी फैक्टरियां हैं, बड़ी-बड़ी मिलें हैं, बड़े-बड़े कारखाने हैं, और जिनका बैंक में रुपया जमा है, ऐसे लोगों पर भी वही ५० रुपया टैक्स लगे, तो श्री रामेश्वरलाल जी ने जो

संशोधन रखा है उसको इस तरह से उड़ा दिया जाय कि यह तो दुनिया के इतिहास में कहीं नहीं है कि इस तरह की टैक्स प्रणाली हो, मैं समझता हूं कि यह वस्तु-स्थिति पर एक तरह से परदा डालना होगा। यदि उसमें कोई सुझाव की बात देते, कोई ऐसी बढ़िया बात कहते तो मैं समझता हूं कि माननीय रामेश्वर लाल जी उस पर सोचते, विचारते, समझते लेकिन एकदम आउट राइट आपने कह दिया यह तो बिलकुल संशोधन ही गलत है, इसकी बुनियाद ही गलत है। श्रीमन्, जहां तक इसकी बुनियाद की बात है, मैं बतलाना चाहता हूं कि इसकी बुनियाद बिलकुल सही है। जिस बुनियाद को आधार मान कर माननीय रामेश्वरलाल जी ने संशोधन रखा है वह बुनियाद बिलकुल ठीक है, हां, उसकी बुनियाद में कुछ इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। उस इम्प्रूवमेंट को इस समय संशोधन के रूप में देने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप ध्यान से पढ़ें तो आगे उसमें भी साफ हो जाता है। इसलिये मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि ५० रुपया जुर्माना लगाने की बात के ऊपर आप जरा फिर से विचार करें और ऐसे लोगों पर कत्तई जुर्माना न हो जिनके पास जीविका निर्वाह के साधन न हों।

श्रीमन्, मुझे बड़ी खुशी है कि माननीय मुख्य मंत्री जी यहां पर उपस्थित हैं जो अर्थशास्त्र की गुत्थियों को अच्छी तरह से समझते हैं, भले ही उस पर अमल करें या न करें, इसलिये मैं माननीय मुख्य मंत्री जी की उपस्थिति में उनकी कैबिनेट के कृषि मंत्री से यह कहना चाहता हूं कि यदि कृषि मंत्री जी चाहते हैं कि किसानों का उद्धार हो, किसान मुसीबतों से बरी हो तो ऐसे किसान जिनके पास एक एकड़, दो एकड़ या तीन एकड़ जमीन हो, या जिनके पास जीविका के कोई दूसरे साधन न हों, यदि उनकी फसल बचाने का प्रयत्न किया गया और बावजूद प्रयत्न करके फसल बिलकुल बरबाद हो गयी है तो मेरे ख्याल में कत्तई उस पर जुर्माना नहीं लगना चाहिये। उनसे कत्तई लगान वसूल नहीं होना चाहिये बल्कि उनको तो सरकार को अपनी ओर से कुछ देना चाहिये। मगर यह सरकार जो रात-दिन अपने को किसानों और मजदूरों का हित चिंतक कहते हुये नहीं अघाती, नहीं थकती, ऐसे विधेयक से तो उन पर एक तरह की आपत्ति ही आयेगी। यह उचित नहीं है कि ऐसे विधेयक के जरिये किसानों तथा मजदूरों को एक तरह से दबा दिया जाय। चाहे वह जुर्माना का नाम हो, चाहे पेनाल्टी का नाम हो, चाहे टैक्स का नाम हो है तो वह टैक्स ही। इसलिये मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इस विधेयक में यह कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति को ५० रुपये तक की पेनाल्टी अदा करने की आज्ञा दे सकता है, तो मैं पूछना चाहता हूं कि यह ५० रुपया वह क्यों अदा करे? यहां सब धान बाइस पसेरी ही है। 'अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा' वाली कहावत यहां पर इस सरकार के लिये अच्छी तरह से प्रयोग में लायी जा सकती है। मगर यह सरकार बेनकाब होती चली जा रही है और इसी वजह से यह कहावत जो चारों तरफ प्रचलित है इस सरकार के लिये लागू होती है। श्रीमन्, मैं पुनः आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार जरा इस पर विचार करे और इसके लिये कोई न कोई ऐसी गुंजाइश निकाले, जिसके जरिये ऐसे किसान जो गरीब हैं, जो धन पैदा करने के दूसरे साधनों से वंचित हैं वे जुर्माने से बरी हों। ऐसे बड़े-बड़े लोग हैं जिनके पास धन पैदा करने के दूसरे साधन हैं और वे हर तरह से सम्पन्न हैं उनके ऊपर यह सरकार जुर्माना लगावे, दूसरी पेनाल्टी लगावे इसके लिये हमको कोई एतराज नहीं होगा। इसलिये इन शब्दों के साथ मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि वह अपनी धारा पर पुनर्विचार करे।

श्री शिवनारायण--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे मित्र श्री राजनारायण जी ने गवर्नमेंट को बहुत कनडेम किया, लेकिन मैं उनको हिसाब पढ़ाने की गर्ज से यहां खड़ा हुआ हूं। मैं आपके द्वारा उनको बता देना चाहता हूं कि इसमें करीब-करीब ७ आदमियों ने संशोधन रखा है, किसी ने ५० रुपये का किसी ने १०० रुपये का, किसी ने १० का, किसी ने ५ का, किसी ने १५ का और किसी ने ५१ का.....।

श्री जगन्नाथमल्ल (जिला देवरिया)--उपाध्यक्ष महोदय, आन एप्वाइंट आफ आर्डर सर, मैं यह कहना चाहता हूं कि जो संशोधन पेश नहीं किये गये हैं उनका सदन में जिक्र करना क्या माननीय सदस्य के लिये उचित है?

श्री उपाध्यक्ष—जिसका जिक्र श्री राजनारायण जी ने किया था उसी को समझाने के लिये वह कह रहे हैं।

श्री शिवनारायण—माननीय अध्यक्ष महोदय ने उस वक्त कहा था कि यह दूसरे वक्त एक साथ ले लिये जायंगे और इसीलिये मैंने सोचा था कि समय मिलेगा तो सब को एक साथ ले लिया जायगा।

श्री रामनरेश शुक्ल—उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ कहना चाहता हूं.....।

श्री शिवनारायण—मैं ईल्ड नहीं करता। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि गवर्नमेंट ने जो ५० रुपया रखा है उसमें उसने किसी के साथ डिसटिन्कशन नहीं किया है। सरकार किसी को बड़े छोटे के हिसाब से नापना नहीं चाहती है, वह तो एक माडरेट ला बना रही है। अगर उनके कहने के मुताबिक १०० एकड़ वाले पर १०० रुपया और २ एकड़ वाले पर २ सौ रुपया जुर्माना किया जाय तो दुनिया के ला बनाने वाले यहां के लोगों को क्या कहेंगे कि कैसी गवर्नमेंट थी जो ऐसा कानून बना गई, यहां तो ४३१ माननीय सदस्य हैं, बड़े-बड़े धुरन्धर विद्वान, वकील और पढ़े-लिखे लोग हैं। इसलिये मैं आप से बहुत नम्रता से कहूंगा कि उनका हिसाब ठीक नहीं है और गवर्नमेंट ने जो ५० रुपया रखा है वह ठीक ही है, इसलिये मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य अपना संशोधन वापस ले लेंगे।

***श्री रामेश्वरलाल**—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अपने इस संशोधन पर माननीय सदस्यों के भाषण बहुत गौर से सुने। माननीय मौर्य जी ने जो इस संशोधन पर अपने विचार व्यक्त किये उनको सुन कर तो मुझे आश्चर्य हुआ। वह सरकार की इच्छा के साथ अपनी इच्छा मिलाते हुये कहते हैं कि ५० से बढ़ाकर ५१ रु० कर दिया जाय, मैं समझता हूं कि देहात में ५१ का अंक शुभ माना जाता है ऐसी वहां की प्रथा है, तो सरकार के शुभ के लिये ही शायद वह ५१ कर देना चाहते हैं, वैसे शायद उनकी इच्छा ऐसी है नहीं। माननीय शिव नारायण जी ने भी कुछ कहा, मैं उनके तर्कों का क्या उत्तर दूं, वह कहते हैं कि हमारी सरकार छोटे-बड़े सब को बराबर के दर्जे पर रखती है। मैं उनके इस तर्क को सुन कर हैरान हूं और जब मैं देखता हूं कि छोटे-बड़े की समस्या को सुलझाने का उनका हमारा दृष्टिकोण क्या है और उस में कितना अन्तर है। ८ वर्ष की कांग्रेस हुकूमत के बाद भी माननीय शिव नारायण जी ने नहीं समझा कि देहात में जिस कम्युनिटी को वह विलांग करते हैं उसकी क्या दशा है और जो गोबर में से अनाज निकाल का खाती है और अपना पेट भरती है। वह अभी तक अन्तर नहीं समझे। वह चाहते हैं कि जिस क्षेत्र में कीटाणुओं का प्रकोप हो उसमें जो २ बिस्वे की खेती करता हो उस पर उतना ही पड़े और जो राजा साहब हैं और सैकड़ों एकड़ की खेती जिनके पास है उन पर भी उतना जुर्माना हो। उनका यह तर्क मैं उनकी बुद्धि के लिये ही छोड़े देता हूं। जहां तक मौर्य जी का प्रश्न है उन्होंने कहा कि पेनाल्टी के बारे में देश विदेश में क्या होता है और उन्होंने देश-विदेश की व्याख्या की और आपने कहा कि बराबर जुर्माना होता है ऐसा नहीं होता कि किसी की आर्थिक आमदनी या उस के खाते को देख कर ऐसा किया जाता हो, लेकिन कोई यह क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का मामला नहीं है। यह तो सीधी-सी बात है कि अगर किसी क्षेत्र में कीटाणु लग जाते हैं और हानि होती है और उस क्षेत्र के रहने वाले सहयोग न देते हों चाहे वह गरीब हो या धनी, एक या सौ एकड़ पर पैदा करने वाला हो अगर वह सहायता नहीं करता तो उन पर जो अच्छे हों जिन पर अधिक से अधिक जुर्माना हो, लेकिन जिनके रोटी के लाले हों वह ५० रुपये नहीं दे सकेंगे और फिर सरकार को उनका थाली-लोटा कुर्की कराने के लिये कदम उठाना पड़ेगा और सरकार बदनाम होगी। यही सब सोच-समझ कर मैंने यह संशोधन उपस्थित किया था। माननीय मौर्य जी और मन्त्री जी चाहे मानें या न मानें लेकिन मैं

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यह चेतावनी देना चाहता हूं माननीय मंत्री जी को कि यह विधेयक ऐसा है समय आने पर जिसका विरोध होगा किसानों की ओर से नहीं, बल्कि उन्हीं की पार्टी के लोगों की ओर से होगा, क्योंकि इससे सख्त नुक्सान होगा। वैसे वे मानें या न मानें यह उनकी इच्छा है और हठवादिता के बल पर अगर वे इसको भी कुचलना चाहते हैं तो मुझे इसके लिये कुछ नहीं कहना है।

श्री हुकुमसिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विरोध होगा या नहीं होगा, यह मैं भली भांति जानता हूं इसकी चेतावनी देने की रामेश्वर लाल को आवश्यकता नहीं है। मेरा विश्वास है कि इस विधेयक का पूरा-पूरा स्वागत होगा, क्योंकि इसकी जो बेसिक बातें हैं वह जनता के हित में हैं और जहां तक इस तरमीम का ताल्लुक है काफी लोग कह चुके हैं। मेरी दिक्कत वही है, बिस्वा, बीघा, एकड़ पर जुर्माना नहीं तशखीस किया जाता है, बल्कि जुर्म पर तशखीस किया जाता है। ऐसी सूरत में जो तरमीम रखी गयी है वह बिलकुल अजीबो गरीब है और अनावश्यक है जैसा मैंने पहले कहा। लिहाजा मैं विरोध करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ९ के उपखंड (१) के भाग (ख) की पंक्ति २ में शब्द "व्यक्ति को" के बाद के कुछ शब्दों के स्थान पर शब्द "उसके जोत की जमीन उसके लाभ से सम्बन्धित कार्यों से औसत आंक कर १ रु० प्रति एकड़ के हिसाब से उसके पूर्ण या आंशिक खाते पर जुर्माना कर सकता है" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ९ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।

खंड १०

वाद तथा अन्य विविध कार्यवाहियों पर प्रतिबन्ध।

१०—राज्य सरकार अथवा उस के किसी भी अधिकारी के विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन सद्भाव से किये गये अथवा किये जाने वाले किसी भी कार्य के सम्बन्ध में अथवा इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने में सद्भावना से किये गये किसी कार्य से उत्पन्न किसी क्षति के लिये भी वाद, अभियोजन अथवा अन्य विधिक कार्यवाही (suit, prosecution or other legal proceeding) न की जा सकेगी।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १० इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नया खंड १०—अ

***श्री रामेश्वरलाल**—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १० के बाद नया खंड १०-अ निम्न प्रकार से रख दिया जाय :—

"१०-अ—किन्तु उक्त अधिकारी के लिये आवश्यक होगा कि किसी लाभकर फसल, पौधों जिनसे अल्पकाल में ही कुछ यथोचित लाभ अध्यासी को होने वाला है, का ध्यान रखेगा और समय देगा।"

श्रीमन्, इस संशोधन में मैं सिर्फ यह चाहता हूं चूंकि इसमें व्यवस्था हो गयी है कि ५० रुपये का जुर्माना भी देना होगा जो सहायता नहीं देगा और १० द्वारा यह व्यवस्था की गयी है कि जो अधिकारी है उसके खिलाफ़ किसी तरह का वाद नहीं उपस्थित किया जायगा। इसलिये मैंने यह संशोधन रख दिया है कि अधिकारी के लिये लाजिमी होगा कोई

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामेश्वरलाल]

ऐसी फसल है जिस फसल से अध्यासी को कुछ लाभ होने वाला है तो वह उसे कुछ समय देगा। प्रमाण के लिये हमारे पूर्वी यू० पी० में गन्ना उत्पादक क्षेत्र है। वहां पर गन्ने में कुछ ऐसी बीमारियां लगती हैं, जिनके लिये वैज्ञानिकों की यह राय है कि गन्ने को अगर जड़ से नष्ट कर दिया जाय तो वे उस क्षेत्र में प्रभाव नहीं डाल सकती। गन्ने में रेड राट की बीमारी लगती है। अगर गन्ने को उखाड़ दिया जाय तो अन्य खेतों में उसका प्रभाव नहीं होगा, लेकिन हम इस संशोधन द्वारा यह चाहते हैं कि नवम्बर और दिसम्बर में गन्ना पकना शुरू हो जाता है और उसी समय से रेडराट की बीमारी लगनी शुरू हो जाती है और इसकी सम्भावना है कि बीमारी लगने के साथ-साथ चूंकि गन्ना पकना शुरू हो जाता है किसान उसे पेरकर कुछ गुड़ की शक्ल में उससे लाभ उठा सकता है तो उसकी फसल को बरबाद न कर दिया जाय। इस संशोधन के द्वारा उस अधिकारी को लाजिमी होगा कि अगर वह उस चीज से कुछ लाभ उठा सके तो उठा ले। यह छोटा-सा संशोधन है। मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय मंत्री जी इसे स्वीकार कर लेंगे।

श्री हुकुमसिंह—यह भी तरमीम ऐसी है कि अगर मान ली जाय तो खंड ४, ६, ९ और १० जो आगे इस सदन ने मंजूर किये हैं वह खत्म हो जाते हैं एक तो एतराज मेरा यह है। दूसरा एतराज यह कि धारा १०–अ एक अलग धारा होना प्रोपोज की जाती है, और "किन्तु" और "उक्त" से इसकी शुरुआत की जाती है। यह भी ड्राफ्टिंग के बिलकुल खिलाफ बात है। यह भी मेरा एक एतराज है जिसकी वजह से मैं इसका विरोध करता हूं।

***श्री राजनारायण**—श्रीमन्, काफी मौका मिला हुआ था जब से यह विधेयक सदन में प्रस्तुत हुआ। यह विधेयक जब पहले सेशन चल रहा था तो प्रस्तुत हुआ था। बीच में करीब दो-तीन महीने का समय मिला। सामान्य वादविवाद के समय इस सदन के सम्मानित सदस्यों ने जो राय जाहिर की यदि माननीय मंत्री जी उस का तनिक भी ख्याल किये होते और तनिक भी विचार किया होता तो इस तरह से हर संशोधन को वह निर्मूल और किसान के हित में न जाने वाला, न घोषित करते। मैं माननीय मंत्री जी की और इस सदन के सम्मानित सदस्यों को यह धारा पढ़ कर सुना देना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी चाहते हैं, जरा श्रीमन्, आप पांचवां पृष्ठ खोल कर देखें—"राज्य सरकार अथवा उसके किसी भी अधिकारी के विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन सद्भाव से किये गये अथवा किये जानेवाले किसी भी कार्य के सम्बन्ध में अथवा इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने में सद्भावना से किये गये किसी कार्य से उत्पन्न किसी क्षति के लिये कोई भी वाद, अभियोजन अथवा अन्य विधिक कार्यवाही न की जायगी।"

कितना अनर्थ है इस विधयक में। इसमें मैं श्रीमन्, चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी पुनः गौर करें और जरा सद्भाव से, स्वच्छ मस्तिष्क से इसकी लाइनों को पढ़ें। तब उनकी समझ में आ जायगा कि सरकार कितने ऐसे अधिकार इस विधेयक के द्वारा अपने हाथ में लेगी।

श्री उपाध्यक्ष—यह संशोधन ऐसे अधिकारों के विषय में नहीं है।

श्री राजनारायण—जी हां। इसी के बारे में है, श्रीमन्। यह संशोधन है १०–प्र। तो दसवें क्लाज में माननीय रामेश्वर लाल जी 'अ' जोड़ना चाहते हैं। जो अनियन्त्रित हाथ है सरकार का या सरकारी कार्मचारियों का उसको नियंत्रण में लाना चाहते हैं। सद्भावना के क्या मानी? सद्भावना से उत्पन्न चाहे सारा का सारा गांव जल जाय, सद्भावना से यह सरकार कोई काम करेगी, इसकी कसौटी क्या है? कुछ भी कसौटी नहीं रखी गयी है। श्रीमन्, सरकारी अधिकारी सद्भावना से काम करते हैं या दुर्भावना से

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

काम करते हैं इसको आंकेगा कौन, इसकी परीक्षा कौन करेगा कि सरकारी अधिकारी का यह काम सद्भावना या दुर्भावना का है ? यह मान लेना कि सरकारी अधिकारी का सारा का सारा काम सद्भावना से ही होता है और बार-बार सरकार की ओर से एक दलील दी जाती है कि क्या जितने सरकारी कर्मचारी है सब दुश्मन हैं। यह दलील सरकार की ओर से बार-बार दी जाती है कि अब तो सरकार जनता द्वारा चुनी हुई सरकार है। बार-बार सरकार की ओर से दुहाई दी जाती है कि जो जनता द्वारा चुनी हुई सरकार होगी वह जनता के लिये ही सारे कानून बनायेगी। यदि यह बात सन्निहित होती तो डेमोक्रेसी के लिये तीनों शब्दों का होना आवश्यक न माना गया होता। गवर्नमेंट बाई दि पियुपुल, फार दि पियुपुल, आफ दि पियुपुल, जनता द्वारा चुनी हुई सरकार, जनता के लिये, जनता की। श्रीमन्, माननीय मंत्री जी यह समझ बैठे हैं कि एक बार जनता द्वारा चुनाव होकर सरकार बन जाय तो वह सरकार कोई भी कानून जो बनायेगी वह जनता के हित में होगा, यह भ्रम है और इस भ्रम को इस सरकार को निकाल देना चाहिये। जब तक सरकार का यह भाव रहेगा तब तक सरकार कभी भी सही कदम नहीं उठा सकती और इसी तरह से यह सरकार एक दूसरी बुद्धि-विभ्रमजन्य भ्रान्ति में फंसती चली जा रही है। एक-दूसरे जाल में फंसती चली जा रही है। वह जाल क्या है ? वह है कि इस सरकार के लिये सरकार और सरकारी कर्मचारियों में कोई फर्क नहीं रह गया है। जनता और जनता के प्रतिनिधि में भी फर्क है। अगर यह मान लिया जाय कि आज कांग्रेस पार्टी के जितने लोग यहां बैठे हैं वह सब के सब इस कैबिनेट के जितने कानून बनते हैं वह उनको दिल और दिमाग से सही मानते तो यह बात बिलकुल निर्मूल और असत्य है। कांग्रेस पार्टी के अन्दर भी ऐसे सदस्य होंगे जो सरकार के बहुत से कानूनों और कामों को ग़लत मानते होंगे। मैंने इस सदन में बार-बार कोशिश की और अपने मित्र राम नरेश जी से निवेदन किया कि वे अपने दल के सदस्यों को इन बातों को बताया करें। न समझने की वजह से यह अनर्थ हो रहा है। यह पांच बातें हैं : व्यक्ति, समाज, पार्टी, सरकार और देश। यह पांच बातें अलग अलग हैं। और जहां कहीं इनको मिला दिया जायगा वहीं जम्हूरियत ख़त्म होती है, डेमोक्रेसी का हनन होता है .....

श्री उपाध्यक्ष——माननीय सदस्य विषय से बहुत दूर चले जा रहे हैं।

श्री राजनारायण——उसी पर आ रहा हूं। श्रीमन्! तो मैंने थोड़ा सा समय ले कर यह समझाने की कोशिश की कि सरकार की ओर से बराबर इस सदन का समय नष्ट नहीं होना चाहिये। यह आदरणीय सदन है। आदरणीय सदन में जब हम लोग आते हैं और प्रति दिन १० रुपया लेते हैं और माननीय मंत्रियों पर तो करीब ६ हजार रुपया महीना तक खर्च पड़ता है, तो वह इसको पढ़ें और देखें और केवल यही न कह दें कि माननीय रामेश्वर लाल जी का संशोधन निर्मूल है और निरर्थक है। वह अपने इस संशोधन में कहते हैं कि इस १० के बाद १०–अ रख दिया जाय जो कि सद्भाव के साथ नियंत्रण करे, क्योंकि माननीय मंत्री जी का सद्भाव तो यह होगा कि जितने विरोधी पक्ष के लोग यहां बैठने वाले हैं उनको खत्म कर दिया जाय, हालांकि होगा उनका वह सद्भाव ही, वह काम वह करेंगे सद्भाव से ही। इसको वह जरा पढ़ें। इसमें रामेश्वर लाल जी कहते हैं :—

> "१० – अ– किन्तु उक्त अधिकारी के लिये आवश्यक होगा कि किसी लाभकर फसल, पौधों जिनसे अल्पकाल में ही कुछ यथोचित लाभ अध्यासी को होने वाला है, का ध्यान रखेगा और समय देगा।"

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य——जरा यह अल्पकाल, लाभ कर और यथोचित की डेफिनीशन कर दीजिये।

श्री राजनारायण——मैं मौर्य जी को इसके लिये धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने यह बात मुझे याद दिला दी। मैं इसको छोड़ने जा रहा था।

श्री रामनरेश शुक्ल—मैं समझता हूं कि उनको कमरे में बुला कर समझा दीजिये।

श्री राजनारायण—वह स्पीकर का काम है, मैं तो फ्लोर आफ दि हाउस में समझाता हूं। तो श्रीमन्, मैं आप की आज्ञा से कुछ थोड़ा सा समय ले कर माननीय मौर्य जी को समझाऊंगा क्योंकि इससे हमको आशा है कि वह समझ जायंगे और यदि वह समझ जायंगे तो हमारी समझ में आ जायंगे।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—समझ गये।

श्री राजनारायण—जहां यह सरकार अपने को अनियंत्रित करती है वहां पर रामेश्वर लाल जी कहते हैं कि भाई ठीक है, कुछ अनियंत्रित रखो अपने को, मगर इतना अनियंत्रित न रखो कि अनियंत्रण भी अनियंत्रित हो जाय, वह भी बेसीमा हो जाय। एक घेरे में बैठो। वह घेरा क्या है? रामेश्वर लाल जी कहते हैं कि यदि तुम किसी अध्यासी की ऐसी फसल नष्ट करते हो जो कि उसको तत्काल लाभ देने वाली फसल है जैसे मान लीजिये श्रीमन्, कहीं तरकारी है, माननीय मौर्य जी इसको अच्छी तरह से समझ लें क्योंकि तरकारी बरसात में बोयी जाती है, कोई तरकारी एक महीने की होती है कोई २ महीने की होती है, कोई १५ दिन की होती है, तो ऐसी फसल को न नष्ट होने दिया जाना चाहिये, क्योंकि देहात में अल्पकालिक तरकारी बो कर के जोविकोपार्जन करते हैं, उनके पास दूसरी फसल नहीं, उनके पास गेहूं का खेत नहीं, जौ का खेत नहीं, चने का खेत नहीं। मगर वे बेचारे अपने २ बिस्वा, और ३ बिस्वों में तरकारी बोये हुये हैं अगर वह नष्ट कर दी गई तो क्या होगा, वे बेचारे केसे अपना जीवन निर्वाह करेंगे। मैं तो श्रीमन्, बड़ा आश्चर्य चकित हो जाता हूं जब सरकार की ओर से ऐसी अनर्गल बातें की जाती हैं और जबरदस्ती के अधिकार अपने हाथ में लेने वाला विधेयक इस सदन में प्रस्तुत किया जाता है ....

श्री शिवनाथ काटजू (जिला इलाहाबाद)—आप चाहते हैं कि जनता कीटाणु वाली तरकारी खाये ?

श्री राजनारायण—कम से कम अपने वंश का ख्याल करते तो ऐसी बात सदन में न करते। मैं उनसे कहूंगा कि वह जो पैतृक प्रतिभा है जरा उसका इस सदन में पालन करें और और इसप्तरह से बीच बीच में ऐसी अनावश्यक बातें न कहा करें जो निरोधक हों।

श्रीमन्, मैं माननीय मौर्य जी से कहना चाहता हूं कि लाभकर फसल के माने तो हम समझते हैं और सदन के तमाम सम्मानित सदस्य समझते हैं कि जो भी फसल होगी उस से लाभ हमको होगा ही अगर वह फसल अच्छी तरह से पैदा हो जाय, अगर हम कमाई करके कुछ उत्पन्न कर सकें। केवल माननीय मौर्य जी को अल्पकालिक फसल को समझने में दिक्कत थी तो रामेश्वर लाल जी ने उनको समझाने की चेष्टा की थी गन्ने के नाम ले कर के। कहीं-कहीं श्रीमन्, चिनिया बादाम बोया जाता है। मैंने कहा था श्रीमन्, बाढ़ के समय कि सावां की तरह फसल होती है जो २१ दिन में होती है और इस फसल को अगर किसी किसान ने बो कर के अपने जीवन निर्वाह की व्यवस्था की है और जा कर के सरकारी अधिकारी कहगा कि हमारा सब काम राष्ट्रीय विकास में हो रहा है, मगर मैं कहना चाहता हूं कि इस सरकार के सद्भाव असदभाव हैं, राष्ट्र का विकास, राष्ट्र का हनन है और देश को गर्त में ले जाना है। तो जब भी विधेयक इस सरकार के जरिये इस सदन में प्रस्तुत होते हैं जिसमें कि बिना किसी मर्यादा के बिना किसी न्याय दृष्टि को सामने रख कर सारी मान्यताओं को तिलाञ्जलि दे कर के सारे के सारे अधिकार अपने हाथ में सरकार लेती है तो हमें दुख होता है, आश्चर्य होता है। वही फिर हमको याद आ जाता है :

"पाहन पतित बान नहिं भेदत, रीतो करत निषंग।।"

यह सूरदास का पद याद आता है। सारा तरकस खाली हो जायगा इस सरकार को सद्बुद्धि नहीं दे पायेंगे। मगर तब फिर ऐसा होता है कि —

'रसरी आवत जात के सिल पर परत निसान।'

अगर यह सरकार पत्थर बुद्धि भी हो जायगी तब भी अगर रस्सी की रगड़ लगती रहेगी तो किसी न किसी दिन बुद्धि आ ही जायगी। इसलिये मैं चाहता हूं कि हम चाहे थोड़े ही रहें इस बात की चिन्ता न करें कि हम अपनी बात को रखने में सकुचें। हमको जब भी मौका मिले हम इस बात का प्रयत्न करें कि इस सरकार को ठीक रास्ते पर ले चलेंगे, मजबूर करेंगे और अगर नहीं चलती है तो इस सरकार को खत्म करेंगे और जल्द से जल्द खत्म करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं माननीय रामेश्वर लाल जी के संशोधन का समर्थन करता हूं और चाहता हूं कि सरकार इस संशोधन को स्वीकार करें।

श्री रामसुभग वर्मा—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय रामेश्वर लाल जी के संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय रामेश्वर लाल जी का बहुत ही सीधा-सादा संशोधन है, उन्होंने इस संशोधन से जनता को बहुत बड़ा लाभ पहुंचाने को सोचा है और हमारे मंत्री जी ने जो विधेयक पेश किया है उन्होंने भी इसी लिहाज से पेश किया है कि जनता का फायदा हो। माननीय रामेश्वर लाल जी का कहना है कि जब वहां बीमारी की शंका हो जाय तो जो फसल वहां तैयार हो चुकी है, थोड़े ही दिन बाकी हों, उसको बरबाद करने के लिये अगर आर्डर हो जाय कि वह फसल काटकर गिरा दी जाय तो उस काश्तकार को मौका दिया गया कि वह उस फसल से फायदा उठा सके जैसे माननीय अध्यक्ष महोदय, गन्ने की खेती है, उसके तैयार होने के बाद बीमारी आयी और आर्डर आया कि यह फसल काटकर गिरा दी जाय, तो उनका कहना यह है कि उस किसान को मौका दिया जाय कि वह उस तैयार फसल से फायदा उठा सके, उस गन्ने को पेरकर उससे मीठा बना सके। दूसरी फसल जो कि मक्के की है, जोन्हरी की अध्यक्ष महोदय, वह तैयार हुयी, बाल लगकर तैयार हुयी, तब उसमें बीमारी आयी तो उनको मौका दिया जाय कि वह उस फसल को काटकर के उसमें दाने लगे हैं उनको निकाल सकें और उस फसल को मवेशियों को चारे के लिये इस्तेमाल कर सकें। तो उनका यही मंशा है कि फसल तैयार हो चुकी है, उसमें उनको मौका दिया जाय कि बरबाद करने से पहले वह उससे जितना फायदा उठा सके उठा ले। यही उनके संशोधन का लुब्बेलुवाब है। तो मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि मंत्री जी इसको स्वीकार करें। किसानों का फायदा करने के लिये वह यह विधेयक लाये हैं और माननीय रामेश्वरलाल जी ने भी इसी विचार से कि उनका फायदा हो, यह संशोधन दिया है कि किसानों को नुकसान न पहुंचे और वह उस फसल से कुछ फायदा उठा सकें।

श्री शिवनारायण—मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रश्न उपस्थित किया जाय।

***श्री रामेश्वरलाल**—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो संशोधन प्रस्तुत किया था उस संशोधन पर बहुत से माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं और माननीय राजनारायण जी ने तो काफी तर्क उपस्थित कर इसे बल दिया है। इसके बाद भी माननीय कृषि मंत्री जी यदि इस संशोधन को स्वीकार करने में अपनी असमर्थता प्रगट करें तो मैं यही समझने को बाध्य हूंगा कि वह इस हमारे संशोधन की मंशा समझने में असमर्थ हैं। मेरे संशोधन की मंशा सिर्फ यह है कि किसी भी अधिकारी को जिसको वह इसका अधिकार दे रहे हैं, उसको मनमानी करने का अवसर देहात में न मिले और इस प्रेरणा से प्रभावित होकर मैंने यह संशोधन रखा है कि राज्य के अन्दर काम करने वाले कर्मचारी आज अपनी सत्ता का दुरुपयोग उसी तरह से कर रहे हैं जिस तरह से ब्रिटिश हुकूमत-काल में उन्होंने अपनी सत्ता का दुरुपयोग किया था। हम यह समझते हैं कि इस संशोधन को न मानने के बाद अधिकारियों को यह रुख अपनाने में सहायता

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामेश्वरलाल]

मिलेगी कि वह देहात में अपने घूस के बाजार को पूर्ववत बनाये रखें, क्योंकि मैं समझता हूं कि यदि किसी क्षेत्र में प्रभाव है किसी कीटाणु का या किसी रोग का तो वहां पर उस क्षेत्र के किसानों को यह सुविधा देना कि वह उससे फसल से कुछ लाभ उठा लें कोई अन्याय की बात नहीं होगी। जैसे श्रीमन् प्रमाण के लिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गन्ने की बीमारी की चर्चा थी। जिस रोग की मैंने चर्चा की रेडराट, वह मक्के में भी लगा है और विशेषज्ञों की राय है किसी मक्के के खेत में रेडराट की बीमारी हो तो उसके पास के और खेतों को भी नष्ट कर देना चाहिये नहीं तो वह कीटाणु दूसरे खेतों में भी फैल जायेंगे। लेकिन कभी श्रीमन्, मान लें कि गन्ने की फसल का सीजन है और बाजरे और मक्का का भी सीजन है। अगर किसी खेत में गन्ने को रेडराट की बीमारी लगती है तो उसके अगल-बगल के मक्का और बाजरे के खेतों में भी उसका प्रभाव पड़ेगा। यदि मक्का और बाजरे के खेत में रोग के कीटाणु पाये जाते हैं तो बगल के गन्ने के खेत में, जिसका कि सीजन आज भी है, उसमें रोग के फैलने की आशंका है। तो यह मुमकिन है कि अधिकारी यह जानकर कि दूसरी फस्ल पर भी प्रभाव पड़ सकता है गन्ना, बाजरा और मक्का की फसलों के खेतों को नष्ट करने की आज्ञा दें। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर गन्ने में रेडराट की बीमारी लगे और बाजरा और मक्का में फैलने का अन्देश है तो दूसरे अध्यासियों को, मालिकों को यह मौका दिया जाय कि वह कम से कम अपने खेतों के मवेशियों के लिये चारा, जोकि अन्न के बराबर है, उसको तो निकाल सकें। जैसा कि गेहूं और जौ में होता है। फस्ल पकने में देर है। अन्न जो फसल से तैयार होनेवाला है वह प्रभावित होने वाला है। मैं यह नहीं कहता कि पूरे क्षेत्र में जबतक रोग न फैल जाय तबतक मौका दें, लेकिन मैं कहता हूं कि भूसा और चारा इतना ही जरूरी है, जितना कि अन्न जरूरी है जिसके अभाव में सरकार को परेशानियां उठानी पड़ती हैं, किसान अगर चारा निकालना चाहता है तो उसको मौका देना चाहिये। मंत्री जी कहेंगे कि ऐसा मौका मिलेगा, लेकिन मैं कहता हूं कि इस विधेयक के पास हो जाने के बाद, मेरा संशोधन न मानने के बाद यह मौका है उस अधिकारी को कि वह अपने फोर्स और ताकत को लगाकर उस क्षेत्र की उस फसल को बरबाद करा दे। इस डर से कि कहीं ५० रुपया जुर्माना न हो, किसान जायेंगे साथ ही वह यह भी कोशिश करेंगे कि किसी बड़े काश्तकार और खेतिहर को अनाज और चारा निकालने का मौका मिले तो उससे फायदा उठायें और फसल को लूटने की भी कोशिश करेंगे। सरकार भले ही यह महसूस करती हो कि चारे का सही प्रबंध है और हमारे पास काफी स्टाक है लेकिन हमारा यह विश्वास है कि इस सरकार के राज्य में अपने प्रान्त में लाखों ऐसे आदमी हैं जो आज अनाज के बिना तड़प रहे हैं, ऐसे मवेशी हैं जो आज गांव में छोड़ दिये जाते हैं और चारे को बरबाद करते हैं, अनाज को बरबाद करते हैं।

इसलिये यह संशोधन उपस्थित किया है। मैं राजनारायण जी और अन्य साथियों को, जिन्होंने समर्थन में अपने सुझाव दिये हैं उनका आभारी हूं और मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी को इस संशोधन के मानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इससे वह हमारे प्रान्त के किसानों के लिये राहत और सहूलियत करेंगे।

श्री हुकुमसिंह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने दोनों मर्तबा जब जब हमारे मित्र रामेश्वर लाल जी ने अपना भाषण दिया, इस संशोधन के पक्ष में समझने की भरसक कोशिश की, लेकिन क्या बताऊं, मेरी राय तो यही है कि हर समझदार के लिये नामुमकिन है इस संशोधन को समझना।

श्री रामेश्वरलाल--जैसी आपकी समझ है।

श्री हुकुमसिंह--जी हां। आपकी तकरीर सुनने के बाद भी जो मैंने एक बात कही थी उस पर आपने खामोशी अख्तियार की। वह भी समझदारी के माने हैं। उससे पता चलता है कि कितने समझदार आप हैं। जो मैंने कहा था कि धारा १० (अ) आप एक अलग धारा बनाने जा रहे हैं और आपने उसकी शुरुआत की है "किन्तु उक्त अधिकारी" ऐसी कोई धारा

किसी कानून में आज तक है ? "किन्तु उक्त" से कभी कोई धारा नहीं बनी है और न किसी दफा में है ।। यह आपत्ति मैंने ठीक की थी लेकिन हमारे मित्र ने बिल्कुल खामोशी अख्तियार की।

श्री रामेश्वरलाल--प्वाइंट आफ आर्डर । उपाध्यक्ष महोदय, दो बार माननीय मंत्री जी ने कहा और आपकी मौजूदगी में कहा कि "किन्तु" से कोई धारा हमने नहीं देखी है और बड़ा तर्क उपस्थित किया। मैं आपके ही विधेयक में "किन्तु" से ही शुरू होने वाली धारा का प्रमाण उपस्थित करता हूं । उपाध्यक्ष महोदय, खंड ४ आप देखें । उसके (ख) के प्रतिबन्धात्मक वाक्य को आप देखें । उसमें यह है "किन्तु प्रतिबन्ध यह है ...." (हंसी)

श्री हुकुम सिंह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब हमको समझदारी का पूरा-पूरा पता लग गया । अब मुझे इसकी भी कोई शिकायत बाकी नहीं रही । वह प्राविजो है । दफा के नीचे जो प्राविजो होता है वह किन्तु से शुरू होता है लेकिन कोई दफा किन्तु से शुरू नहीं होती । अब इतना फर्क हमारे मित्र को नहीं मालूम है तो मुझे अब कोई शिकायत बाकी नहीं है, जो चाहें वह कह सकते हैं और हम सुनने के लिये तैयार हैं ।

जहां तक इस तरमीम का ताल्लुक है इसकी शक्ल ऐसी बदशक्ल है कि मैं इसे मंजूर नहीं कर सकता हूं और मुझे कुछ इसके बारे में नहीं कहना है ।

हमारे दोस्त राजनारायण जी ने एक व्याख्यान दिया । मैंने बहुत ही पेशेन्टली और बड़ी सावधानी से सुनने की चेष्टा की । उन सब बातों का जवाब देने की जरूरत मैं नहीं समझता, क्योंकि उनका इस बिल से कोई सम्पर्क नहीं है, कोसों इससे दूर है । एक बात उन्होंने फरमायी कि मैं इस सरकार को खत्म करूंगा कि खत्म करने में कहीं आप ही न खत्म हो जायं, क्योंकि आप खिसक चुके हैं यहां से वहां । ऐसा न हो कि आप ही खत्म हो जायं ।

श्री राजनारायण--हो सकता है ।

श्री हुकुम सिंह--हो सकता है, क्या, आपने शुरुआत कर दी है । तो मैं यह कहना चाहता हूं कि ऐसी धमकी देना, इस तरह की बात करना इस सदन की मान, मर्यादा के बिल्कुल खिलाफ बात है । कहां यह तरमीम, कहां सरकार का खात्मा । सब लोग सुन चुके हैं । सुनते-सुनते अब जरा भी बल आपकी बात में नहीं है । यहां पर ये तो कुछ और बात थी, वहां जाने पर वह बात खत्म हो गयी । हम अगर कहें कि हम पी० एस० पी० को या सोशलिस्ट पार्टी को खत्म करना चाहते हैं तो यह बिलकुल न अनर्गल बात होगी । यह कहने के लिये यहां जगह नहीं है । इसके लिये बाहर प्लेटफार्म है । यहां तो विधेयक के ऊपर बहुत सोच-समझ कर बात करने की जरूरत है । एलेक्शन की स्पीचेज की यहां जरूरत नहीं है । यहां जब कानून बनने लगें तो इस सदन की मान-मर्यादा यह है कि उस विधेयक की हर धारा पर बहुत सावधानी से विचार करें । हम थोड़े ही चाहते हैं कि हम गलत कानून बनायें । अगर हम ही गलती करते हों तो हर वक्त हम मानने के लिये तैयार हैं, लेकिन यह कि इधर की उधर की किन्तु और उक्त के लिये कहा जाय तो मैं उसको मानने के लिये तैयार नहीं हो सकता हूं । चाहे कितनी ही बहस हो, लेकिन मैं मान नहीं सकता हूं, क्योंकि हमारे मित्र माननीय रामेश्वरलाल जी प्राविजो और असल धारा में कोई फर्क नहीं समझते हैं तो मैं क्या कहूं ऐसे संशोधन के लिये, जो माननीय दोस्त ने पेश किया है, वह क्या मानने के योग्य है, इसको मानकर मैं अपना उपहास कहां कराऊंगा । मैं तो वकील हूं, सनदयाफ्ता हूं, मैं यदि इसको मान लूं तो मेरी सनद ही बेकार हो जायगी । ऐसी बात मैं नहीं कर सकता हूं । लिहाजा इस तरमीम का मैं घोर विरोध करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १० के बाद नया खंड १०(अ) निम्न प्रकार से रख दिया जाय:--

"१०-अ--किन्तु उक्त अधिकारी के लिये आवश्यक होगा कि किसी लाभकर फसल, पौधों जिनसे अल्पकाल में ही कुछ यथोचित लाभ अध्यासी को होने वाला है, का ध्यान रखेगा और समय देगा ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

खंड ११

अधिकारों का प्रतिनिधायन

११--राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके किसी भी अधिकारी अथवा प्राधिकारी को, इस अधिनियम द्वारा प्राप्त कोई भी अधिकारी अथवा प्राधिकारी को, इस अधिनियम द्वारा प्राप्त कोई भी अधिकार विज्ञप्ति में निर्दिष्ट निरोधों तथा शर्तों के अधीन प्रयुक्त करने के लिये प्रतिनिधानित (delegate) कर सकती है ।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ११ की पंक्ति २ तथा ३ में से शब्द "इस अधिनियम ..... प्राधिकारी को" निकाल दिये जायें।

यह दो बार छप गया है, इससे सुधार हो जायगा ।

श्री हुकुमसिंह---यह मैं स्वीकार करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ११ की पंक्ति २ तथा ३ में से शब्द "इस अधिनियम ..... प्राधिकारी को" निकाल दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ११ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड १२

नियम बनाने का अधिकार।

१२---राज्य सरकार पूर्व प्रकाशन के पश्चात् इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है ।

श्री नागेश्वर द्विवेदी (जिला जौनपुर)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन पेश करना चाहता हूं कि:---

खंड १२ को निकाल कर उसके स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय---

"१२--(१) राज्य सरकार पूर्व प्रकाशन (Previous publication) के बाद उस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है ।

(२) इस नियम के अधीन बने सब नियम---

(क) सरकारी गजट (official gazette) में प्रकाशित किये जायेंगे और यदि कोई अन्य दिन न निर्दिष्ट किया जाय तो वह प्रकाशन के दिनांक से प्रभावशाली हो जायेंगे, तथा

(ख) बनाये जाने पर यथाशीघ्र राज्य विधान मंडल के सामने कम से कम १४ दिन तक रखे जायेंगे और वे ऐसे परिष्कारों के अधीन रहेंगे जो विधान मंडल अपने इस अधिवेशन में करे जिनमें वह (नियम) इस प्रकार रखे जायं ।"

उपाध्यक्ष महोदय, खंड १२ (१) की दूसरी पंक्ति में "उस" छप गया है, उसके स्थान पर "इस" कर दिया जाय और १२(२) (ख) की तीसरी पंक्ति में "इस" छप गया है उसको "उस" कर दिया जाय ।

उपाध्यक्ष महोदय, इस संशोधन को रखने की जो मेरी मंशा ह वह साफ है । संशोधन स्वीकार कर लिये जाने से जो निअम बनेंगे और जिनका सर्वसाधारण पर प्रभाव पड़ेगा, उनको जानकारी हो जायगी, दूसरे सदन को मौका मिल जायगा कि उसमें जो त्रुटियाँ हों उन पर विचार करे और आवश्यक संशोधन कर सके । इसलिये मैं चाहता हूं कि इस महत्वपूर्ण संशोधन को स्वीकार कर लिया जाय । इस पर कुछ विशेष कहने की आवश्यकता नहीं समझता हूं । आशा है कि माननीय मंत्री जी इसे स्वीकार करेंगे ।

श्री हुकुमसिंह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन को स्वीकार करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १२ को निकाल दिया जाय और उसके स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :--

"१२--(१) राज्य सरकार पूर्व प्रकाशन (previous publication) के बाद इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है ।

(२) इस अधिनियम के अधीन बने सब नियम--

(क) सरकारी गजट (official gazatte) में प्रकाशित किये जायेंगे और यदि कोई अन्य दिन न निर्दिष्ट किया जाय तो वह प्रकाशन के दिनांक से प्रभावशाली हो जायेंगे, तथा

(ख) बनाये जाने पर यथाशीघ्र राज्य विधान मंडल के सामने कम से कम १४ दिन तक रखे जायेंगे और वे ऐसे परिष्कारों के अधीन रहेंगे जो विधान मंडल अपने उस अधिवेशन में करे, जिनमें वह (नियम) इस प्रकार रखे जायं ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि संशोधित खंड १२ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड १

१--(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश कृषि रोगों एवं नाशक कीटों का अधिनियम, १९५४ कहलायेगा । संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार तथा प्रारंभ ।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा ।

(३) यह तुरन्त प्रचलित होगा ।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

शीर्षक तथा प्रस्तावना

उत्तर प्रदेश कृषि रोगों एवं नाशक कीटों का विधेयक, १९५४

फसलों को हानिकर रोगों तथा नाशक कीटों के आविर्भाव, फैलाव अथवा पुरागमन के निरोध का

विधेयक

फसलों को हानिकर रोगों तथा नाशक कीटों के आविर्भाव, फैलाव तथा पुनरागमन के निरोध की और तत्सम्बन्धी अन्य विषयों की व्यवस्था करना आवश्यक है ;

अतएव भारतीय गणतंत्र के पांचवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि प्रस्तावना तथा शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री हुकुमसिंह--मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि रोगों एवं नाशक कीटों का विधेयक, १९५४ पारित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि रोगों एवं नाशक कीटों का विधेयक, १९५४ पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (पब्लिक सर्विस कमीशन) के १९५०-५१ तथा १९५१-५२ के वार्षिक प्रतिवेदनों तथा तत्सम्बन्धी स्मृतिपत्रों पर विवाद

श्री नारायदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी विवाद शुरू होने के पहले इस विधेयक में कुछ शब्द कहना उचित समझेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—यह रिपोर्ट रखी जा चुकी है माननीय सदस्य इस अवसर पर अपना मत प्रकट कर सकते हैं।

***श्री नारायणदत्त तिवारी**—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन के इतिहास में आज पहिली बार पब्लिक सर्विस कमीशन की वार्षिक रिपोर्ट पर, जो सरकार द्वारा प्रस्तुत की गयी है, विचार हो रहा है। पब्लिक सर्विस कमीशन की वार्षिक रिपोर्ट और सरकार का उस पर विचार एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय है। यह इस सदन के लिये बड़े खेद की बात है कि आज तक इस सदन को अवकाश न मिल सका कि वह इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार प्रकट कर सकता और अपने सुझाव सरकार और कमीशन के सम्मुख प्रस्तुत कर सकता।

पब्लिक सर्विस कमीशन का उद्देश्य तो सर्वविदित ही है वह यह कि वे अपने प्रदेश में ऐसी सर्विसेज का निर्माण करें, ऐसी स्थायी और अस्थायी सेवाओं का निर्माण करें जो किसी हालत में भी भ्रष्टाचारी न कही जा सकें, यह न कहा जा सके कि उनकी नियुक्ति किसी व्यक्तिगत स्वार्थ, सामूहिक स्वार्थ, पार्टीगत अथवा दलगत स्वार्थ के अधीन हुई है। इसलिये सभी देशों में पब्लिक सर्विस कमीशन का संगठन हुआ है। तथा उनकी सिफारिशों के आधार पर ही सर्विसेज की नियुक्ति हुई है और उनके सम्बन्ध में नियम बने हैं। हमारे संविधान की धारा ३२० के अनुसार पब्लिक सर्विस कमीशन को जितनी भी सर्विसेज हैं उनकी भर्ती के तरीके, उनकी भर्ती के सिद्धांत तथा एक सर्विस से दूसरी सर्विस में ट्रान्सफर के नियम और उनकी नियुक्ति के औचित्य के सम्बन्ध में सिफारिश करने का अधिकार है। साथ ही अनुशासन के मामलों में अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के सम्बन्ध में सिफारिश करने का अधिकार दिया गया है। अगर किसी राज्य कर्मचारी को कोई तकलीफ है, सरकार के ऊपर उस का कोई ड्यू बाकी है जो उसने सरकारी काम में खर्च किया है और सरकार ने उस को नहीं दिया है तो उस को अपील वह पब्लिक सर्विस कमीशन को कर सकता है। इसके अतिरिक्त गवर्नर महोदय को यह अधिकार है कि वे चाहे किसी भी बात को पब्लिक सर्विस कमीशन के पास भेज दें। साथ ही गवर्नर महोदय को यह भी अधिकार है कि वे रेग्युलेशन्स बनायें, जिनके मातहत पब्लिक सर्विस कमीशन काम करे, जिनको फंकशन्स आफ रेग्युलेशन्स कहा जाता है। इस पृष्ठभूमि में हमें इन रिपोर्ट्स पर विचार करना चाहिये।

आज यू० पी० का जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसकी शक्ति, स्थिति और संगठन क्या है जिसके आधार पर हम इस रिपोर्ट पर वाद विवाद करें ? आज पब्लिक सर्विस कमीशन में दो सदस्य हैं और एक चेयरमैन हैं। इस प्रकार से कुल तीन सदस्य हैं। इतने ही सदस्य आजादी के पूर्व सन् ४१ में भी थे। कार्य बहुत बढ़ गया है। हमारे प्रदेश में बहुत से नये विभाग बढ़ गये हैं। तो पहला सुझाव जो मेरे दृष्टिकोण से हमारे सामने प्रस्तुत होता है वह यह है कि आज सदस्यों की संख्या, कार्यभार और कार्यवृद्धि को देखते हुये, कम है। संविधान की धारा ३१८ और ३१९ के अनुसार पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्यों की नियुक्ति गवर्नर महोदय के द्वारा होती है और वही पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्यों की कंडीशन

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आफ सर्विस तय करते हैं, उसमें यह लिखा हुआ है "नाट एक्सीडिंग फोर" इसके अतिरिक्त पांचवां चेयरमैन होता है। तो इस प्रकार से गवर्नर महोदय ५ सदस्यों की नियुक्ति कर सकते हैं, लेकिन आजकल चेयरमैन को शामिल करके उसमें केवल ३ सदस्य हैं। अतः हमारी सर्विसेज में वृद्धि को देखते हुये यह आवश्यक है कि कम से कम पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्यों की संख्या में वृद्धि की जाय। पब्लिक सर्विस कमीशन के ४ मेम्बर नियुक्त किये जायं और एक चेयरमैन नियुक्त किया जाय। इस प्रकार से कुल ५ सदस्य होने आवश्यक हैं।

अगर आप दूसरे प्रदेशों को देखें तो आपको मालूम होगा कि बाम्बे में भी पब्लिक सर्विस कमीशन के ५ सदस्य हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में ७ सदस्य हैं। पार्ट 'सी' स्टेट्स में आप पेप्सू को ले लीजिये आप विन्ध्य प्रदेश को ले लीजिये, छोटे-छोटे प्रदेश हैं जहां सेवा बहुत कम है, जहां अधिक कार्यभार पब्लिक सर्विस कमीशन के पास नहीं है, वहां पर भी तीन ही सदस्य हैं। जहां तक कार्य-भार का सवाल है पिछले वर्ष लगातार पब्लिक सर्विस कमीशन के प्रतिवेदन में आप देखते हैं कि उसने शिकायत की थी कि हमारे पास कार्य-भार बहुत अधिक है, जिसकी वजह से समय पर इंटरव्यू नहीं कर सकते और इसलिये इसका नतीजा यह हुआ है कि बहुत सी सर्विसेज को स्वयं कमीशन ने अपने परव्यू से हटाने की कोशिश की और अगर आप पिछले वर्ष सन् ५१-५२ की रिपोर्ट को देखें तो मालूम होगा कि सेलेक्शन के लिये २,५५५ अर्जियों पर वे विचार ही नहीं कर सके। इतना एरियर पब्लिक सर्विस कमीशन के पास पहले कभी नहीं रहा। अब प्रश्न अगर खर्चा का उपस्थित हो तो खर्चे के सम्बन्ध में आप देखेंगे कि इस वर्ष के बजट में ४ लाख ८० हजार रुपया पब्लिक सर्विस कमीशन के चार्ड आइटम के रूप में रखा गया है जब कि आमदनी पब्लिक सर्विस कमीशन से सरकार को २ लाख ५६ हजार रु० की हुई है। तो अगर पब्लिक सर्विस कमीशन के ऊपर कुछ अधिक खर्चा बढ़ जायगा तो उस से हमारी सर्विसेज को अधिक विश्वास प्राप्त होगा और जनता में जो आम शिकायत की भावना हो सकती है कि तमाम सब सिफारिशात वहां चलती हैं, यह भावना भी उनकी अधिक पैमाने पर नहीं बढ़ पायेगी। अगर हम कमीशन के अधिकार को बढ़ाते हैं और वे उसका सदुपयोग करते है तो इससे हमारे कर्मचारियों को भी शिकायत करने का मौका नहीं मिलेगा। कमीशन जो है वह फन्क्शन आफ रेगु-लेशंस के मातहत काम करता है, सन् ५०-५१ और ५१-५२ की रिपोर्ट को देखने से यह बात स्पष्ट हो जाती है। सरकार और कमीशन के बीच में कुछ अवसर ऐसे आये हैं जब कि रेगुलेशंस के इंटरप्रिटेशन में बहुत फर्क है। वैसे गवर्नर महोदय को रेगुलेशंस बनाने का अधिकार है, सरकार को रेगुलेशंस बनाने का अधिकार है। यह भी सही है कि सरकार रेगुलेशंस बनाने के बाद कमीशन की सलाह-मशविरा ले लिया करती है। प्रश्न बार-बार यह उठता है कि आया कमीशन की सलाह को माना गया है या नहीं माना गया है। कमीशन की सलाह को समय पर माना गया या नहीं माना गया और फिर किसी रेगुलेशंन के अर्थ लगाने में कमीशन की राय को प्रधानता दी गयी या नहीं दी गयी।

अगर श्रीमन् आप इस रिपोर्ट को ध्यान पूर्वक देखेंगे तो मालूम होगा कि कमीशन ने स्पष्टतः यह शिकायतें की हैं कि कमीशन के इंटरप्रिटेशन को सरकार ने कई बार नहीं माना। मैं केवल एक मिसाल देना चाहता हूं जिसमें कमीशन ने यह शिकायत की थी कि एक सेवा से दूसरी सेवा में जब एक सुपरिन्टेन्डेन्ट महोदय को अंडर सेक्रेटरी बनाया गया तो उन्होंने यह कहा कि डिपार्टमेंटल सेलेक्शन कमेटी के अनुसार किसी व्यक्ति के प्रमोशन का प्रश्न हमारे सामने नहीं आ सकता, लेकिन जो सेवा के लिये बनाये गये नियम के बाहर कोई प्रमोशन या नियुक्ति होती है अंडर सेक्रेटरी की तो वह हमारे सामने आना चाहिये। यह सन् ५१-५२ की रिपोर्ट में साफ है कि यह चीज नहीं होनी चाहिये, क्योंकि फंक्शन आफ रेगुलेशंस की यही आधारनीति है जिसके बिना कमीशन कोई कार्य नहीं कर सकता है। तो इसलिये सरकार को अधिक उदार होना चाहिये था और ऐसी सर्विसेज के मामले को छोड़ कर जिनकी

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

आवश्यकता हो, कमीशन के इंटरप्रिटेशन को माना जाय और साधारणतः, विशेषतः कमीशन की सिफारिश को, कमीशन की राय को प्रधानता देनी चाहिये। दूसरी बात फंक्शन आफ रेगुलेशन के सम्बन्ध में ध्यान देने की है, जिसके बारे में कमीशन ने बार बार और कुछ बार विशेष शिकायत की है और वह यह है कि जो ऐसे कर्मचारियों के मामले हैं जिनको कि समय से पहले रिटायर करने की आज्ञा दी गयी है, जिसका टेक्निकल टर्म सुपरऐनुएशन है, वह कमीशन के परविय़ू से बाहर है फंक्शंस के अन्दर और रेगुलेशंस के अन्दर उनकी गुंज यश होनी चाहिए। कमीशन तीन चार साल से इस बात की सिफारिश कर रहा है, लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था अभी तक इन रेगुलेशन्स में नहीं हुई है और उसका नतीजा यह है कि कमीशन को इस बात की बार-बार शिकायत करनी पड़ती है। ठीक इसी प्रकार जब कभी रिटायर्ड गवर्नमेंट सेर्वेन्ट्स की पुनर्नियुक्ति का प्रश्न आता है या कोई आफिशियेटिंग चान्स देने का प्रश्न आता है तो कमीशन को उस की राय न लिये जाने की शिकायत रही है, कभी तो विलम्ब से राय ली गयी है और कभी नहीं ली गई और इस सम्बन्ध में रेगुलेशन्स में जो व्यवस्था है वह भी अस्पष्ट है। इसका नतीजा यह होता है कि एक तरफ तो योग्य अफसरों को अपनी तरक्की से वंचित होना पड़ता है, जिस पर वह काम करने के योग्य हैं और दूसरी तरफ अफसरों को भी ऐसा खयाल होता है कि हमको कमीशन ने नियुक्त नहीं किया, इसलिये इस तरह का जो उनका संशय है उसको दूर करने की और उसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता है।

एक बात का मैं और जिक्र कर दूं और वह यह है कि सन् १९४१ में जो फंक्शन्स और रेगुलेशन्स थे उनमें आफिशिएटिंग एप्वाइंटमेंट्स के सिलसिले में ६ मास से अधिक की नियुक्तियां कमीशन के सामने आ सकती थीं यानी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की प्रथा में ६ महीने की एक तरह की लिमिट थी, लेकिन अब वह अवधि ६ मास से बढ़ाकर १ वर्ष कर दी गई है। मैं समझता हूं कि इस प्रकार की समय की वृद्धि करना उचित नहीं है। अव्वल तो कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिये कि बिना कमीशन की अनुमति के कोई नियुक्ति की जाय, लेकिन अगर कोई विशेष अवसर या परिस्थिति आती है कि बिना नियुक्ति किये काम नहीं चलता और किसी के विशेष अनुभव और योग्यता को देखते हुये करना ही पड़ता है तो आवश्यक है कि उनके मामलों को कमीशन के सामने भेजा जाय। लेकिन ६ मास से बढ़ा कर एक साल करना यह उचित नहीं है। मैं चाहता हूं कि सरकार इस पर विचार करे और इस सम्बन्ध में रेगुलेशन्स में संशोधन करे।

इसके अलावा एक और अत्यन्त महत्व की बात है, मैं इस सम्बन्ध में कोई अथारिटी तो नहीं हूं और न मैं ऐसा दावा करता हूं कि मेरी कोई इसमें विशेष जानकारी है, लेकिन थोडे बहुत अध्ययन से मुझे मालूम हुआ है कि कमीशन डिसक्रिशनरी मामलों में अपने राइट्स को छोड़ने को तैयार नहीं है। यू० पी० सरकार ने एक एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिबुनल बनाया है, जिसके लिए रूल्स बने हैं और जो डिसिप्लिन वगैरह के मामले होते हैं उनको वह देखता है और जांच करता है। मैं यह नहीं कहता कि उसको एबालिश किया जाय, मैं स्वयं इस बात का हामी हूं और विरोधी दल भी इसका हामी है कि ऐसे मामलों में जिनमें अनुशासन की गम्भीर अवहेलना होती हो और किसी सरकारी कर्मचारी ने अपने पद का दुरुपयोग किया हो और ऐसी आशंका रही हो कि उस ने भ्रष्टाचार किया है तो ऐसे अवसरों पर यथाशीघ्र और यथाविधि उसको दंड देना चाहिये और जल्द से जल्द ज्यादा समय न लगा कर उसको समुचित दंड देना उचित है। लेकिन यहां प्रश्न यह है कि विधि के अनुसार ऐडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल से भी ऊपर अपील की गुंजायश हो और उसके विरुद्ध भी अपीलें कोर्ट में जा सकें। तो पब्लिक सर्विस कमीशन कहता है कि हमारे और उनके सम्बन्धों को स्पष्ट किया जाय और ऐडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिबुनल ने जो सिफारिशें की हैं उनको भी सामने आने दिया जाय। मैं इस सम्बन्ध में ज्यादा समय

तो नहीं लूंगा, लेकिन केवल सन् ५०–५१ की रिपोर्ट के पेज ३१ में जो सिफारिश इस सम्बन्ध में पब्लिक सर्विस कमीशन ने की है उसको मैं थोड़ा आपकी इजाजत से पढ़ना चाहता हूं —"उत्तर प्रदेश डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स (ऐडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल) के नियम, १९४७ के लागू होने पर इन नियमों के अन्तर्गत होने वाले अनुशासनात्मक मामलों को कमीशन के कार्यक्षेत्र से निकाल दिया गया था। कमीशन के आपत्ति करने पर शासन ने विश्वास दिलाया कि अधिकांश मामले अब भी कमीशन को भेजे जायंगे और केवल अपवादस्वरूप मामले ही ऐडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को भेजे जायेंगे। जिन मामलों को "ऐडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल करता है, उन मामलों में कमीशन के परामर्श से बचने का क्रम जारी रहे, यह बात कमीशन को न्याय पूर्ण नहीं लगी, विशेष कर जब कि कमीशन से परामर्श की आवश्यकता उस समय भी समझी जाती है जब कोई कर्मचारी न्यायालय की ओर से फौजदारी के अपराध में दंड पा जाने पर बरखास्त कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है या उस का दर्जा घटा दिया जाता है। तदनुसार कमीशन ने सुझाव दिया कि संशोधित विनियमों में से उक्त अपवर्जन (exclusion) निकाल दिया जाय।

तो मैं चाहूंगा कि यह अत्यन्त महत्व का प्रश्न है इसमें सरकार को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिये। उसने इस बात को कहा है कि सन् १९५०–५१ के सम्बन्ध में जो सरकार ने मेमोरैंडम हमारे सामने रखा है उसमें देखने से सरकार ने आज्ञा साफ दी है, लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि स्मृति-पत्र में कोई स्पष्ट बात नहीं लिखी गई है। केवल इतना कहा गया है कि वह बात सरकार के विचाराधीन है। डिसिप्लिन्री इन्क्वायरी कमेटी के सामने यह मामला था और उस पर कार्यवाही की जायगी। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार के स्मृतिपत्र जो पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में आवें वह अधिक स्पष्ट हों और यह दो तीन पेज में कार्यवृत्त के रूप में आ जाना उचित नहीं है। मुझे इस बात का बड़ा दुख है कि पिछले साल जब फंक्शंस आफ रेगुलेशंस मार्च, सन् १९५४ में हमारे सामने रखा गया हम उस पर विचार नहीं कर सकते थे। लेकिन अब भी मैं चाहूंगा कि फंक्शन्स आफ रेगुलेशंस जिस प्रकार से बनाये गये हैं उनके सम्बन्ध में सरकार अपनी नीतियों को स्पष्ट करे और बतलावे कि वह किन सिद्धांतों के ऊपर चाहती है कि वह कमीशन की परव्यू से बाहर रहें। मैं तो यह समझता हूं और पिछले साल जो पब्लिक सर्विस कमीशनों के चेयरमैनों की कांफ्रेन्स हुई थी और उसमें सभी कमीशनों के चेयरमैनों ने सुझाव केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के लिये दिये और उनमें से शायद यह भी था कि फंक्शंस आफ रेगुलेशंस अधिकतर समान होने चाहिये, स्थिति विशेष को देखते हुये एक से होने चाहिये। तो इसलिये इसके सिद्धांत निश्चित हो जाने चाहिये, जिससे कमीशन को बराबर शिकायत करने का मौका न रहे।

एक दूसरी बात जो इस रेगुलेशन्स के बारे में कहना चाहता हूं वह इसके शिड्यल के विषय में है। आप यह देखेंगे कि इसके शिड्यूल में बहुत सी ऐसी सर्विसेज के नाम लिखे हुये हैं, इसके परिच्छेद में ऐसी सेवाओं का जिक्र है, जिनकी नियुक्तियां सीधे गवर्नर नहीं करते बल्कि उनकी अथारिटी पर दूसरे लोग करते हैं, लेकिन उन पर कमीशन की राय लेना जरूरी होता है। मैंने यह देखा कि इस परिच्छेद में उन्हीं सेवाओं के नाम लिखे हुये हैं जो १९४१ के शिड्यूल में है। माननीय मुख्य मंत्री जी इस बात को मानेंगे कि ४१ की सेवाओं के तरीकों में और आज की सेवाओं के तरीकों में जमीन आसमान का अन्तर हो गया है। कम से कम ऐसा हम लोग समझते हैं। सर्विसेज बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं और ५१–५२ की रिपोर्ट में तो कम से कम से १० मिसालें ऐसी हैं जिसमें कमीशन ने लिखा है कि सरकार ने भेज दिया है, लेकिन वह हमारे परव्यू में नहीं है। मिसाल के लिये टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट इस शिड्यूल के अन्दर नहीं है, लेकिन सरकार ने उनके पास रिफर कर दिया तो कमीशन पूछता है सरकार से आप बतलायें कि हमारे परव्यू में नहीं है

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

हम किस प्रकार से उस पर अपनी सिफारिश करें। या तो आप संविधान की धारा ३८० की उपधारा ३ के अधीन अपने विशेष अधिकार से राय मांगें तो हम दें।

लेकिन अगर आप यह चाहते हैं कि हम फंक्शंस एंड रेगुलेशन्स आफ शेड्यूल के अनुसार सिफारिश दें तो हम ऐसा करने में असमर्थ हैं। इसलिये आवश्यकता इस बात की भी है कि शेड्यूल जो है फंक्शन्स एंड रेगुलेशंस का उसमें सर्विसेज को बढ़ाया जाय। जो नई सर्विसेज हैं, जो नयी नियुक्तियां होती हैं उनके बारे में स्पष्ट नीति अख्तियार की जाय, ताकि बार-बार सरकार और कमीशन के बीच में जो लिखा पढ़ी होती है वह न हो और समय बचे। इसके अलावा कुछ ऐसी भी सेवायें हैं जिनको शेड्यूल में आना चाहिये और जिनको कमीशन के परव्यु म होना चाहिये जैसे कि पुलिस सबार्डिनेट सर्विस। सन् ५०-५१ में कमीशन ने यह कहा कि हम कार्य की अधिकता के कारण या समय न होने के कारण पुलिस सबार्डिनेट सर्विसेज की जांच नहीं करा सकते। यहां तक कमीशन ने कह दिया कि २०० रुपये से ज्यादा तनख्वाह पाने वाले भी जो कर्मचारी हैं उनका सिलेक्शन भी वे नहीं कर सकते।

मैं कमीशन की आलोचना करने में जरा हिचकता हूं, क्योंकि कमीशन में जो सदस्य हैं, जो आदरणीय और विद्वान् लोग हैं उनकी समालोचना इस सदन में करना जबकि उनके पास सफाई का मौका न हो जरा उचित नहीं है फिर भी इतना अवश्य कहूंगा कि उनकी यह सिफारिश भी मेरे दृष्टिकोण में उतनी वांछनीय नहीं है जितनी कि होनी चाहिये थी। पुलिस सर्विस के सम्बन्ध में सभी सदस्य कहते आये हैं कि पुलिस में भ्रष्टाचार की और विभागों से गुन्जाइश अधिक है और पुलिस के विभाग में उचित सिलेक्शन का होना अत्यन्त ही आवश्यक है। तो इसमें सरकार को भी सहायता मिलती, अगर कमीशन जैसी इंडिपेंडेंट अथारिटी के द्वारा इस प्रकार की नियुक्तियां होतीं। तो मेरा तो विश्वास है कि यदि हम कमीशन में सदस्यों की संख्या को बढ़ा देंगे, कमीशन का स्टाक बढ़ायेंगे तो फिर कमीशन को सबार्डिनेट पुलिस सर्विस या पी० ए० सी० जैसे जो इस्टेब्लिशमेंट्स हैं और जिनको सरकार ने कमीशन के पर्व्यु से उसकी राय से हटाया है उन पर फिर कमीशन विचार कर सकेगा और उनको अपने दायरे में रख सकेगा और इससे जो पुलिस के कर्मचारी हैं उनका सिलेक्शन भी कमीशन के द्वारा हो सकेगा। इसके साथ ही साथ कुछ केसेज ऐसे होते हैं जिनमें गवर्नमेंट सर्वेन्ट को डिस्चार्ज कर दिया जाता है।

(इस समय ३ बज कर ५६ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

अब यह प्रश्न अलग है कि किस मौके पर गवर्नमेंट सर्वेंट डिस्चार्ज किया गया। एक साधारण डिस्चार्ज कहा जा सकता है, लेकिन जिन केसेज में एक साधारण अनुशासनात्मक कार्यवाही के रूप में एक सरकारी अधिकारी का डिस्चार्ज हो वहां पर पेंशन की व्यवस्था या मुआविजे की व्यवस्था होनी चाहिये, लेकिन इन फंक्शंस ऐन्ड रेगुलेशन्स में कोई ऐसी उचित व्यवस्था नहीं है, जिसके अनुसार कमीशन उस पर विचार कर सके। इस सम्बन्ध में भी कमीशन ने अपनी राय दी है। विधान की धारा ३२१ के मातहत इस बात के लिये सदन को अधिकार दिया गया है कि म्युनिसिपैलिटी या और भी कोई इस प्रकार की स्थानीय संस्थायें हैं चाहे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हों या म्युनिसिपैलिटी हों या जैसे इंडस्ट्रियल फायनेंशियल कार्पोरेशन हों जो ये आटोनामस बाडीज हैं जिनको कि सदन ने बनाया है उनकी नियुक्तियां भी पब्लिक सर्विस कमीशन कर सकता है, बशर्ते कि सदन इस प्रकार का अधिकार उनको दे। आपको याद होगा जब पिछले साल म्युनिसिपैलिटी विधेयक पर बहस हो रही थी तो बहुत से सदस्यों ने इस बात की मांग की थी कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया जाय। यानी स्वायत्त स्थानीय संस्थाओं में भी इस प्रकार की गुंजाइश हो कि उनके एग्जिक्युटिव आफिसर या सेक्रेटरी या इंजीनियर की नियुक्ति किसी इंडेपेंडेंट अथारिटी द्वारा हो। लेकिन वह सुझाव स्वीकृत नहीं हो सका यह कहा गया कि कारपोरेशन बिल जब आयेगा तो उस समय यह बात देखी जायगी। अब वह समय आ गया है जब कि हम को इस बात को पेश करना चाहिये और सरकार को इस सम्बन्ध

में इनीशिएटिव लेना चाहिये कि वह इस प्रकार का विधान बनावें और सदन से उसको पास करायें चाहे वह म्युनिसिपल कारपोरेशन हो, चाहे इंडस्ट्रियल फाइनेंस कारपोरेशन हो, कोई भी आटोनामस बाडी हो, उनके अधिकारियों की नियुक्ति पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा होगी ।

१९५१-५२ की रिपोर्ट में एक केस का उल्लेख किया गया है । नैनीताल के एग्जिक्यूटिव आफिसर की नियुक्ति के सम्बन्ध में शासन ने पब्लिक सर्विस कमीशन से कहा तो कमीशन ने जवाब दिया कि यह विधान के अनुसार हमारी अधिकार सीमा के बाहर है, क्योंकि कानून कोई नहीं बना है । इसलिये कमीशन को वापस करना पड़ा और सरकार को भी चुप्पी साधनी पड़ी । आजकल कितने ही मामले चल रहे हैं जहां शिकायत आती है कि नया चेयरमैन हुआ, किसी पार्टी का चेयरमैन हुआ उनके मन का एग्जिक्यूटिव आफिसर नहीं हुआ उन्होंने उसको सस्पेंड कर दिया और यह कह दिया कि यह अयोग्य है । कितने मामले हैं । म्युनिसिपल बोर्डस के अन्दर झगड़े चल रहे हैं, अधिकारियों के बारे में पार्टीबन्दी हो रही है । स्वयं मेरे जिले में ऐसे केस मौजूद हैं । तो मुझे विश्वास है कि जो स्थानीय संस्थाओं में अफसरों को लेकर जिस प्रकार का वैमनस्य हो जाता है वह भी दूर हो जायगा और जो हम नये आटोनामस बोर्डस बनायेंगे इंडस्ट्रियल फाइनेंस कारपोरेशन बनेगा, वह भी कह सकेंगे कि उन्होंने जो नियुक्तियां की हैं वह पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा हुयी हैं। जहां तक फंक्शंस और रेगुलेशन्स का सवाल है मुझे इतना ही कहना है ।

म्युनिसिपैलिटियों के बारे में इतना और दोहरा दूं कि बम्बई की सरकार ने ऐसा विधान कर दिया है और बम्बई कारपोरेशन के जितने एम्पालाइज हैं उनकी नियुक्तियां पब्लिक सर्विस कमीशन करता है । बंबई की असेम्बली ने इस प्रकार का विधान पास कर दिया है कि अगर म्युनिसिपैलिटीज सलाह लेना चाहें, म्युनिस्पैलिटी बाध्य नहीं है, जो चाहे वह पब्लिक सर्विस कमीशन की सलाह से कर्मचारियों को नियुक्त कर सकती हैं । तो मैं यह नहीं कहता कि हम बम्बई का अनुकरण करें । लेकिन अगर अनुकरण सराहनीय हो तो हमें ऐसा करने में कोई बाधा नहीं होनी चाहिये । अब इसके साथ साथ कुछ ऐसे मामले होते हैं हर साल जिन पर कि कमीशन सिफारिश करता है और सरकार उन सिफारिशों को नहीं मानती तो कमीशन को भी ग्लानि होती है, सरकार को भी ग्लानि होती है और इन रिपोर्टों को पढ़ने के बाद हमें भी ग्लानि होती है तो इसका कोई तरीका निकलना चाहिये । इतना ही कह देने से नहीं होगा कि कमीशन ने सिफारिश की, उस पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया गया और उनको नहीं माना जा सका ।

मैं तो यह सुझाव दूंगा कि जिस प्रकार केन्द्र में होता है, वहां का तरीका यह है कि अगर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कोई सिफारिश करता है और संबंधित मिनिस्ट्री उस सिफारिश को नहीं मानती तो एक बार फिर पब्लिक सर्विस कमीशन के पास वह मामला जाता है और दोबारा विचार पब्लिक सर्विस कमीशन करता है । अगर फिर भी पब्लिक सर्विस कमीशन की वही राय रहे ऐतो केन्द्रीय कैबिनेट ने एक परमानेंट सब-कमेटी बना दी है, जिसका काम ही यह है कि वह सारे से मसलों पर फौरन विचार करती है, क्योंकि पूरी कैबिनेट की मीटिंग देर में हो सकती है । लेकन सब-कमेटी की मीटिंग जल्दी हो जाती है । तो केन्द्रीय सरकार की तरह यहां भी एक, सब-कमेटी बन जाय । मैंने नहीं जाना यहां ऐसी कोई कमेटी है या नहीं, क्योंकि कैबिनेट की बातें जानने के अधिकार का मैं दावा नहीं ·····।

श्री अध्यक्ष--सेंटर के बारे में आपको मालूम है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी--केन्द्र में ऐसा है । लेकिन यहां है या नहीं, मैं नहीं कह सकता । शायद ऐसा हो । कैबिनेट की कितनी कमेटीज हैं, कितनी सब-कमेटीज हैं, मैं नहीं जानता । लेन मैं एक सुझाव दे रहा हूं कि अगर यह नहीं है तो समय को बचाने के लिये होना चाहिये । कमीशन को भी यह ख्याल न हो कि हमारी राय

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

पर सिर्फ एक सेक्रेटरी ने विचार कर लिया और पूरी तरह से विचार नहीं किया गया। तो इसके लिये एक अप्वाइन्टमेंट सब कमेटी बने और उसके सुझावों पर गंभीरतापूर्वक विचार करे। अगर उसके बाद भी यह राय हो तो एक्सेप्शनल मामलों में पब्लिक सर्विस कमीशन की राय न मानी जाय। लेकिन साधारणतया और विशेषतया यह अवश्य होना चाहिये कि कमीशन की सिपारिशों को माना जाय। यह अत्यन्त ही आवश्यक है ।

सन् १९५०–५१ और १९५१–५२ की रिपोर्ट में आप देखेंगे कि बहुत से मामले ऐसे हैं कि जिन पर कमीशन सरकार की राय को मान गया, लेकिन जो भाषा लिखी गयी है इन रिपोर्टों में उससे ऐसा प्रतीत होता है कि कमीशन ने माना तो लेकिन समझ कर नहीं माना। सरकार के तर्कों के आधार पर नहीं माना, विभागीय तर्कों के आधार पर नहीं माना, लेकिन इसलिए माना कि चूंकि सरकार ने यह फैसला कर दिया है, सरकार की प्रतिष्ठा रखनी है इसलिये इसको मान लो। कुछ ऐसा ही मुझे लगा। या तो इसकी भाषा गलत है, क्योंकि हम रिपोर्ट की भाषा को उसमें लिखे अनुसार ही समझना है और इसमें जो भाषा है वह भ्रमात्मक है भी नहीं, बिलकुल स्पष्ट है। तो एसा नहीं होना चाहिये कि हम यह समझें सदन यह समझ या कमीशन यह समझे और सरकारी कर्मचारी यह समझें कि होता वही है जो सरकार चाहती है। मुझे श्रद्धेय श्री गोपीनाथ श्रीवास्तव, जो पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन थे और उनकी रिपोर्ट भी है यहां की बात की याद आती है। उनका कहना था और रिपोर्ट में भी उन्होंने लिखा है कि कभी कभी तो डिपार्टमेंटों की कार्यवाही से ऐसा प्रतीत होता ह कि कमीशन एक खाली मुहर लगाने वाली अथारिटी है। मैंने इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया, लेकिन १९५१–५२ की रिपोर्ट जो है उससे यही भावना दुर्भाविना हुयी है। क्या मैं इस बात की आशा करूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी अपने इस शासनकाल में इस प्रकार की कोई भावना (दुर्भाविना) पैदा होने का अवसर न देंगे।

अब इसके बाद मुझे कुछ शब्द वर्तमान जो सेवायें और नियम हैं उनके सम्बन्ध में भी कहना है। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में, दोनों रिपोर्टों में, इस बात को कहा है कि पब्लिक सर्विस कमीशन ने जिन नियमों के सम्बन्ध में सिपारिशें की थीं, उनको भी अभी तक लागू नहीं किया गया है और जिन नियमों के संशोधन की आवश्यकता कमीशन ने बतायी, उन नियमों में भी संशोधन नहीं किया गया है। मिसाल के लिये सबार्डिनेट जेल सर्विस, सबार्डिनेट पुलिस सर्विस, सबार्डिनेट ट्रांसपोर्ट सर्विस तो चार प्रकार की सेवायें बतलायी गयी हैं। एक तो वह जिनके नियम आज तक बने ही नहीं, सेवायें हैं सर्विसेज कार्य कर रही हैं, लेकिन नियम नहीं बने अभी तक और दूसरे वे कि जिनके नियमों में संशोधन के सम्बन्ध में कमीशन ने राय दे दी है, लेकिन वे लागू नहीं किये गये। तीसरे वे जिनके नियम तो हैं लेकिन वे बहुत पुराने हो चुके हैं, सन् १९२१, १९३०, १९४९ के पुराने नियम हैं और अभी तक संशोधित नहीं हुये हैं और चौथे वे जो नयी सेवायें बनी हैं जिनके नियम किसी हालत में पुराने नियमों के अनुसार नहीं बने। जैसे मिसाल के लिये पब्लिक एकाउन्ट्स आफिसर के सम्बन्ध में वे एकाउन्ट्स सर्विसेज के नियम उनके लिये लागू नहीं होते हैं और नियम लागू होने चाहिये, क्योंकि वह पद ऐसे महत्व का है कि करोड़ों रुपयों से डील करना पड़ता है। तो इस बात को अवश्य हमारी कामना है कि इस प्रकार के जितने नियम हैं, चारों प्रकार के नियम हैं और जो बातें आती हैं इसके अन्दर उसके अनुसार नियम बनाने चाहिये और कम से कम इस स्थान में इतना अवश्य कहूंगा कि अब केवल नियमों से ही काम नहीं होना चाहिये, अगर जरूरत हो, आप विधान की अनुच्छेद ३०९ को देखेंगे तो यह लिखा हुआ है श्रीमन्, मुझे क्षमा करेंगे मेरे पास केवल अंग्रेजी की प्रति है––

"Article 309. Subject to the provision of this Constitution Acts of the appropriate Legislature may regulate the recruitment, and conditions of service of persons appointed, to public services, and posts in connection with the affairs of the Union or of any State:"

इस विधान के प्रतिबन्धों के मातहत अधिकारी विधान सभा के द्वारा कोई भी ऐसे नियम बनाये जा सकते हैं जो कि पब्लिक सर्विसेज के सम्बन्ध में उनकी पोस्टिंग के सम्बन्ध में किसी भी राज्य में हों। यह ऐक्ट के द्वारा।

दूसरा जो प्राविजो है उसमें यह है —

"Provided that it shall. be competent for the president or such person as he may direct in the case of services and posts in connection with the affairs of the Union, and for the Governor or Rajpramukh of a state or such person as he may direct in the case of services and posts in connecticn with the affairs of the state, to make rules regulating the the recruitment. and the conditions of service of persons appointed, to such services and posts until provision in that behalf is made by or under an Act of the oppropriate Legislature under this article, and any rules so made shall have effect subject to the provisions of any such Act."

"परन्तु जब तक इस अनुच्छेद के अधीन समुचित विधान मंडल के अधिनियम के द्वारा या अधीन उस लिये उपबन्ध नहीं बनाये जाते तब तक यथास्थित संघ के कार्यों से सम्बद्ध सेवाओं और पदों के बारे में राष्ट्रपति को, अथवा ऐसे व्यक्ति को, जिसे वह निर्देशित करे, तथा राज्य के कार्यों से सम्बद्ध सेवाओं और पदों के बारे में राज्य के राज्यपाल या राजप्रमुख को, अथवा ऐसे व्यक्ति को, जिसे वह निदेशित करे, ऐसी सेवाओं और पदों के लिये भर्ती तथा नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों का विनियमन करने वाले नियमों के बनाने की क्षमता होगी तथा किसी भी अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुये उस प्रकार निर्मित कोई नियम प्रभावी होंगे।

या जो इस समय हमारी सेवाओं के नियम हैं वे इस प्रतिबन्ध के अधीन हैं तो अच्छा तो यह होगा कि बजाय इसके कि सरकार नियम बनाती रहे सेवाओं के और हर साल बनते रहें, यह विधान मंडल जो हमारा है यह सेवाओं के नियमों को बनायें। जहां तक मुझे मालूम है ऐसा अभी केन्द्र में भी नहीं हुआ है और किसी राज्य में ए, बी, सी, में नहीं बनाये हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि जब विधान में यह बातें हैं तो उन पर उनका अमल होना चाहिये और इस विधान सभा को यह अधिकार मिलना चाहिये कि हम उन सेवाओं के सम्बन्ध में विधान बनायें, ऐक्ट बनायें, उसके अधीन नियम बनें और तब पब्लिक सर्विस कमीशन और भी स्पष्टतः साथ इस विधान की भावनाओं के अनुसार काम कर सकेगा। तो क्या इस सम्बन्ध में मैं आशा कर सकता हूं कि सरकार कुछ अधिक क्रियाशील होगी और विधान की धारा ३०९ के अनुसार इस राज्य की सभी सेवाओं और सर्विसेज के विधेयक बनाने की चेष्टा करेगी क्योंकि उनका लगातार चलते रहना मैं समझता हूं कि विधान की धाराओं के अनुसार भी उचित नहीं है।

अब मुझे कुछ बातें आम तौर पर कमीशन की परीक्षाओं और सेलेक्शन्स वगैरह के बारे में कहनी हैं। जहां तक परीक्षा का प्रश्न है पहली बात तो मैं यह कह दूं कि परीक्षाओं की जो फीस बढ़ा दी गयी है जब से कम्बाइन्ड सर्विसेज का ऐक्जामिनेशन होने लगा है यह ज्यादा उचित नहीं है। यह बात सही है कि हरिजन परीक्षार्थियों के लिये कुछ फीस कम कर दी गयी है और यह भी सही है कि सबार्डिनेट सर्विसेज के लिये भी कुछ फीस कम है। लेकिन सन् ४७-४८ में पब्लिक सर्विस कमीशन यू० पी० ने इस बात की सिफारिश की थी कि इंटरव्यू फीस मांफ कर दी जानी चाहिये, अप्लीकेशन फीस केवल ५ रुपये रहनी चाहिये और परीक्षा फीस घटाकर के प्रांविशियल सर्विसेज के लिये ३० रुपया, सबार्डिनेट और मिनिस्टीरियल सर्विसेज के लिये १० रुपया हो जानी चाहिये। तो गवर्नमेंट ने आश्वासन दिया था कि हम इस पर फिर विचार

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

करेंगे। तो सन् ४७-४८ की सिफारिशें ये हैं जब कि कीमतों की हालत या बजट की हालत जो भी आप कह लें, क्या थी आप जानते हैं और कमीशन ने ऐसा क्यों कहा था ? इसलिये कहा था कि धन के कारण या धन की कमी के कारण या फीस के कारण किसी को यह कहने का मौका नहीं होना चाहिये कि हम कम्पटीशन में नहीं बैठ सकते। यह कहा जा सकता है कि फीस की वजह से कोई मेरिटोरियस लड़का है, वह न बैठे, यह नहीं हो सकता, लेकिन कमीशन के पास इस बात की सिफारिशें आयीं, ऐसे उदाहरण आये कि इस रुपये की कमी के कारण ठीक समय पर रुपया न जमा कर सकने के कारण, आज ऐडवर्टिजमेंट होता है, विज्ञापन निकलता है, देहात में कोई लड़का है, १५ दिन बाद उसको मालूम होता है कि ऐडवरटाइजमेंट निकला है, लेकिन ऐन मौके पर पैसे नहीं होते हैं, नहीं जमा कर पाता, तो इसी लिये कमीशन ने यह सिफारिश की थी और सरकार ने विचार करने के लिये आश्वासन दिया था। तो वह समय आ गया है कि हमें परीक्षाओं में शिक्षार्थियों को या उम्मीदवारों को अधिक सुलभता के साथ, अधिक आसानी के साथ बैठने का मौका देना चाहिये और कमीशन के उस पुराने सुझाव को मान लेना चाहिये। यह फीस कम करने के सम्बन्ध में हमें अब सोचना चाहिये।

दूसरी बात यह है कि सन् ५०-५१ में जो डिपार्टमेंटल परीक्षायें, विभागीय परीक्षायें कमीशन के द्वारा होती थीं, वह बन्द कर दी गयीं। साल में दो बार विभागीय परीक्षायें कमीशन के द्वारा ली जाती थीं। तो उसमें यह हुआ कि कमीशन ने यह मांग की कि यह विभागीय परीक्षायें नाम में तो हम लेते हैं लेकिन पर्चे कौन इनके बनाता है, एग्जामिनर कौन है, यह सब सरकार तय करती है, हमारा काम केवल तारीखें मुकर्रर कर देना, हाल वगैरह का इंतजाम कर देना और रिजल्ट छपवा देना इतना ही रहता है। तो कमीशन ने इसलिये यह मांग की थी कि यह हमारे अधिकार क्षेत्र में पूरा कर दिया जाय, इन विभागीय परीक्षाओं को और मुझे तो कुछ ऐसा लगा कि एक व्याज निन्दा या व्याज स्तुतिवत कहिये, उन्होंने साथ में यह भी जोड़ दिया कि अगर यह अधिकार हमको नहीं दिया जाता तो हमारे हाथ में क्यों रखते हैं, आप ही ले लीजिये। मैं यह तो नहीं कहूंगा कि सरकैज्म के दृष्टिकोण से बल्कि तर्क के दृष्टिकोण से उन्होंने यह कहा कि आप ही कर लीजिये। तो सरकार ने एक साल के बाद यह निश्चय किया कि विभागीय परीक्षायें सरकार स्वयं कर लेगी और उन्होंने प्रिंसिपल आफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल के मातहत यह परीक्षायें कर दीं। मैंने और जो दूसरे स्टेट्स हैं, उनके यहां के कमीशन के अधिकारों को भी देखा और जगह विभागीय परीक्षायें, समय की अधिकता के कारण, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन अधिकतर विभागीय परीक्षायें जो जूनियर आफिसर्स की होती हैं, उनको पब्लिक सर्विस कमीशन ही लिया करता है। तो मैं यह चाहूंगा कि इस पर पुनर्विचार करें और इस प्रकार की विभागीय परीक्षाओं को दुबारा पब्लिक सर्विस कमीशन के हाथ में दिया जाय।

तीसरी बात यह है कि जिसकी ओर इशारा पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपनी सन् ५०-५१ की रिपोर्ट में भी किया है। कमीशन के पास इम्तहान के लिये अपना कोई हाल नहीं है। बड़ी भारी दिक्कत कमीशन को होती है। इलाहाबाद में अक्सर सिनेट हाल उनको नहीं मिलता है। वह युनिवर्सिटी का है। बड़ी भारी दिक्कत है कि वह इम्तहान कहां लें ? फिर दूसरी दिक्कत यह भी है कि परीक्षार्थी जो आते हैं उनके ठीक से रहने के लिये कहीं जगह नहीं है। भीड़भाड़ वाली वह जगह है। तो वहां पर उनको भी ठहरने में बड़ी दिक्कत होती है। इसके सम्बन्ध में सन् ४७-४८ में कमीशन ने सुझाव दिया है कि वहां पर या तो कोई एक परीक्षा हाल बनाया जाय या परीक्षार्थियों का जहांतक संबंध है, एक कैंडीडेट्स होम उन्होंने रखा। यह श्री गोपीनाथ श्रीवास्तव का सुझाव था कि ऐसे कैंडीडेट्स होम खुलने चाहिये ताकि उसका नियंत्रण पब्लिक सर्विस कमीशन के कोई अधिकारी करें, जिसमें अनुशासित ढंग से जो शिक्षार्थी परीक्षार्थी वहां पर परीक्षा में बैठा करें उनको चिंतित भी न होना पड़े कि हम कहां रहें और रहें भी तो बेकार की जगह में रहें। तो परीक्षा हाल और कैंडीडेट्स होम जिसकी प्रस्तावना सन् ४७-४८ से सरकार के सामने है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कम से कम उसका आयोजन होना चाहिये। आखिर हम सब विभागों की योजना बना रहे हैं, निर्माण की बना रहे हैं, उनको पूरे मानों

में लागू कर पावें या न कर पायें। लेकिन पब्लिक सर्विस कमीशन की इस मांग को जिसमें मैं समझता हूं दो लाख डेढ़ लाख रुपया से ज्यादा नहीं लग सकता, अपनी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में अवश्य रख लें तो यह शोभा की बात होगी।

तो परीक्षाओं के संबंध में तो मुझे इतना ही कहना है। इसके बाद रिपोर्ट के संबंध में भी मुझे कुछ बातें कहनी हैं। मैं इस बात की धृष्टता तो नहीं कर सकता कि मैं कहूं कि रिपोर्ट में यह बात होनी चाहिये और वह नहीं होनी चाहिये, क्योंकि आखिर यह रिपोर्ट पब्लिक सर्विस कमीशन की है और ऐसे विद्वानों की है जो कि पी० सी० एस० और यहां के सब से बड़े अधिकारियों कि नियुक्ति करते हैं। लेकिन इस रिपोर्ट में बहुत सी बातें अस्पष्ट हैं, जोकि साफ नहीं हुई हैं। उतनी अस्पष्ट तो नहीं है जितनी कि सरकार का स्मृति-पत्र है, लेकिन फिर भी बहुत सी बातें साफ नहीं हैं। जैसा कि यदि पहले और दूसरे साल की रिपोर्ट को मिलाइये तो पता नहीं चलेगा कि पिछले साल जो कमीशन ने सिफारिशों की थीं उनका क्या हुआ अगले साल। पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट में यह भी होना चाहिये कि आखिर जो उम्मीदवारों का स्तर रहा वह कैसा रहा? जो परीक्षाओं में लोग बैठे उससे उनका क्या नतीजा निकला? आया विद्यार्थियों की पढ़ाई का स्तर नीचे गिर रहा है? जो विभागीय कर्मचारी हैं जिनका उन्होंने इन्टरव्यू किया है, उनका स्टैंडर्ड कैसा है? कुछ न कुछ नोट उसका अवश्य होना चाहिये। १९५०-५१ में थोड़ी टिप्पणियां हैं, एक पैराग्राफ है, लेकिन ५१-५२ में कोई नहीं है। इसलिये मेरा उनसे निवेदन होगा कि हर साल एक परिच्छेद इसके लिये होना चाहिये, पैराग्राफ से काम नहीं चलने वाला है, जिसमें अलग अलग लिखा हुआ है कि विद्यार्थियों की जनरल नालिज के बारे में उनकी क्या राय है जो कि यूनिवर्सिटी के हैं। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में थोड़ा बहुत ऐसा होता है। उसमें यह भी हो कि विश्वविद्यालय के नाम भी लिये जायं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों में यह कमजोरी पायी गयी। लखनऊ युनिवर्सिटी के कामर्स फैकल्टी के विद्यार्थियों में यह कमजोरी पायी गयी, इसी तरह से होना चाहिये। उससे यह फायदा होगा कि एक तरफ विद्यार्थियों को कुछ गायडेंस मिलेगा, सरकार को गायडेंस मिलेगा और विद्यार्थियों को श्रम करने या ज्यादा मेहनत करने की इच्छा होगी। तो इस प्रकार से एक टेस्ट ऐनेलेसिस हमारे सामने आ सकेगा। इस संबंध में मैं कुछ उदाहरण के लिये बम्बई पब्लिक सर्विस कमीशन की एक रिपोर्ट का हवाला देना चाहता हूं, जिसमें उन्होंने यह कहा है कि टेस्ट ऐनेलेसिस के क्या परिणाम हुये। हमारे यहां अभी ऐसी कोई चेष्टा नहीं हुई है। उन्होंने तीन प्रकार के टेस्ट किये। पहला टेस्ट तो यह किया कि यूनिवर्सिटी के इम्तहानों के नतीजे में कितना तारतम्य रहा, कहां तक कम्पेरेटिव स्टडी रही। दूसरा यह कि अलग अलग फैकल्टी के विद्यार्थियों में क्या विशेषता उन्होंने देखी और तीसरा उन्होंने देखा कि क्या कमीशन के द्वारा जो टेस्ट लिया जाता है, जो परीक्षा ली जाती है, वह उम्मीदवार की योग्यता की परिचायक है अथवा नहीं। इसका भी टेस्ट लिया और नतीजा बड़ा आश्चर्यजनक निकला, जो कि इस सदन के लिये, मैं समझता हूं पब्लिक सर्विस कमीशन के लिये और हमारे प्रदेश के लिये बड़ा लाभदायक होगा। बम्बई वालों ने यह देखा कि १५० कैंडीडेट जोकि कमीशन द्वारा क्वालिफाइड हुये उनमें ८० ऐसे थे जो थर्ड डिवीजनर्स थे ६८ ऐसे थे जो सेकेंड डिवीजनर्स थे और दो फर्स्ट क्लास वाले थे। यानी थर्ड डिवीजन में पास हुये लोग पी० एस० सी० के सामने इम्तहान और इन्टरव्यू में ज्यादा कामियाब हुये बनिस्बत उनके जिन्होंने फर्स्ट और सेकेंड डिवीजन पाया था। मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ यह पढ़कर क्योंकि मैं समझता था कि थर्ड डिवीजन में पास हुआ आदमी बिल्कुल निकम्मा होता है और हमारे प्रदेश में सरकारी नौकरियों के लिये थर्ड डिवीजन वालों की तो कोई इजज्जत ही नहीं है, सैकेंड डिवीजन वालों की थोड़ी सी इज्जत है। लेकिन बम्बई के पी० एस० सी० की रिपोर्ट से यह साबित होता है कि थर्ड डिवीजनर ने मेहनत करके तरक्की कर ली और सेकेंड और फर्स्ट डिवीजन वाले पीछे रह गये। तो इसलिये इस प्रकार का टेस्ट एनालिसिस देना हमारी पी० एस० सी० की रिपोर्टों के लिये भी अत्यन्त आवश्यक है।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

इसके साथ ही साथ इन रिपोर्टों के संबंध में दूसरी बात यह है कि सरकार को भी बुरा नहीं लगना चाहिये अगर कमीशन ने कुछ ज्यादा बातें कह दी हों। मुझे अत्यन्त दुख है कि सरकार ने जो सन् १९५१–५२ का स्मृति-पत्र दिया है उसमें कमीशन को बतलाया है कि "इस प्रकार की रिपोर्ट संविधान के आदेशों की पूर्ति के लिये यह पर्याप्त होता है कि कमीशन विचाराधीन वर्ष के अपने कार्य का विवरण दे देता और राज्यपाल उन मामलों में जिनमें कमीशन की राय न मानी गई हो उस राय के न माने जाने के कारणों का उल्लेख कर देते। इस बुनियादी प्रयोजन को स्पष्टरूप से पूरा करने के लिये कमीशन द्वारा किये गये कार्य के ब्योरे, जो रिपोर्ट से लिये गये हैं, नीचे दिये जा रहे हैं।"

यानी जिस प्रकार की रिपोर्ट सरकार चाहती है उस प्रकार की रिपोर्ट बना कर बतला दिया गया है और एक पेज में यही लिखा हुआ है और कहा गया है कि हम तो ऐसी रिपोर्ट चाहते थे, आपने तो लम्बी लिख दी। और फिर आगे इसी में पेज ३ पर देखिये पैराग्राफ ४। उसमें लिखा है "कई अन्य ऐसे मामले भी हैं जिनकी चर्चा कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में की है किन्तु जो वस्तुतः संविधान में व्यवस्थित रिपोर्ट के प्रयोजन के क्षेत्र से बाहर है साधारणतया ऐसे ममलों में सरकार की ओर से कोई टिप्पणी करके इस स्मृपि-पत्र को बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं होती, लेकिन चूंकि यह संभव है कमीशन की कुछ उक्तियों से यह धारणा हो सकती है कि कदाचित सरकार ने कमीशन के विचारों पर उतना ध्यान नहीं दिया जितना उन्हें देना चाहिये था, इसलिये स्थिति को कुछ स्पष्ट करने की आवश्यकता प्रतीत होती है।" इसका अर्थ यह है कि सरकार यह नहीं चाहती कि कमीशन संविधान की धारा ३२० के दायरे के बाहर कोई चीज अपनी रिपोर्ट में लिखे। आखिर हम रिपोर्ट में इतना ही तो नहीं चाहते कि कमीशन ने क्या सिफारिश की और सरकार ने किसको माना और किसको नहीं माना। हम तो विधान की धारा ३२० के अनुसार यह चाहते हैं कि हम जानें कि सरकारी नौकरियों का स्तर कितना ऊंचे उठा या नीचे गिरा, उनमें कार्य कुशलता कितनी बढ़ी, उनके अनुसशासन का मापदंड सेवाओं में बढ़ा है या अनुशासनहीनता बढ़ी है। इसलिये हमारे विचार से सरकार को भी ऐसी कोई शिकायत नहीं होनी चाहिये अगर कमीशन ने यदा कदा अपने जनरल आब्जर्वेशन्स में यह कह दिया हो, क्योंकि इससे सरकार के ऊपर भी आक्षेप आ सकता है। और सन् ५१–५२ की रिपोर्ट से स्पष्ट हो जाता है। सरकार से भी यह कहा जाता है कि सरकार यह चाहती है कि पी० एस० पी० ज्यादा इंडिपेंडेंट व्यू न दे और जहां भी उसने थोड़ी सी स्वतंत्र राय दी या सरकार के बिलम्ब करने की आलोचना की तो सरकार ने कमीशन की बातों को ठुकरा दिया या कमीशन ने जो बातें कहीं उनको ठुकराते हुये दूसरी तरफ से रेगुलेशन्स की आड़ में काम करना शुरू कर दिया। मैं नहीं चाहता सरकार के ऊपर ये आपत्तियां आयें, लेकिन सन् ५१–५२ की रिपोर्ट देखने से यह बात संभवतः समझ में आती है। दो तीन बातें उसमें बिल्कुल स्पष्ट हैं। सन् ५१–५२ की रिपोर्ट को आप देखिये।

श्रीमन्, कमीशन का यह कहना है कि सरकार का जवाब हमें नहीं मिला और सरकार का यह कहना है कि कमीशन ने कोई चिट्ठी नहीं लिखी। अब मैं किसको सही मानूं? कमीशन में बहुत ही जिम्मेदार और आदरणीय विद्वान मौजूद हैं और हमारी सरकार तो जनतंत्र द्वारा चुनी हुई सरकार है और योग्यतम व्यक्तियों द्वारा यह सरकार निर्मित है। इस रिपोर्ट के पृष्ठ २ पैरा ५ में दिया हुआ है कि :—

"शासन के बार-बार अनुदेश करने पर भी नियुक्ति प्राधिकारी तथा स्थानापन्न नियुक्तियों के करने में अपने अधिकारों का बराबर अतिक्रमण करते हैं। ऐसी अनुचित क्रियाओं को रोकने के उद्देश्य से कमीशन के अध्यक्ष ने गत वर्ष मुख्य मंत्री को यह सुझाव दिया था कि नियुक्ति प्राधिकारियों से यह कहा जाय कि वे सब उन सब अस्थायी नियुक्तियों की जो बिना कमीशन की अनुमति के की गई हैं, एक अर्द्ध वार्षिक सूची बनाकर कमीशन के पास के भेजें तथा हर मामले में यह भी लिखें कि कमीशन की अनुमति क्यों नहीं ली गई।

इस संबंध में शासन से कोई उत्तर नहीं मिला। इस आलोच्य वर्ष में भी ऐसी कई क्रियायें हुई हैं जैसा कि इस रिपोर्ट के अध्याय ८ के पैरा ५, ६, ८, ९ अध्याय ९ के पैरा ५ व ६ तथा अध्याय १० के पैरा ५, ९, १० व १२ से विदित होगा।

यह कमीशन ने रिपोर्ट दी है, अब श्रीमन्, देखिये कि सरकार क्या लिखती है। सरकार का कहना है जो इसी रिपोर्ट के पृष्ठ ४ पैरा (१) "अस्थायी स्थानापन्न नियुक्ति" कमीशन ने ५०-५१ की रिपोर्ट में भी इसी मामले का उल्लेख किया था। इस रिपोर्ट के संबंध में विधान मंडल के सम्मुख जो स्मृतिपत्र रखा गया था उसमें यह स्पष्ट कर दिया गया था कि उन विशेष मामलों के संबंध में जिन्हें कमीशन के चेयरमैन मुख्य मंत्री की जानकारी में लाये थे तत्संबंधी स्थिति चेयरमैन को स्पष्ट कर दी गई थी। तत्पश्चात कमीशन ने उक्त मामले में आगे और कार्यवाही करना आवश्यक नहीं समझा। इस मामले में न तो आगे कोई नई बात हुई है और न सरकार को कमीशन से इस विषय पर कोई नया पत्र प्राप्त हुआ।

अब देखिये श्रीमन्, इस मामले में कोई नई बात नहीं हुई और न उनका कोई पत्र ही प्राप्त हुआ। कमीशन का कहना है कि हमने शासन से मुंहजबानी कहा और पत्र भी लिखा, लेकिन शासन से कोई उत्तर नहीं मिला। श्रीमन्, यह कितना इम्पार्टेन्ट विषय है। मैं भाषा पर जोर नहीं देता हूं, लेकिन यह देखता हूं कि विषय कितना आवश्यक है। कमीशन कहता है कि लगातार टेम्पोरेरी और आफीशियेटिंग अप्वाइंटमेंट्स के सिलसिले में रेग्यूलेशन्स वायलेट होते रहे हैं और एक नहीं बल्कि १०-२० मिसालें दी गई हैं। आगे चलकर आप देखेंगे श्रीमन्, इसी रिपोर्ट में पृष्ठ २४ पर दिया हुआ है पैरा १२ में कि :—

"अनेक मामले ऐसे हैं, जिनमें नियुक्ति अधिकारियों ने कमीशन को निर्देश करने में अत्ययंत बिलम्ब कर दिया। उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं, हरकोर्ट बटलर टैक्नोलोजीकल इंस्टीट्यूट, कानपुर में रिसर्च कैमिस्ट ६ वर्ष, सार्वजनिक निर्माण विभाग की बिजली शाखा में हेड मिस्त्री ६ वर्ष, सबार्डिनेट कृषि सेवा में द्वितीय ग्रुप ६ वर्ष, नायब तहसीलदार या पेशकार दो वर्ष से सात वर्ष तक, प्रेजुयेट और अंडर प्रेजुयेट ग्रेड में अध्यापक, भिन्न भिन्न मामलों में पृथक पृथक समय, उत्तर प्रदेश कृषि सेवा (जूनियर स्केल) १९ माह, गवर्नमेंट प्रिसीशन इंस्ट्रूमेंट फैक्ट्री, लखनऊ में सहायक अकाउन्ट्स आफिसर १८ माह, कृषि इंजीनियरिंग विभाग में वर्कशाप योजना के अन्तर्गत एकाउन्ट्स अफसर २२ माह, सिंचाई शाखा में इलेक्ट्रिकल व मैकेनिकल सुपरवाइजर दो वर्ष से सात वर्ष तक।"

सरकार इस संबंध में यह कहना है कि जो कुछ करना था वह सरकार ने कर दिया। अब कोई कार्यवाही बाकी नहीं है तो ऐसे महत्वपूर्ण मामले पर केवल इतना कह देने से काम नहीं चलेगा कि तत्संबन्धी स्पष्टीकरण कर दिया गया है। मैं मांग करूंगा कि इतने महत्व के मामले को स्पष्ट किया जाय कि क्या स्पष्ट किया गया है। मैंने सारा स्मृति-पत्र देखा जिनका जिक्र इसमें किया गया है, कहीं भी स्पष्टीकरण नहीं है। एक या दो मामलों को छोड़कर किसी पैरे का स्पष्टीकरण नहीं है। अब इसके अलावा आप यह भी देखेंगे कि बहुत जगह पर कमीशन ने अत्यन्त सख्त शब्दों का इस्तेमाल किया है और जिनके संबंध में मैं समझता हूं कि किसी भी अधिकारी के ऊपर जिसके बारे में ऐसे आरोप लगाये जाते, उनके ऊपर कार्यवाही की जानी चाहिये थी। कमीशन का अगर आप कोई महत्व समझते हैं तो उनके ऊपर कार्यवाही होनी चाहिये थी। मिसाल के लिये पृष्ठ १६ में कृषि संचालक के बारे में कहा गया है। सन् १९५१-५२ की रिपोर्ट के पृष्ठ १६ के पैरा ५ में डाइरेक्टर आफ ऐग्रीकल्चर के बारे में लिखा गया है कि उप संचालक कृषि विभाग ने अपने मामले अप्रैल, १९५१ तक कमीशन के पास नहीं भेजे। इस प्रकार से वहां उम्मीदवार कमीशन की अनुमति के बिना ८ वर्ष तक विभिन्न पदों पर कार्य करते रहे। कृषि संचालक के कार्यालय में असाधारण बिलम्ब के और भी मामले हुये हैं। इस विषय में शासन को लिखा गया तो उन्होंने इन मामलों की रोकथाम के लिये उनसे कुछ अनुरोध किया और शासन ने ऐसी अनियमितताओं को गम्भीर

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

दृष्टि से नेखा। उसने संचालक को सतर्क रहने के लिये कहा ताकि ऐसी भूल फिर न हो। मैंने ७ साल की कमीशन की रिपोर्ट देखी लेकिन जितने सख्त शब्दों का इस्तेमाल यहां पर किया गया है वैसा कहीं नहीं है। खाली चेतावनी देने से काम नहीं चलेगा। जहां पर ८ साल लगातार किसी विभाग के अधिकारी रेगुलेशन्स को वायलेट करते रहे वहां पर खाली चेतावनी दे दी जाय यह उपयुक्त नहीं मालूम होता है।

इसमें आप देखेंगे कि कृषि संचालक के कई और मामले भी हैं। पैराग्राफ ६ पर दिया गया है कि इस परिस्थिति में कमीशन ने इन मामलों पर विचार किया। ८ वर्ष तक अच्छा काम होने पर उन्होंने पदोन्नति की । यह भी एक असाधारण बिलम्ब हुआ। यह इस प्रकार के मामले हैं जिन पर अवश्य सरकार को कार्यवाही होनी चाहिये। इसके साथ साथ कई रिपोर्ट के पैराग्राफ ऐसे हैं जिनके संबंध में सरकार से स्मृतिपत्र में कोई उत्तर नहीं मिला है। स्मृति पत्र के ५–६ पेज पर कोई उत्तर सरकार की ओर से नहीं दिया गया। इसका उत्तर होना आवश्यक है। मैं समय बचाने की दृष्टि से पृष्ठ ८ का पैरा ७ और बैरा ५–६, पृष्ठ २० का पैरा ४, पृष्ठ २२ का पैरा ८, पृष्ठ २३ का पैरा ४ और ६ यह तमाम हैं, जिनका कोई उत्तर सरकार ने अपने स्मृतपित्र में नहीं दिया है और सरकार के लिये यह अत्यन्त आवश्यक था कि इसके संबंध में स्पष्टीकरण आता। आप उस सरकार की रिपोर्ट की भाषा को देखें तो उस रिपोर्ट की भाषा में लगातार यह कहा गया है कि कमीशन की ओर से जो कुछ कहा गया है उसके लिये स्थिति यह है कि इन मामलों के संबंध में जो समाप्त हो गये हैं कमीशन के द्वारा उनके संबंध में दी गयी अनियमितता पर विचार-विमर्श करने से कोई लाभ नहीं होगा। इसी प्रकार से ४, ५ स्थानों पर इसी तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है कि कमीशन ने जो व्योरा दिया उस पर विचार करने से कोई लाभ नहीं होगा। हमको तो इस व्योरे से मतलब नहीं है कि कब किसका प्रमोशन होता है, लेकिन अगर कमीशन के उस व्योरे से कोई सिद्धांत की बात निकलती है या किसी बात के अन्दर जाकर अनियमितता की बात निकलती है तो अवश्य हमको इस बात की जानकारी करनी है कि कमीशन ने अपनी रिपोर्ट के अन्दर उसका क्यों व्योरा दिया। डा० अमरनाथ जैसे विद्वान की कलम से अगर कोई रिपोर्ट लिखी जाती है और उनके द्वारा कोई वृत्तांत लिखा जाता है तो उस वृत्तांत के संबंध में सरकार अगर यह कहती है कि इसके बारे में हम कुछ कहना उचित नहीं समझते तो यह अनुचित है। इसलिये मैं चाहता हूं कि जितने पैरा दिये गये हैं और जिनके संबंध में कमीशन को शिकायत रही है उनके संबंध में स्पष्टीकरण सरकार को देना चाहिये। इसके साथ ही साथ कुछ शिकायतें ऐसी भी हैं जिनके बारे में सरकार की ओर से उचित कार्यवाही भी नहीं हुई है और मैं तो यह कहूंगा कि गलत काम भी हुआ है, इसके लिये मैं क्षमा चाहूंगा। मिसाल के लिये लोकल सैल्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के इंजीनियर का सवाल था कि इंजीनियर की नियुक्ति की जाय। ५०–५१ की रिपोर्ट से साबित होता है कि सरकार ने केवल एक ही व्यक्ति की नियुक्ति करना संभव करने के लिये कमीशन से कहा कि तुम नियम बदल दो। कमीशन ने कहा कि हम इसलिये नियम नहीं बदल सकते, लेकिन सरकार ने कमीशन की राय को नहीं माना और सीधे उन नियमों को प्रकाशित और लागू कर दिया। इससे सरकारी कर्मचारियों के बीच में यह दुर्भावना पैदा होती है कि भाई जिसका जोर है उसके लिये सरकार नियम भी बदल सकती है और कमीशन की राय बदलवा सकती है। मैं चाहूंगा कि इस प्रकार कीजितनी भी बातें कमीशन की रिपोर्ट में हैं उन पर सरकार और अधिक ध्यान दे।

मुझे एक शब्द के इस्तेमाल करने पर अत्यन्त आपत्ति है। यह सन् ५०–५१ की रिपोर्ट के स्मृपिपत्र में दिया गया है। चीफ इंजीनियर इलेक्ट्रिसिटी का चुनाव हो रहा था। इसके लिये कमीशन ने २,३ नाम पेश किये। उसके बारे में सरकार कहती है कि जो व्यक्ति नियुक्त किया गया वह इसलिये कि कमीशन ने उसे उपयुक्त समझा था और जिस व्यक्ति को कमीशन ने सर्वप्रथम रखा था वह बाहरी था यानी आउटसाइडर था। अब इस आउटसाइडर शब्द पर मुझे आपत्ति है। यू० पी० में बहुत से ऐसे बड़े से बड़े सरकारी कर्मचारी हैं जो इस प्रांत

के रहने वाले नहीं हैं और उन्हें आप टैक्निकली आउटसाइडर कह सकते हैं। अब आउट-साइडर का अर्थ क्या है? क्या विभाग के बाहर का या यू० पी० के बाहर का? मुख्य मंत्री जी के दस्तखत से भेजी गई रिपोर्ट में "आउटसाइडर" शब्द का इस्तेमाल हो, यह बड़े दुख की बात है। मैं यह नहीं चाहता कि प्रांतीयता फैले। अगर एडवरटाइजमेंट किया गया है तो यू० पी० के बाहर का भी आ सकता है। इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कमीशन के स्मृतिपत्र में करके इस सदन के सामने उपस्थित किया जाय, यह उचित नहीं है।

श्रीमन्, आप मेरी धृष्टता क्षमा करेंगे कि मैंने कुछ अधिक समय लेने की चेष्टा की है, लेकिन अन्त में मैं कुछ ऐसी बातों की ओर माननीय मुख्य मंत्री का ध्यान ले जाना चाहूंगा जो कि कमीशन के कार्य के लिये और भी आवश्यक हैं। इसमें से एक तो यह है कि सन् ४८-४९ में जब गोपीनाथ श्रीवास्तव जी कमीशन के चेयरमैन थे तो सरकार ने उनकी सलाह से एक रिसर्च ब्यूरो आफ पब्लिक ऐडमिनिस्ट्रेशन बनाया जिसका कार्य था कि वह यहां की सर्विसेज की जांच करे और उस ब्यूरो में बड़े बड़े विद्वान आचार्य नरेंद्रदेव, डाक्टर रामप्रसाद त्रिपाठी और यहां के रिटायर्ड चीफ इंजीनियर भी शायद उसमें थे, यू० पी० के ६, ७ विद्वान उसके मेम्बर थे। सरकार की आज्ञा के अनुसार वह ब्यूरो बनाया गया था। ब्रिटेन में भी ऐसा हुआ है और उस परम्परा को यहां निभाया गया कि वहां रायल कमीशन जिस प्रकार सर्विसेज की हालत की जांच के लिये होता था उसी प्रकार यह रिसर्च ब्यूरो भी काम करे, यह आशा थी। लेकिन मैंने जानकारी की और दो तीन रोज से जानकारी कर रहा था कि आखिर रिसर्च ब्यूरो का क्या हुआ। जो ब्यूरो एक बार सरकार ने बना दिया उसका क्या हुआ? मुझे पता चला कि वह रिसर्च ब्यूरो तो स्वयं ही मुरझा गया या सरकार ने उसको कोई प्रोत्साहन न दिया कि वह कुछ कार्य कर सकें। या तो सरकार उसको स्वीकार ही न करती, लेकिन जब सरकार ने एक बार एक फैसला कर लिया और श्रीवास्तव साहब की बात को मान लिया तो फिर उसको निभाना चाहिये था। उनके सदस्यों की नामावली मेरे पास है, वह इस प्रकार है:—

१—आचार्य नरेन्द्र देव
२—प्रो० एन० के० सिद्धांत
३—डा० राम प्रसाद त्रिपाठी
४—श्री एम० चेलापति राव
५—श्री बी० एन० झा
६—श्री टी० स्वामीनाथन
७—श्री भगवान सहाय
८—श्री टी० पी० भल्ला
९—ले० क० सोहन लाल
१०—श्री वी० के० एन० मैनन—सेक्रेट्री

जब कमीशन की नियुक्ति की गयी थी तो उसको कार्य करने देना चाहिये था और इसीलिये मैं अब माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करूंगा कि विदेशों के अनुसार वे अपनी ओर से फिर इस रिसर्च ब्योरो को जन्म दें, इसमें दुबारा जान डालें और अगर वे इस रिसर्च ब्यूरो की आवश्यकता नहीं समझते तो एक कमीशन का अनाउन्समेंट करें जो यहां की सर्विसेज की कंडीशन्स के बारे में, उनकी हालत के बारे में उनकी सेवाओं के बारे में, डिसिप्लिन और पेंशन के बारे में रूल्स पर विचार करें और ६ माह या एक वर्ष में अपनी रिपोर्ट पेश करें। ताकि सर्विसेज को यह मालूम हो कि जनतंत्र की पद्धति के अनुसार उनके भाग्य का निर्माण हो रहा है और हम लोग यह आशा करते हैं कि इस जनतंत्र के युग में अवश्य ही सर्विसेज के साथ निष्पक्ष रूप से व्यवहार किया जायगा। माननीय मुख्य मंत्री जी कई बार कह चुके हैं कि फ्रांस की तरह से ही हमारी भी सर्विसेज होनी चाहिये जहां पर पार्टियों की सरकारें बदल जाती हैं, लेकिन वहां की स्टेबिलटी वहां की सर्विसेज के कारण से ही है। उनका डिसिप्लिन इतना ऊंचा है कि उनकी कोई शिकायत

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

नहीं है और वे विभिन्न सरकारों को निभाती चली आ रही हैं और शासन की क्रम से सेवा करती चली आ रही हैं। तो अगर आप अपने यहां भी वैसी सी सर्विसेज को चाहते हैं, आप सरकार और पब्लिक सर्विस कमीशन के रिश्ते को सही मानों में कायम रखना चाहते हैं और विधान की सही भावना के अनुसार कार्य करना चाहते हैं तो आपको पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा और इस रिसर्च के द्वारा सर्विसेज को इस बात का भरोसा दिलवाना होगा कि आप गरीब से गरीब चपरासी से लेकर चीफ सेक्रेट्री तक लोगों को यह अवसर देंगे जिससे वे यह समझें कि राष्ट्र या इस राज्य के पुनर्निर्माण के लिये सही समाजवाद के निर्माण का कार्य उन्हीं के द्वारा होना है। उन्हें यह विश्वास होना चाहिये कि राज्य के लाभ के लिये यदि हमें दंड भी दिया जाता है तो हमारी सेवाओं का ख्याल भी किया जाता है हमारी नियुक्तियों में पक्ष अथवा भ्रष्टाचार नहीं होता वरन योग्यता के आधार पर हमारी नियुक्तियां होती हैं।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस समय सदन के सामने पब्लिक सर्विस कमीशन की सन् ५०–५१ और ५१–५२ की रिपोर्ट्स विचारार्थ प्रस्तुत हैं। ये काफी पहले की रिपोर्ट्स हैं और इनमें जो बातें कही गयी हैं वे भी काफी पुरानी हो गयी हैं। अच्छा हो कि जो वार्षिक रिपोर्ट पब्लिक सर्विस कमीशन की हों वे जल्द तैयार हो जाया करें, ताकि उन पर विवाद करने में ज्यादा आसानी हो सके और उसका असर हो सके। बहरहाल जो प्रस्तुत रिपोर्टस् हैं उनको पढ़ने का थोड़ा बहुत समय मैंने भी निकाला। सरकार अपनी सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिये कुछ नियम बनाये हुए है उन नियमों का पालन यदि होता है तो भर्ती किये जाने में किसी को कोई आपत्ति नहीं होती और इस बात का विश्वास होता है कि जो कुछ भर्तियां हो रही हैं वे सही तौर पर हो रही हैं। नौकरियों में भर्ती का मसला भी बाज समय ऐसा गम्भीर हो जाता है कि जो भी उम्मीदवार नाकामयाब होता है या नहीं लिया जाता है वह तरह तरह के आक्षेप सरकार पर लगाता है। बहुत से आक्षेप निराधार होते हैं, ९९ फीसदी आक्षेप निराधार होते हैं, लेकिन एक भी आक्षेप अगर सही निकल जाता है तो उसका असर बुरा पड़ता है। इस लिये जो नियम सरकार द्वारा बनाये हुए हैं उन नियमों का सरकार से उच्च अधिकारी और भर्ती करने वालों को चाहिये कि पूर्ण रूप से पालन करें ताकि उसमें किसी को कोई आक्षेप करने की कोई गुंजाइश न हो। कभी-कभी उन नियमों का उल्लंघन जाता है तो उसकी चर्चा होती है और जरा सी भी गलती को बढ़ा कर बढ़ाते बढ़ाते उसके रूप को बदल दिया जाता है जो अवांछनीय होता है। इस रिपोर्ट के देखने से पता चलता है और कमीशन ने खुद कहा है कि इस कमीशन के सामने कुछ मिसालें ऐसी आयीं, हो सकता है कि और भी ऐसी मिसालें हों, लेकिन कुछ मिसालें उन्होंने कहीं हैं। उनके देखने से यह पता चलता है कि कभी कभी नियमों की अवहेलना की गई है और अयोग्य उम्मीदवारों को भर्ती कर लिया गया है। ये जो नियम सरकार ने बनाये कि अगर कोई अस्थायी भर्ती किसी उच्च जगह पर कर ली जाय तो ६ महीने के अन्दर कमीशन को रिपोर्ट दे दी जाय या पदोन्नति हो तो एक साल के अन्दर रिपोर्ट दे दी जाय। श्री नारायण दत्त जी ने ऐसा कहा, मुझे तो नहींमालूम है, अब तो शायद यह नियम हो गया हो कि अस्थायी भर्ती के लिये एक साल में रिपोर्ट दे दी जाय। बहरहाल जिस समय की रिपोर्ट विचाराधीन है उस समय यही नियम था कि अस्थायी भर्ती की रिपोर्ट ६ महीने अन्दर कमीशन को दे दी जाय और पदोन्नति की रिपोर्ट एक साल के अन्दर कमीशन को दे दी जाय। इन नियमों के अवहेलना की शिकायत कमीशन की रही है। उन्होंने एक उद्धरण भी पढ़ा और एक मिसाल भी पेश की। वैसे मिसालें कई हैं लेकिन सन् ५०-५१ की जो कमीशन की रिपोर्ट है उसके पृष्ठ तीन पर जो पैरा तीन है वह विचारणीय है। उसमें लिखा है "कमीशन को खेद है कि उन्होंने शासन के कई विभागों में तथा उनके स्वयं के पत्र-व्यवहार में भी लोक सेवाओं में भर्ती के लिये निर्धारित स्तर को नीचा करने व अस्थायी सरकारी कर्मचारियों के लिये विशेष रियायतें मांगने की प्रवृत्ति पाई है। प्रत्यक्ष

रूप से आवश्यकता न रहने पर भी नियुक्ति प्राधिकारी अस्थायी नियुक्तियां करते रहते हैं और असाधारण विलम्ब हो जाने पर कमीशन की स्वीकृत मांगते हैं।" कमीशन को शिकायत है कि अयोग्य कर्मचारियों की भर्ती कर ली जाती है। इसी रिपोर्ट में पृष्ठ १४ पर पैरा ३ से एक उद्धहरण आपकी आज्ञा से पढ़ना चाहता हूं कि शिक्षा विभाग में किस प्रकार से भर्ती की गई—"शिक्षा संचालक ने गवर्नमेंट ट्रेनिंग कालेज, इलाहाबाद में ट्रेन्ड ग्रेजुएट के १२०-३०० वेतन-क्रम में सहायक सुपरवाइजर (सेरेमिक्स) के पद पर जुलाई, १९४६ ई० में एक उम्मीदवार की नियुक्ति की और अक्टूबर, १९५० में अर्थात् चार वर्ष से भी अधिक समय के पश्चात् उसका मामला उपर्युक्त ग्रेड में स्थायी नियुक्ति करने के लिये कमीशन के पास भेजा। सन् १९४६ में जब उस व्यक्ति की नियुक्ति की गई थी उस समय वह एल० टी० पास नहीं था और उसकी आयु भी निर्धारित आयु से अधिक थी। शिक्षा संचालक ने इस मामले को कमीशन के पास भेजने के पहले ही शासन से पूर्व अयोग्यता से मुक्त करने का आदेश प्राप्त कर लिया था तथा उसे अधिकतम आयु की सीमा से मुक्त करने का स्वयं ही प्रस्ताव किया। कमीशन ने इस अनियमितता पर बड़ी अप्रसन्नता प्रकट की कि उक्त उम्मीदवार चार वर्ष से भी अधिक समय से बिना कमीशन की अनुमति से शिक्षा विभाग में काम कर रहा है और कहा कि ऐसी अनियमितायें बराबर प्रकाश में आ रही हैं और केवल खेद प्रगट करदेने से कोई लाभ नहीं होता"।

तो इस प्रकार के उद्धरण हैं। मैं आपकी इजाजत से केवल एक उद्धरण और सदन के समक्ष पेश करना चाहता हूं जो सन् ५१-५२ की रिपोर्ट के पृष्ठ १३ के पैरा ९ में है कि "शासन ने एक उम्मीदवार को ९ अक्तूबर, १९५० से मेकेनाइज्ड स्टेट फार्म नीलगांव में २५०-८५० रुपये के प्रादेशिक जूनियर वेतन क्रम में फार्म मैनेजर के पद पर नियुक्त किया और उस का मामला जुलाई, १९५१ में कमीशन की अनुमति के लिए भेजा। अपनी सम्मति प्रकट करने से पहले कमीशन ने शासन से पूछा कि फार्म मैनेजर का पद प्रादेशिक पशु चिकित्सा सेवा में था या प्रादेशिक कृषि सेवा में। इन पदों के लिये क्या योग्यतायें आवश्यक थी और वर्तमान फार्म मैनेजर क्या क्या योग्यतायें रखते थे। शासन ने अन्य बातों के साथ अपने उत्तर में यह कहा कि यह पद २५०-८५० के जूनियर वेतन क्रम में प्रादेशिक कृषि सेवा या प्रादेशिक पशु चिकित्सा सेवा का है और उनके लिए न्यूनतम शिक्षा सम्बन्धी योग्तायें उन्हीं योग्यताओं के समान होनी चाहिये जो दोनों सेवाओं के नियमों में निर्धारित की गई हैं। शासन ने यह भी कहा कि सेवा के नियमों में निर्धारित पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग की योग्यता इस पद के लिए आपेक्षित नहीं है अथवा उसके स्थान में फार्म में काम करने का क्रियात्मक अनुभव ही पर्याप्त समझना चाहिए क्योंकि व्यापारिक फार्मों के समान उन्होंने एक निर्दिष्ट अवधि के ऊपर लाभ का ५ प्रतिशत भाग बोनस के रूप में फार्म मैनेजर तथा उसके अधीनस्थ कर्मचारियों को देने का निश्चय किया है। मामले पर विचार करने के पश्चात् कमीशन ने कहा कि शासन ने पद का स्थान स्पष्ट रूप से नहीं बतलाया है। संयोग से उक्त उम्मीदवार सेवा के नियमों के अनुसार किसी भी सेवा के लिए योग्य नहीं था, क्योंकि वह आवश्यक पोस्ट ग्रेजुएट योग्यता नहीं रखता था। कदाचित् शासन का ऐसा अनुमान था कि उम्मीदवारों को "पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंगके स्थान में फार्म में काम करने का क्रियात्मक अनुभव होना चाहिये, परन्तु इसके अनुकूल नियम का कोई संशोधन नहीं हुआ था। यदि शासन का नियम को इस प्रकार संशोधन करने का विचार होता तो भी यह सन्देहात्मक था कि शासन द्वारा इस प्रकार अस्पष्ट ढंग से प्रस्ताविक संशोधन से कमीशन सहमत होते। उनके विचार में वर्तमान नियम के अनुसार उम्मीदवार पद के लिए अयोग्य था और कमीशन उसकी नियुक्ति को केवल अस्थायी रूप से विज्ञापन साक्षात्कार इत्यादि के पश्चाच् प्रतियोगिता के आधार पर विधिवत् एक योग्य उम्मीनवार के चुनाव होने तक अनुमोदित कर सकते थे"।

[श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य]

तो माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार के अयोग्य उम्मीदवारों की भर्ती करना, चार-चार, पांच-पांच वर्ष तक उसकी रिपोर्ट कमीशन को न भेजना और स्वयं उच्च अधिकारियों से आयु आदि की जो सीमा है उससे मुक्त कराना, यह सब चीजें जब जनता के सामने पहुंचती हैं तो उस पर यही असर पड़ता है कि जहां जिस का प्रभाव है और जिसको अधिकारी चाहते हैं भर्ती कर लेते हैं और वह कमीशन की सलाह और नियमों की परवाह नहीं करते। कभी कभी ऐसे व्यक्तियों की भी भरती हुई है जिनको सजा हुई है या जिन के बारे में शिकायतें थीं ऐसे लोगों को भी भर्ती किया गया है और इस सम्बन्ध में कमीशन से भी कोई राय नहीं ली गई। ५०–५१ की रिपोर्ट में पृष्ठ १३ के पैरा २ में एक हवाला इस तरह का है कि गवर्नमेंट हैन्ड-मेड पेपर फैक्टरी के मैनेजर के पद से एक अफसर लेखे में कुछ त्रुटियों के लिये उत्तरदायी ठहराए जाने के कारण निकाल दिया गया था। अप्रैल १९५० में शासन ने अकूपेशनल इंस्टीट्यूट लखनऊ के लिये वर्कशाप सुपरिन्टेन्डेन्ट के पद पर उसकी नियुक्ति की अनुमति मांगी। मालूम पड़ता है कि इस अफसर के प्रार्थना करने पर शासन ने बाद में उसके मामले की पुनः जांच की और पता लगा कि लेखे में त्रुटियां गम्भीर प्रकार की नहीं थीं। अतः उसको सब आरोपों से पूर्णतया मुक्त कर दिया। तत्पश्चात् शासन ने पहली जून, १९४८ से आकूपेशनल इंस्टीट्यूट लखनऊ में वर्कशाप सुपरिन्टेन्डेन्ट के पद पर उसकी नियुक्ति की। यह पद उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रीज सर्विस में एक ऊंचा गजेटेड पद है। कमीशन ने कहा कि इस अधिकारी को नौकरी से निकालने का दंड दिया गया था अतः उसे कमीशन के परामर्श के बिना उक्त पद पर पुनः नियुक्त नहीं करना चाहिये था और यदि उसकी पुर्ननियुक्ति करनी ही थी तो प्रथम उसे उसके स्थायी पद पर नियुक्त करना चाहिये था और तब कमीशन की अनुमति से नियमानुसार वर्कशाप सुपरिन्टेन्डेन्ट के पद पर पदोन्नत करना चाहिये था।" और आगे:—

"कमीशन ने यह भी पूछा कि निकाले जाने के पहले उसने कितने वर्ष तक कानपुर में फैक्टरी के मैनेजर के पद पर काम किया था और क्या कभी इस पद पर उसकी नियुक्ति के सम्बन्ध में कमीशन से पहले भी राय ली गई थी। इस वर्ष के अन्त तक शासन से कोई उत्तर नहीं प्राप्त हुआ।"

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं और भी अनियमितताओं को अगर पढ़ूंगा तो समय भवन का अधिक लगेगा। मैं नहीं चाहता कि कमीशन की रिपोर्ट जो है उसमें से पढ़कर सुनाऊं क्योंकि वह सभी माननीय सदस्यों के पास है। वे उसमें से देख सकते हैं और समझ सकते हैं की चीजें हमारे लिये शोभाजनक नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष—मैं माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं कि जब इस प्रकार से डिस्कशन हो तो स्मृति-पत्र भी अपने सामने रखें, यानी खाली रिपोर्ट पर ही बहस न हो, नहीं तो जिस वक्त कमीशन की रिपोर्ट से आक्षेप पढ़े जायं और स्मृति-पत्र में उसका क्या एक्सप्लेनेशन है उसका भी हवाला न दिया जाय तो एक तरफ तो आक्षेप ही आक्षेप पढ़े जायेंगे और दूसरी तरफ स्मृति पत्र में दिये उत्तर ही उत्तर पढ़े जावेंगे बहस में इस तरह से तो कंफ्यूजन हो जायगा। मैं समझता हूं कि शायद आपके पास स्मृति-पत्र नहीं है।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—मैं यह निवेदन कर रहा था कि कमीशन एक प्रकार से सरकार के लिये ढाल का काम करता है। सरकारी जो उच्च नौकरियां हैं उनकी भर्ती कमीशन के जरिये से हो यह चीज सरकार के लिये भी वांछनीय है और जनता को भी विश्वास रहता है कि कमीशन के जरिये जो भर्ती होगी उसमें उनके साथ न्याय होगा, अन्याय नहीं होगा। यदि नियमों का पूर्ण रूप से पालन हो तो सरकार के लिये लाभकर है और जनता के विश्वास को प्राप्त करने के लिये उपादेय है। मुझे केवल यही कहना है कि जो नियम यहां पर बनाये जाते हैं वे अपनी जगह पर सही होते हैं और सरकार की मंशा ठीक रहती

है, क्योंकि वे नियम उसी मंशा के द्योतक हैं, लेकिन उन नियमों की जब अवहेलना होती है और सरकार के नोटिस में यह बात आ जाती है कि सरकारी नियमों की अवहेलना इस प्रकार से किसी उच्च अधिकारी ने की तो उस समय माननीय मंत्री जी और सरकार को विचार करना चाहिये और सरकार के नियमों की अवहेलना करने का जो जिम्मेदार है उससे आवश्यक रूप में वाद तलब करना चाहिये ।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया ।)

मिट्ठनलाल,
सचिव, विधान मंडल;
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ,
बुधवार, २४ अगस्त, १९५५ ।

सत्यमेव जयते

नत्थी "क"

(देखिये तारांकित प्रश्न १ का उत्तर पृष्ठ ४७४ पर)

Cornell Methodology Project **Date**.....

INTERVIEWER BACKGROUND FORM

Below information is required for purely methodological purposes. These data will be kept stictly confidential. They might allow for correlating interviewer's idiosyncracies to other features. Place the filled-out form with any additional comments you like to make in an envelope. Seal it and address it to Dr. M. Ralis.

1. Name :
2. Age :
3. Marital status :
4. Father's education :
5. Father's occupation :
6. Who paid for your education ?
7. Does your parental home have :
   (*a*) Plumbing :
   (*b*) Electricity :
   (*c*) Telephone
   (*d*) Car :
   (*e*) Number of servant :
8. How many years did you spend in the University ?
9. What degree did you obtain ? What year ?
10. What field in social statistics is of greatest interest to you ?
11. Indicate the nature and duration of the various work assignments you had had:
12. Which of the assignment did you like best ?
13. Which did you like least ? Why ?
14. Why did you select the field of social statistics as a carreer ?
15. What was the most valuable course to you that you had taken at the University or college ?
16. Which activity in social statistical work do you prefer in terms of :
   (*a*) interest to you ?
   (*b*) importance ?
   (*c*) as career ?
17. Suppose you would be granted Rs. 10,000 for a social statistical project.
   (*a*) What kind of a project would you design ?
   (*b*) What good do you think such a project would do ?
   (*c*) What do you think you personally could get out of it ?
18. What, would you say, is the most valuable thing you are getting out of the Shramdan Study ?
   (*a*) The training
   (*b*) The experience with villagers
   (*c*) The connection with the actual working of the Five-Year Plan.
19. If this study were repeated at a later date, would you wish to work on it in another region ?
20. Would you advise a friend to do so ?
21. Why do you think, American anthropologists and sociologists come to India for ?
22. Do you think the Shramdan Study is a worthwhile expenditure of money ?

23. Do you think that Co-operative projects like the Shramdan study have something to do with American interests ?

24. As you know, the Shramdan questionnaire will be submitted to one thousand villagers. Make one guess according to your estimate for each sub-question :

(*a*) 5% or 10% or 20% or 30% or 50% will refuse to reveal their greatest worries and difficulties.

(*b*) 5% or 10% or 20% or 30% or 50% will claim they prefer to work alone.

(*c*) 5% or 10% or 20% or 30% or 50% will claim it the job of the villagers to build or improve roads in the village area.

(*d*) 5 % or 10% or 20% or 30% or 50% will say they never heard of the term "Shramdan" ?

(*e*) 5 % or 10 % or 20% or 30% or 50 % will consider Shramdan, a kind of voluntary public work as "not usefull" or as "harmful" ?

25. What kind of student have you been, the kind who plugs and comes out with fair grades or the type who made his grades easily ?

26. Regarding to your own work abilities, which of the following characteristics apply most closely to you ? (Underline respective items)

Careful	dependable	imaginative
plodding	energetic	methodical

27. Do you generally enjoy listening more than talking, or talking more than listening ?

28. Do you think that most people want to be friendly if only given a chance ?

29. Do you prefer to work alone or with others ?

30. In general, thinking of most respondents you interview, would you say they are very interested in you yourself—your opinions, your work, your background, your family— or are they only mildly interested in you yourself, or don's they take any personal interest in you at all ?

31. How often do you feel you can size up the respondent and predict most of his answers in advance ? What sort of things about the respondent help you predict his answers ?

32. Indicate whether you agree or disagree with the following eight statements.

(Make a circle around A meaning agreement and a circle around D. meaning disagreement) :

Human nature being what it is, there will always be war and conflict A. D.

What this country needs most, more than laws and political programmes is a few courageous, tireless, devoted leaders in whom the people can put their faith A. D.

Science has its place, but there are many important things that can never possibly be understood by the human mind A. D.

Every person should have complete faith in some supernatural power whose decisions he obeys without question A. D.

People can be divided into two distinct classes—the weak and the strong. A. D.

Some day it will probably be shown that astrology can explain a lot of things A. D.

The upper and the lower castee should not interdine A. D.

The caste system prevents progress in the village, but is a good system A. D.

33. What is your favorite recreation ?

34. Do you have a hobby ? What is it ?

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४७५ पर)

तालिका "क"

१ अगस्त, १९५५ को गन्ने के मूल्य के बकाया का विवरण

क्रमांक	नाम	गन्ने का मूल्य (१९५४–५५) (लाख रुपयों में)			विशेष विवरण
		बकाया	भुगतान	शेष	
१	बेगमाबाद	५७.८८	५७.३२	०.५६	
२	मोहिउद्दीनपुर	५८.५६	५८.५६	कुछ नहीं	
३	मछियाना	७८.५०	७२.५१	५.९९	
४	सिम्भौली	६१.१२	६०.८०	०.३२	
५	दौराला	७८.०३	७६.९६	१.०७	
६	मवाना	५९.२३	५९.२३	कुछ नहीं	
७	सखोती टांडा	४७.३२	४६.५७	०.७५	
८	शाम्ली	८१.२५	८०.९८	०.२७	
९	खतौली	८०.९३	७७.०३	३.९०	
१०	रोहाना	८२.०४	७९.४५	२.५९	
११	मन्सूरपुर	७९.८८	७४.९९	४.८९	
१२	सहारनपुर (३०–६–५५ तक)	६२.३४	६०.११	२.२३	
१३	देवबन्द (३०–६–५५ तक)	७७.६२	७४.९२	२.७०	
१४	लक्सर	६७.१३	६७.१३	कुछ नहीं	
१५	दोईवाला	२१.८७	२०.९९	०.८८	
१६	बरेली	४६.१९	४१.५३	४.६६	
१७	बहेड़ी	६०.५८	५८.७८	१.८०	
१८	बिलारी	७०.२२	६९.३६	०.८६	
१९	अमरोहा (मुरादाबाद के बकाये के अलावा ३०–६–५५ तक)	६७.६२	६६.२४	१.३८	
२०	बिजनौर	७७.४६	७४.४३	३.०३	
२१	धामपुर	५७.२५	५२.२४	५.०१	
२२	सिवहारा	१२७.५४	१२३.२१	४.३३	
२३	काशीपुर	४३.३४	३९.४८	३.८६	
२४	पीलीभीत (३०–६–५५ तक)	९४.१५	८५.९३	८.२२	
२५	रामपुर रजा				
२६	बुलन्द (१–६–५५ तक)	६७.५८	६५.९२	१.६६	

क्रमांक	नाम	गन्ने का मूल्य (१९५४–५५) (लाख रुपयों में)			विशेष विवरण
		बकाया	भुगतान	शेष	
२७	रौजा	३२.९२	३२.९२	कुछ नहीं	
२८	नेवली	४५.४२	४५.२५	०.१७	
२९	गोला	११३.१७	११३.१७	कुछ नहीं	
३०	ऐरा	२४.१६	२४.१६	कुछ नहीं	
३१	हरगांव	१०३.१३	१०३.०४	.०९	
३२	महोली	७२.३४	७१.३७	.९७	
३३	बिस्वां	३५.३१	३५.३१	कुछ नहीं	
३४	बुढ़वल	२८.३५	२८.३५	कुछ नहीं	
३५	बाराबंकी	४६.५५	४६.५५	कुछ नहीं	
३६	मसोधा	३५.९२	३५.८०	.१२	
३७	हरदोई	६०.३३	६०.३३	कुछ नहीं	
३८	नवाबगंज	४०.८०	४०.८०	कुछ नहीं	
३९	बलरामपुर	२९.०७	२९.०७	कुछ नहीं	
४०	शाहगंज	१७.०२	१६.९७	.०५	
४१	तुलसीपुर	३३.८०	३३.८०	कुछ नहीं	
४२	खलीलाबाद	१७.७०	१७.७०	कुछ नहीं	
४३	बस्ती	२९.४६	२९.४६	कुछ नहीं	
४४	वाल्टरगंज	३५.११	३५.११	कुछ नहीं	
४५	मुंडेरवा	३२.१५	२८.६७	३.४८	
४६	जरवल	४१.४३	४०.४१	१.०२	
४७	सिसवा बाजार	२६.०६	२६.०६	कुछ नहीं	
४८	फरेन्दा	२९.२६	२९.२६	कुछ नहीं	
४९	घुघली	३१.१०	३०.९३	.१७	
५०	पिपराइच	४२.९०	४१.२७	१.६३	
५१	सरदार नगर	१०५.६१	१०२.५८	३.०३	
५२	छितौनी	३०.९६	२९.४४	१.५२	
५३	कैप्टेनगंज	४३.९६	४३.९५	.०१	
५४	खड्डा	२१.३०	१३.१४	८.१६	
५५	लक्ष्मीगंज	२८.२३	२८.००	.२३	
५६	पडरौना	२४.०१	१४.९०	९.११	
५७	सिवराही	३५.५८	३५.५८	कुछ नहीं	
५८	रामकोला "के"	३४.९३	३४.३७	.५६	
५९	रामकोला "पी"	४५.६७	४५.६७	कुछ नहीं	
६०	कठकुइयां	२१.९१	१५.७१	६.२०	
६१	देवरिया "पी"	३८.७५	३८.००	.७५	
६२	गौरीबाजार	३४.५९	३४.५९	कुछ नहीं	
६३	बेतालपुर	४१.८२	४०.४६	१.३६	
६४	पर्तावपुर	३६.८६	३५.८०	१.०६	(बिहार के उत्पादक)

क्रमांक	नाम	गन्ने का मूल्य (१९५४-५५) (लाख रुपयों में)			विशेष विवरण
		बकाया	भुगतान	शेष	
६५	बुलन्दशहर	३.३४	१.७२	१.६२	(इसमें ४६ लाख मन का मूल्य नहीं सम्मिलित है)।
६६	इकबालपुर	१९.३८	१२.०६	७.३२	(३०-४-५५ तक)।
६७	बभनान	३४.१६	३४.१६	कुछ नहीं	
			कुल ..	१०९.५९	

तालिका "ख"

१९५४-५५ सीजन के पहले के गन्ना मूल्य के बकाया का विवरण

क्रम संख्या	नाम	१९५४-५५ से पहले का गन्ने का मूल्य जो अभी वसूल करना है।
		रु० आ० पा०
१	मलियाना	१३,७८४— ८—०
२	खतौली	३,०००— ०—०
३	बिलारी	१८५—१३—९
४	अमरोहा	२१,२५६—१५—६
५	बिजनौर	३,०३१— ९—३
६	धामपुर	८१९— ६—९
७	सिवहारा	१२५— ५—६
८	रामपुर	३०,०००— ०—०
९	ऐरा	१५,०००— ०—०
१०	मसोधा	१,२७८— २—०
११	नवाबगंज	१,०४०— ४—९
१२	जरवलरोड	९८,६३८— ७—९
१३	फरेन्दा	१,०४०००— ०—०
१४	सरदार नगर	२,२५९— ८—६
१५	पडरौना	१,१२,०००— ०—०
१६	कठकुइयां	१,७६,०००— ०—०
१७	देवरिया (पी)	५,०००— ०—०
१८	पर्तावपुर	१०,०००— ०—०
		(बिहार के उत्पादक)
१९	बैतालपुर	११,०००— ०—०
	कुल ..	६,०८,४२०— १—६

तालिका "ख २"

निम्नलिखित मिलों के विरुद्ध १७ अगस्त, १९५५ तक १९५४-५५ सीजन के गन्ना मूल्य के बकाया की वसूली के लिए सर्टिफिकेट भेज दिये गये हैं।

		रु० आ० पा०
१	बेगमाबाद	१,२६,४५४-३-०
२	सखोती टांडा	१,५८,८४९-९-३
३	बुलन्दशहर	१,५०,२९२-६-६
४	बोईवाला	स्थगित
५	बरेली	४४,४९८- ३-०
६	अमरोहा	७,५०,७१४-१०-०
७	बिलारी	६,४२,७२०- ६-९
८	धामपुर	५,७७,७८८- ५-०
९	सिवहारा	२,५४,६०४- ५-९
१०	पीलीभीत	३,८९,५८८-१०-०
११	रोजा	७,८८,३१५- १-६
१२	महोली	७,२८,७२६- १-६
१३	शाहगंज	१,०२,६०३-१३-६
१४	जरवल रोड	५,५४७- १-३
१५	मुंडेरवा	१७,२९६-१३-६
१६	सरदार नगर	४,६४,८९५- ०-०
१७	पिपराइच	१,४८,१९४- ८-३
१८	खड्डा	१,६२,८६३- २-३
१९	लक्ष्मीगंज	८,९२,१९२- ७-९
२०	रामकोला (के)	४,२९,७०२- १-०
२१	पडरौना	४,४२,६५१- २-३
२२	कठकुइयां	१९,३०,३००- २-०
२३	सिम्भौली	१२,०२,०३१-१३-६
२४	देवरिया	४,२०४- ६-३
		३,३४,७८८- ०-०
	कुल ..	१,०७,४९,१५३-११-९

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४७६ पर)

तालिका "ग"

१-८-५५ को सेस के बकाया का विवरण

क्रम-संख्या	जिला	१-८-५५ तक का बकाया			अन्य विवरण			
		रु०	आ०	पा०		रु०	आ०	पा०
१	देहरादून ..	३,२९,८०९	९	६				
२	सहारनपुर ..	६,४२,३४६	३	६				
३	मुजफ्फरनगर ..	६,०४,१७८	५	०				
४	बुलन्दशहर ..	२,८४,१०९	८	९				
५	बिजनौर ..	२४,१६,७६७	३	९	बिजनौर मिल ..	१,८७,९८६	१	३
					धामपुर मिल ..	४,६८,२६६	११	०
					(१९५२-५३) ..	२,१२,६३१	११	९
					(१९५३-५४) ..	७,९५,९६९	१	६
					(१९५४-५५)			
					शिवहारा मिल ..	७,५१,९१३	१०	३
६	मुरादाबाद ..	६,५१,३५१	०	०	..			
७	रामपुर ..	५४,६६१	११	०				
८	बरेली ..	१५,४६,३०१	१२	६				
९	पीलीभीत ..	१८,०३,२४३	१४	२				
१०	एटा ..	१,२३,५८५	१५	६				
११	शाहजहांपुर ..	६,९५७	६	९				
१२	सीतापुर ..	२३,२१,८०७	११	९				
१३	खीरी ..	३,५४,२८२	११	९				
१४	बाराबंकी ..	६,८१,१९२	७	२				
१५	बहराइच ..	२,०५,९१४	१५	३				
१६	फैजाबाद ..	१,३१,३२९	१५	९				
१७	जौनपुर ..	२,७५,३७१	३	६				
१८	बस्ती ..	३,७६,९६१	६	०				
१९	गोरखपुर ..	१६,६५,३६८	११	६				
२०	देवरिया ..	३६,२०,०००	०	०	इस वर्ष का शेष बैतालपुर, कैप्टेनगंज, लक्ष्मीगंज, देवरिया, रामकोला (पी) पर १.५७, १.१३, ३.४३, २.५६ तथा २.१३ लाख रुपये ।			
					कठकुइयां, पडरौना, खड्डा तथा रामकोला (के) पर ८.५९, ५.६४, ६.५२ तथा ४.६३ लाख रुपये ।			
२१	नैनीताल ..	४,९२,८५४	९	३				

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४७६ पर)

तालिका "घ"

३० जुलाई तक का गन्ने के अतिरिक्त मूल्य के भुगतान का विवरण

क्रम संख्या	जिला	सरकार द्वारा निश्चित दर	फैक्टरीकी दर	अन्य विवरण
		रु० आ० पा०	रु० आ० पा०	
१	देवबन्द ..	० २ ९	० २ ८ .५२	पूरा रुपया अदा हो गया।
२	लक्सर ..	० २ ६	मंजूर	,, ,, ,,
३	मन्सूरपुर ..	० १ १०	० १ ८	भारत सरकार ने ०–१–९ का दर निश्चित किया है और इसी दर से मिल रुपया अदा कर रही है। आंशिक भुगतान हो गया।
४	खतौली ..	० १ ९	..	पूरा रुपया अदा हो गया।
५	रोहाना ..	० १ ८	मंजूर	,, ,, ,,
६	शामली ..	० १ ६	मंजूर	आंशिक भुगतान हो गया।
७	सखोती टांडा ..	० ० ३	० ० २ .७९	पूरा भुगतान हो गया।
८	दौराला ..	० ० ११	मंजूर ० ० ११	पूरा भुगतान हो गया।
९	सिम्भौली	० २ ७	..	भारत सरकार ने दर ०–२–६.५ निश्चित की है, जिसके हिसाब से मिल अदा करेगी। मिल ने आंकड़ों को फिर से जांचे जाने की मांग की है।
१०	बिलारी ..	० ० ७	मंजूर	आंशिक भुगतान हो गया।
११	सिवहारा ..	० ० ७	० ० ५.९	इनसे पत्र-व्यवहार चल रहा है।
१२	बिजनौर ..	० ० १०	..	भारत सरकार ने दर ०–०–८.३ निश्चित की है और मिल से अदायगी के लिए कहा है।
१३	अमरोहा ..	० ० १०	..	भारत सरकार ने दर ०–०–१०.८ निश्चित की है और फैक्टरी से अदायगी के लिए कहा है।
१४	मोदीनगर ..	० १ ३	..	आंशिक भुगतान कर दिये हैं।
१५	जसवन्त ..	..	..	इनसे पत्र-व्यवहार चल रहे हैं।
१६	सरदार नगर ..	० ० १	० ० १.१५	पूरा रुपया भुगतान हो गया।

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४७८ पर)

तहसील खलीलाबाद (जिला बस्ती) में सन् १९५३–५४ में किये गये कार्यों का विवरण

सिंचाई--

१--९ जलाशयों और ९ पोखरों को श्रमदान द्वारा गहरा किया गया।

२--सरकारी सहायता द्वारा ६५ नए कुएं बनाए गये एवं ४ कुओं की मरम्मत हुई।

३--१ फ० २५ गज लम्बे बांध का निर्माण श्रमदान द्वारा हुआ।

४--१० सरकारी नलकूप भी लगाये गये।

कृषि--

१--पैदावार की उन्नति के लिए उत्तम बीज वितरित किये गये।

२--१९७ नये कम्पोस्ट के तथा २७ शोषक गढ़े खोदे गये।

३--फसल प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए किसानों को उत्साहित किया गया।

यातायात--

१--२ मील ५ फ० ११० गज लम्बी कच्ची सड़क श्रमदान एवं जन सहयोग से बनाई गई।

२--पंचायतों के प्रयास से ३० मील ७७ गज कच्ची सड़क का सुधार हुआ।

निर्माण-कार्य--

ग्राम पंचायत, खलीलाबाद द्वारा एक पक्की पुलिया तथा ग्राम पंचायत हरिहरपुर द्वारा एक पक्के पुल का निर्माण हुआ।

स्वास्थ्य--

१--पंचायत मेंहदावल के अन्तर्गत २ नये पानी पीने के कुओं का निर्माण हुआ, तथा ४ पुराने कुओं की मरम्मत हुई।

२--शासकीय अनुदान से ४ नये कुये एवं २ पुराने कुओं के निर्माण तथा मरम्मत के लिए हरिजनों को सहायता दी गई।

३--९८ औषधि पेटिकाओं का उपयोग जन साधारण के लाभार्थ किया गया।

शिक्षा--

१--एक कन्या पाठशाला भवन का निर्माण किया गया।

२--एक प्रौढ़ पाठशाला खोली गई।

३--एक पुस्तकालय की स्थापना की गई।

पंचायत—

ग्राम पंचायत, बढ़या, कुसोनावला, जमुहरा तथा सालीतरगापार में पंचायत-घरों के पूरा करने का प्रयास किया गया। शासकीय अनुदान से १५० रुपये की सहायता दी गई।

उद्योग धंधे—

श्री राम सुमिरन हरिजन ग्राम तथा पो० नौगों को घरेलू उद्योग धंधों के लिये ३०० रुपये की सहायता दी गई।

वन-महोत्सव—

विविध पंचायतों ने निम्नलिखित फलदार एवं अन्य वृक्ष लगाये—

खलीलाबाद	.. ..	५०५
मेंहदावल	.. ..	८५३
नाथनगर	.. ..	९९३

तत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ११–१२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४७६ पर)

तालिका

सरकारी

(१)	एलोपैथिक चिकित्सालय		आयुर्वेदिक चिकित्सालय		यूनानी चिकित्सालय	
	सं०	खर्चा	सं०	खर्चा	सं०	खर्चा
	८	१,०५,४५१ रु०	७	२४,५०० रु०	१	३,५०० रु०

सहायता प्राप्त

(२)	एलोपैथिक चिकित्सालय		आयुर्वेदिक चिकित्सालय		यूनानी चिकित्सालय	
	सं०	खर्चा	सं०	खर्चा	सं०	खर्चा
	६	३,८२१ रु०	३	८०८ रु०	२	७०८ रु०

सरकारी

(१)	एलोपैथिक चिकित्सालय	आयुर्वेदिक चिकित्सालय	यूनानी चिकित्सालय

५ के पास निजी भवन हैं। जहां तक सूचना मिली है किसी के पास निजी भवन नहीं है।

सहायता प्राप्त

(२)	एलोपैथिक चिकित्सालय	आयुर्वेदिक व यूनानी चिकित्सालय

४ के पास निजी भवन हैं। जहां तक सूचना मिली है किसी के पास निजी भवन नहीं हैं।

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४८० पर)

जिला नियोजन कमेटी, जौनपुर के १९५४–५५ के हिसाब का विवरण

क्रम-संख्या	नाम अनुदान	१–४–५५ को बचा धन			सरकार से प्राप्त अनुदान			कन्ट्रीब्युशन तथा वापसी			टोटल			१९५४–५५ का खर्चा			बाकी बचा धन		
१	२	३			४			५			६			७			८		
		रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	पा०
१	जल वितरण (हरिजन) ..	२१,१७३	८	०	५,९४५	०	०	१२५	०	०	२७,२४३	८	०	९,९३९	१२	६	१७,३०३	११	६
२	जल वितरण (एक्स क्रिमिनल)	..			३,९३०	०	०	..			३,९३०	०	०	..			३,९३०	०	०
३	जल वितरण (केन्द्रीय)	..			७५,०००	०	०	..			७५,०००	०	०	२९,७१५	०	०	४५,२८५	०	०
४	मकानात (हरिजन)	५,२१५	०	०	४,०००	०	०	..			९,२१५	०	०	१,५४०	०	०	७,६७५	०	०
५	बीज गोदाम	६,३८०	०	०	..			..			६,३८०	०	०	१,९००	०	०	४,४८०	०	०
६	हरिजन उद्धार	४,०६३	१४	०	१,०००	०	०	..			५,०६३	१४	०	२,२५०	०	०	२,८१३	१४	०
७	सूचना ..	८०६	१२	६	१,०००	०	०	३६	०	०	१,८४२	१२	६	४००	१०	३	१,४४२	२	३
८	लोकल डेवलपमेंट	८६,७४७	०	०	..			..			८६,७४७	०	०	८६,७४७	०	०	..		
९	सेल्फ हेल्थ (केन्द्रीय)	..			५०,०००	०	०	..			५०,०००	०	०	२३,९८३	१	०	२६,०१६	१५	०
१०	सेल्फ हेल्थ (प्रादेशिक)	१०,०००	०	०	५२,०००	०	०	..			६२,०००	०	०	४७७	११	०	६१,५२२	५	०
११	शिक्षा अनुदान	९,९००	०	०	१५,०००	०	०	..			२४,९००	०	०	९,९००	०	०	१५,०००	०	०
१२	स्वास्थ्य सुधार	१,३५३	८	०	१,५००	०	०	१३१	६	०	२,९८४	१४	०	२,९२२	१०	०	६२	४	०
१३	छोटे अनुदान	४६,४१२	८	३	१०,०००	०	०	५८४	०	०	५६,९९६	८	३	१५,११७	१२	९	४१,८७८	११	६
१४	कुटीर उद्योग	..			२,०००	०	०	..			२,०००	०	०	..			२,०००	०	०
१५	चिकित्सा तथा सफाई	..			२,०००	०	०	..			२,०००	०	०	..			२,०००	०	०
	टोटल ..	१,९२,०५२	२	९	२,२३,३७५			८७६	६		४,१६,३०३	८	९	१,८४,८९३	९	६	२,३१,४०९	१५	३

नत्थी 'ज'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३१–३२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४८६ पर)

तहसील का नाम	कितने कौन-कौन सरकारी अस्पताल हैं	उन अस्पतालों पर सरकार प्रत्येक तहसील में कितना कितना धन व्यय करती है
१	२	३
(अ) डुमरियागंज	एलोपैथिक	रु०
	१—इटवा २—कठेला ३—बढ़नी	
	आयुर्वेदिक तथा यूनानी	२३,९४७
	१—सेमरी खास खेत (आ०) २—सोहना (आ०) ३—कादिराबाद (यूनानी)	
(ब) बांसी	आयुर्वेदिक	
	पथेरा बाजार (आ०)	३,३००
(स) हरदया	एलोपैथिक	
	गौढ़	
	आयुर्वेदिक तथा यूनानी	
	१—विक्रम जोत (आ०) २—महाराजगंज (आ०) ३—चिलमा बाजार (यूनानी)	१५,०२७
(द) बस्ती	एलोपैथिक	
	१—जिला (मर्दाना अस्पताल) २—जिला (जनाना अस्पताल) ३—रुधौली अस्पताल	
	आयुर्वेदिक	
	१—पोखरा (आ०) २—जनवल (आ०) ३—सलतनवा (आ०) ४—मन्दरवा (आ०) ५—कलवारी (आ०)	१,९५,६१०
(प) फरीदाबाद	आयुर्वेदिक	
	१—बरवेरा बाजार २—हरिहरपुर ३—नौगांव ४—मघर ५—सैनरीयावां	१६,५००
(फ) नौगढ़	एलोपैथिक	
	शहेरतगढ़	९,४५२

नत्थी "झ"

(देखिये तारांकित प्रश्न ४२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४९१ पर)

प्रान्त के सामुदायिक विकास केन्द्रों पर ३१, मार्च १९५५ तक होने वाले खर्च की सूची (सूची "अ")

क्रम-संख्या	ब्लाक का नाम	जिला		व्यय
				रु०
१	गरुड़ बैजनाथ	अल्मोड़ा	..	१२,६५,०००
२	कापकोट	अल्मोड़ा	..	११,०४,०००
३	बैनोली	गढ़वाल	..	१२,१४,०००
४	सुलतानगंज	मैनपुरी	..	१२,२७,०००
५	अलीगंज	एटा	..	९,९९,०००
६	महमदाबाद	फर्रुखाबाद	..	८,१९,०००
७	मोठ	झांसी	..	१७,४४,०००
८	गुरसराय	झांसी	..	१२,८६,०००
९	मऊरानीपुर	झांसी	..	१३,५२,०००
१०	बीकापुर	फैजाबाद	..	१३,३६,०००
११	कूरभार	सुल्तानपुर	..	१०,७९,०००
१२	जैसिंहपुर	सुल्तानपुर	..	९,८५,०००
१३	भठट	गोरखपुर	..	१४,५२,०००
१४	कसिया	देवरिया	..	१३,४१,०००
१५	सलीमपुर	देवरिया	..	१०,७९,०००
१६	घोसी	आजमगढ़	..	१४,५२,०००
१७	कासिमाबाद	गाजीपुर	..	१३,९०,०००
१८	रतनपुर	बलिया	..	१४,८३,०००
१९	अकोला	आगरा	..	८,५७,०००
२०	उसावां	बदायूं	..	८,०२,०००
२१	देवबन्द	सहारनपुर	..	८,५०,०००
२२	नागर	बस्ती	..	७,०४,०००
२३	दुद्धी	मिर्जापुर	..	६,१०,०००
२४	चकराता	देहरादून	..	६,९०,०००
२५	फूलपुर	इलाहाबाद	..	७,३३,०००
२६	भिलंगना	टेहरी गढ़वाल	..	५,६४,०००
	कुल व्यय		..	२८,४५७,०००

प्रान्त के राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंडों पर ३१ मार्च, १९५५ तक होने वाले खर्च की सूची

(सूची "ब")

क्रम-संख्या	ब्लाक का नाम	जिले का नाम		कुल व्यय
				रु०
१	बाह	आगरा	..	२,०२,०००
२	खेरागढ़	आगरा	..	२,०५,०००
३	टप्पल	अलीगढ़	..	१,९२,०००
४	हसायां	अलीगढ़	..	२९,०००
५	तारीखेत	अल्मोड़ा	..	१,७४,०००
६	सल्ट	अल्मोड़ा	..	२२,०००
७	हवलबाग	अल्मोड़ा	..	३०,०००
८	कोरांव	इलाहाबाद	..	१,५६,०००
९	काड़ा	इलाहाबाद	..	१,७७,०००
१०	चागं ल खास	इलाहाबाद	..	१,६५,०००
११	लालगंज	आजमगढ़	..	२६,०००
१२	ऊंचा गांव	बुलन्दशहर	..	२,२४,०००
१३	परिशिक्षण तथा प्रसार केन्द्र से सम्मिलित ब्लाक	बुलन्दशहर	..	६४,०००
१४	इनकोर	बुलन्दशहर	..	१७,०००
१५	महुआ	बांदा	..	२,५०,०००
१६	मानिकपुर	बांदा	..	८०,०००
१७	मऊ	बांदा	..	१९,०००
१८	अफजलगढ़	बिजनौर	..	१,४८,०००
१९	कोतवाली	बिजनौर	..	८१,०००
२०	भोजपुरी	बरेली	..	१,८१,०००
२१	आंवला	बरेली	..	२६,०००
२२	आसिफपुर	बदायूं	..	५२,०००
२३	केसरगंज	बहराइच	..	२,०२,०००
२४	सिसी	बहराइच	..	२७,०००
२५	भवनापुर	बस्ती	..	१,८५,०००
२६	ढंघाटा	बस्ती	..	२६,०००
२७	रामनगर	बाराबंकी	..	१,५५,०००
२८	रुदौली	बाराबंकी	..	२६,०००
२९	मसौली ..	बाराबंकी	..	२७,०००
३०	आराजी लाइन्स	बनारस	..	३,३४,०००
३१	औरई	बनारस	..	३,२२,०००
३२	काशी विद्यालय	बनारस	..	२७,०००
३३	गरवार	बलिया	..	२७,०००

क्रम-संख्या	ब्लाक का नाम	जिलों का नाम		कुल व्यय
				रु०
३४	दाइवाला	देहरादून	..	२६,०००
३५	कैपटेनगंज	देवरिया	..	२,४०,०००
३६	आवागढ़	देवरिया	..	२७,०००
३७	उमरोदा	फर्रुखाबाद	..	२१,०००
३८	बहुआ	फतेहपुर	..	१,४८,०००
३९	मलवान	फतेहपुर	..	२६,०००
४०	जलालपुर	फैजाबाद	..	२७,०००
४१	ढंगु	गढ़वाल	..	१,२९,०००
४२	हींटा ठीक	गोंडा	..	१,२५,०००
४३	मनकपुर	गोंडा	..	७२,०००
४४	निछलोल	गोरखपुर	..	१,४५,०००
४५	चारगांव	गोरखपुर	..	६२,०००
४६	परिशिक्षण तथा प्रसार केन्द्र से सम्मिलित ब्लाक	गाजीपुर	..	१,११,०००
४७	देवकली	गाजीपुर	..	२८,०००
४८	मोदहा	हमीरपुर	..	२,८९,०००
४९	गोहण्ड	हमीरपुर	..	५३,०००
५०	गौरीगंज	सुल्तानपुर	..	२७,०००
५१	चिरगांव	झांसी	..	१,३९,०००
५२	झकोरा	झांसी	..	२७,०००
५३	एट	जालौन	..	४६,०००
५४	खुतन्द ..	जालौन	..	६२,०००
५५	बादशाहपुर	जौनपुर	..	३,२१,०००
५६	दोमी	जौनपुर	..	२६,०००
५७	घाटमपुर	कानपुर	..	२,१९,०००
५८	अमरोधा	कानपुर	..	४८,०००
५९	कलियानपुर	कानपुर	..	५३,०००
६०	पुरकांजी	मुजफ्फरनगर	..	१,६४,०००
६१	झिनझिना	मुजफ्फरनगर	..	२७,०००
६२	लोनी	मेरठ	..	१,७१,०००
६३	बिलौनी	मेरठ	..	२७,०००
६४	गोवरधन	मथुरा	..	३,०५,०००
६५	मथुरा	मथुरा	..	२७,०००
६६	सिरसागंज	मैनपुरी	..	२७,०००
६७	जोया	मुरादाबाद	..	२,८०,०००
६८	ठाकुरद्वारा	मुरादाबाद	..	८२,०००
६९	हलिया	मिर्जापुर	..	२७,०००
७०	खतीया	नैनीताल	..	१,८६,०००
७१	सरयाखेत	नैनीताल	..	१,६३,०००
७२	रुद्रपुर	नैनीताल	..	१,१०,०००

क्रम-संख्या	ब्लाक का नाम	जिले का नाम		कुल व्यय
				रु०
७३	लक्षणपुर	प्रतापगढ़	..	२,०१,०००
७४	आसपुर देवसारा	प्रतापगढ़	..	२७,०००
७५	सलोन	रायबरेली	..	२,१५,०००
७६	हरचन्दपुर	रायबरेली	..	२७,०००
७७	मुजफ्फर आबाद	सहारनपुर	..	८१,०००
७८	कन्ठ	शाहजहानपुर	..	२७,०००
७९	हरगांव	सीतापुर	..	२,३८,०००
८०	बेहता	सीतापुर	..	६४,०००
८१	बिलग्राम	हरदोई	..	१,०५,०००
८२	कोथा	हरदोई	..	२६,०००
८३	बेहजाम	हरदोई	..	२,१६,०००
८४	निघासन	खीरी	..	७५,०००
८५	पीलीभीत	पीलीभीत	..	१,७३,०००
८६	घुमंची	पीलीभीत	..	२६,०००
८७	नवाबगंज	उन्नाव	..	१,८६,०००
८८	फतेहपुर	उन्नाव	..	२७,०००
८९	नोगांव	टेहरी-गढ़वाल	..	१,२६,०००
९०	सईदनगर	रामपुर	..	१,२८,०००
९१	बिलासपुर	रामपुर	..	२६,०००
९२	गोसाइंगंज	लखनऊ	..	१,४०,०००
९३	सरोजनीनगर	लखनऊ	..	१,७२,०००
९४	बख्शी का तालाब	लखनऊ	..	१,१६,०००

नत्थी 'ञ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४३–४४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४९१ पर)

तालिका

कितने राजकीय एवं सरकार से सहायता प्राप्त अस्पताल हैं ?	उन पर सरकार कितना-कितना धन सहायता अथवा व्यय के रूप में खर्च कर रही है ?	उनमें से किन किन के पास उनका निजी भवन है ?	किसमें योग्यता-प्राप्त डाक्टर वैद्य और हकीम नहीं हैं ?
१	२	३	४
	रु०		
राजकीय एलोपैथिक—			
१—जिला मर्दाना चिकित्सालय हमीरपुर	२६,१४३ रु० (वार्षिक)	निजी भवन है	योग्यता प्राप्त डाक्टर है।
२—जिला जनाना चिकित्सालय हमीरपुर	१२,६४९ वा०	,,	,,
३—पुलिस चिकित्सालय हमीरपुर	७,१०४ वा०	,,	,,
४—मर्दाना चि०, चरखारी ५—जनाना चि०, चरखारी	२८,३३६ वा०	,, ,,	योग्यता प्राप्त डाक्टर नहीं है।
६—सरीला चि०	६,७६४ रु०	,,	योग्यता प्राप्त डाक्टर है।
७—बेरी चि०	५,०४६ रु०	,,	,,
८—कोहनिया चि०	५,३५२ रु०	,,	,,
९—सुमेरपुर चि०	६,१४० रु०	निजी भवन नहीं है	,,
१०—छानी चि०	५,६७८ रु०	,,	,,
११—कुलपहाड़ चि०	५,५५२ रु०	,,	,,
१२—मझगांवा चि०	५,६८४ रु०	,,	,,
१३—मुस्करा चि०	५,६३० रु०	,,	,,
१४—इमिलिया चि०	५,४०३ रु०	निजी भवन में है	,,
१५—जैतपुर चि०	५,५३० रु०	,,	,,
सरकार से सहायता प्राप्त एलोपैथिक चिकित्सालय			
१—महोबा चिकित्सालय	२,५०० वा० राजकीय सहायता	,,	,,
२—राठ चिकित्सालय	७०० रु० वार्षिक राज्य सहायता	,,	,,
३—मौदहा चि०	५५० रु० वार्षिक राज्य सहायता	,,	,,

कितने राजकीय एवं सरकार से सहायता प्राप्त अस्पताल हैं ?	उन पर सरकार कितना-कितना धन सहायता अथवा व्यय के रूप में खर्च कर रही है ?	उनमें से किन किन के पास उनका निजी भवन है ?	किस में योग्यता-प्राप्त डाक्टर वैद्य और हकीम नहीं हैं ?
१	२	३	४
	रु०		
राजकीय आयुर्वेदिक अथवा यूनानी चिकित्सालय —			
१—सुंग्रा	३,५०० रु० वार्षिक	निजी भवन नहीं है	योग्यता प्राप्त वैद्य हकीम है।
२—हजेहारी	,,	,,	,, ,,
३—झलोखार	,,	,,	,, ,,
४—खरेला	,,	,,	,, ,,
५—गोहन्द	,,	,,	,, ,,
६—सूपा	,,	,,	,, ,,
७—कनकवा	,,	,,	,, ,,
८—पुरैनी	,,	,,	,, ,,
९—पचखुरा बुजुर्ग	,,	,,	,, ,,
१०—रेवाई	,,	,,	,, ,,
११—कमहरिया	,,	,,	,, ,,
१२—करबी	,,	,,	,, ,,
राजकीय सहायता प्राप्त आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सालय			
१—जरारवार	६०० रु० लगभग राजकीय सहायता	सूचना अभी नहीं मिली	,, ,,
२—मोदाहा	६०० रु० ,,	,,	,, ,,

नत्थी 'ट'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४९१ पर)

नत्थी १

क्रम संख्या	योजना का नाम	मांगी गई रकम (ग्राण्ट) रुपयों में
१	हाथ के औजारों (Handtools) के विकास की योजना	१७,५३,०००
२	मैकेनिकल खिलौने (Mechanical toys) बनाने की योजना	६,९३,०००
३	दबाई हुई धातु (Pressed Metal) से वस्तुएं बनाने की योजना	१०,२९,८१०
४	छातों के खांच (Notches) बनाने की योजना	४२,४६०
५	बनारस में चरी काटने की मशीनें (Chaff cutter knives) बनाने की योजना	१,९६,०००
६	पॉटरी उद्योग के विकास की योजना	५,३१,६००
७	राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में १६ रूरल वर्कशाप्स बनाने की योजना	२४,९३,१००
८	आगरा और कानपुर में फाउन्ड्री रिसर्च और टेस्ट हाउस की योजना	११,७६,०००
९	मुरादाबाद में एक इलोक्ट्रोप्लेटिंग मशीन लगाने की योजना	४,६५,७३६
१०	पेन्सिल बनाने पेन्सिलतराश (Pencil sharpeners) बनाने की योजना	१,१०,०००
११	प्लास्टिक की चीजें बनाने के लिये ट्रेनिंग देने की योजना	१,०२,५००
१२	खेलकूद के सामान बनाने के उद्योग के विकास की योजना	४,२५,०००
१३	माडेल कारपेन्ट्री वर्कशाप (Model Carpentry workshop) की योजना	३,००,०००
१४	टार्च शैल (Torch shells) बनाने की योजना	३,९९,०००
१५	चलती फिरती कारपेन्ट्री दूकान (Mobile Carpentry shop) की योजना	२,४०,०००
१६	चलती फिरती लोहारी (Mobile Smithy shop) की दूकान की योजना	३,१६,०००
१७	ऊंचे किस्म का शीशा बनाने के लिये ऐसे प्लान्ट लगाने की योजना जिससे क्वाट्स (Quartz) को पीसा जा सके जो रेते के बजाय प्रयोग किया जा सके	२,४३,७६०
१८	बने हुये शीशे की किस्म को अच्छा करने के लिये ऐसे प्लान्ट लगाने की योजना जिससे शक्तिशाली लाइमस्टोन (Powered limestone) सप्लाई किया जा सके जो कि स्लेक्ड लाइम (Slacked lime) के बजाय प्रयोग किया जा सके	२,६९,३६०
१९	मुरादाबाद में नान फैरस और टेस्ट हाउस (Non-ferrous and Testing House) की योजना	५,६५,०००

नत्थी 'ठ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४६२ पर)

नत्थी २

क्रम संख्या	योजना का नाम	भारतीय सरकार द्वारा स्वीकृत (धनराशि रुपयों में)	
		ऋण	अनुदान
१	आगरा में चर्म उद्योग के लिये मेजरिंग मशीन (Measuring Machine) लगाने की योजना ..	..	२१,३६४
२	क्वालिटी मार्किंग योजना (Quality Marking Scheme) को चालू रखने की योजना ..	..	१,००,५००
३	लेदर फ्लेइंग और टैनिंग (Leather Flaying and Tanning Industry) योजना के विस्तार की योजना	२,२५,०००	५,०८,०६१
४	आगरा में फुटवियर उद्योग (Footwear Industry) के विकास के लिये एक कोआपरेटिव प्रोडक्शन सेन्टर और चार बिक्री डिपो खोलने की योजना ..	५,००,०००	७०,१३७
५	इलाहाबाद और बरेली में वुड सीजनिंग प्लान्ट (Wood seasoning plant) लगाने की योजना ..	..	१,७०,४६०
६	अविकसित और पिछड़े हुए क्षेत्रों में कुटीर और छोटे पैमाने के उद्योगों के लिये ट्रेनिंग और प्रोडक्शन सेन्टर (Training-cum-production centre) खोलने की योजना	३१,०००	३,७६,०००
७	राज्य में कुटीर और छोटे पैमाने के उद्योगों के लिये ऋण देने की योजना ..	१०,००,०००	..

नत्थी 'ङ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४९४ पर)

चिकित्सालय का नाम (स्थान)			एलोपैथिक आयुर्वेदिक अथवा यूनानी	वार्षिक खर्च अथवा सरकारी सहायता (गत वर्ष का खर्च) रु०	आ०	पा०
सरकारी चिकित्सालय—						
सदर चिकित्सालय,		इटावा	एलोपैथिक	३४,८५८	०	०
जनाना	,,	इटावा	,,	११,२३२	०	०
जनाना	,,	भरथना	,,	२,०३६	२	०
जनाना	,,	औरैय्या	,,	२,२५०	१४	३
ऊदी	,,		,,	१,९७१	१	९
सहेल	,,		,,	१,८५६	१	०
बेला	,,		,,	२,००६	२	९
अजीतमल	,,		,,	१,०७६	१	०
टी० बी०	,,	इटावा	,,	३४,७७४	३	९
वेदपुर	,,		आयुर्वेदिक	इसमें से प्रत्येक का वार्षिक खर्च लगभग ३,५३० रु० है।		
अजबपुर	,,		,,			
अटसू	,,		,,			
अछल्दा	,,		,,			
एरवा कटरा	,,		,,			
कुदर कोट			,,			
इकदिल	,,		,,			
बसेहर	,,		यूनानी			
सरकारी सहायता प्राप्त चिकित्सालय—						
तारवा चिकित्सालय			एलोपैथिक	१,७७८	०	०
लरवना (मर्दाना) चिकित्सालय			,,	२,०४०	०	०
लरवना (जनाना विंग)			,,	२,२६१	०	०
सहसों चिकित्सालय			,,	६००	०	०
जसवन्तनगर चिकित्सालय			,,	२००	०	०
फफूंद	,,		,,	२००	०	०
महेवा	,,		,,	५००	०	०
भरथना	,,		,,	६००	०	०
विधूना	,,		,,	५५०	०	०
औरैया	,,		,,	६०८	०	०
रूरूगंज	,,		आयुर्वेदिक			

पी० एस० यू० पी० ए० पी० ५६ एल० ए—१९५५—७९६।